

सूचना का अधिकार मैनुअल

राज्य शिक्षा केन्द्र
बी-विंग, पुस्तक भवन, अरेरा हिल्स, भोपाल

1— संस्था का विवरण, दायित्व एवं कर्तव्य—

राज्य शिक्षा मिशन

म0 प्र0 शासन, स्कूल शिक्षा विभाग के आदेश क्रमांक एफ-44-60/99/20-2 दिनांक 28.12.1999 के द्वारा राज्य शिक्षा केन्द्र का गठन किया गया। जिसमें राज्य शैक्षिक एवं अनुसंधान परिषद, प्रौढ़ शिक्षा संचालनालय एवं राजीव गांधी शिक्षा मिशन को सम्मिलित किया गया।

राज्य स्तर पर प्रारंभिक शिक्षा के क्षेत्र में काम करने, जन शिक्षा योजना के समन्वय, पर्यवेक्षण और सहायता के लिये राज्य शिक्षा केन्द्र उत्तरदायी है। राज्य शिक्षा केन्द्र निम्नलिखित कृत्यों का पालन करेगा अर्थात्—

- राज्य के स्कूलों में नामांकित समस्त बालकों के सीखने के स्तर की गणवत्ता में सुधार के समस्त प्रयास करना।
- स्कूलों के ग्राम/वार्ड शिक्षा रजिस्टर को अद्यतन किये जाने वाले कार्य को सुनिश्चित करना।
- स्कूलों का नियमित पर्यवेक्षण करना।
- मुख्य शिक्षा संबंधी विकास सूचकों जैसे नामांकन, प्रतिधारण, उपलब्धि, उपस्थिति प्राथमिक से उच्च प्राथमिक तक स्तरोन्नति (ट्रांजिशन), अनामांकित बालकों की संख्या में कमी और स्कूल छोड़ने वाले बालकों (ड्रापआउट) की संख्या में कमी की प्रास्थिती का समय पर पुर्नविलोकन करना तथा उनका सुधार सुनिश्चित करना।
- प्रारंभिक और प्रौढ़ शिक्षा के लिए पाठ्यचर्चा तथा पाठ्य पुस्तकें विहित करना।
- अध्यापन के लिए उपयुक्त पद्धतियाँ तथा तकनीक विकसित करना।
- मॉडुलर प्रशिक्षण सामग्रियों को तैयार करने में जिलों के साथ समन्वय करना, शिक्षकों एवं अन्य प्रशिक्षणार्थियों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करना।
- शिक्षा में गुणवत्ता के सुधार के लिए अनुसंधन संबंधी कार्य हाथ में लेना।
- विभिन्न विषयों को सीखने में आने वाली कठिनाईयों को जानने का प्रयास करना तथा उन्हें दूर करने के उपाय आरंभ करना।
- शैक्षणिक तथा शैक्षिक गतिविधियों को कार्यान्वित करना तथा सम्पूर्ण साक्षरता, सतत शिक्षा आदि जैसे कार्यक्रमों के कार्यान्वयन के लिए जबावदेह होना।

- प्रारंभिक शिक्षा तथा प्रौढ़ शिक्षा से संबंधित केन्द्रीय सहायता प्राप्त स्कीमों, राज्य स्कीमों तथा अन्य स्कीमों को कार्यान्वित करना।
- शिक्षा संबंधी डाटा को संकलित करना तथा उनका विश्लेषण करना।
- प्रारंभिक तथा प्रौढ़ शिक्षा के क्षेत्र में नई पद्धतियों को प्रोत्साहित करना।
- शिक्षा योजना के आधार पर राज्य शिक्षा योजना तैयार करना तथा उसे राज्य सरकार को प्रस्तुत करना।
- जिला वार्षिक शैक्षणिक रिपोर्ट के आधार पर विधान सभा निर्वाचन क्षेत्रवार राज्य वार्षिक शैक्षणिक रिपोर्ट तैयार करना।
- जिला शिक्षा केन्द्रों, जनपद शिक्षा केन्द्रों तथा जन शिक्षा केन्द्रों की गतिविधियों का समय-समय पर पुर्नविलोकन करना।
- राज्य शिक्षा कोष का संधारण।
- प्रारंभिक शिक्षा से संबंधित गतिविधियाँ चलाने वाले अन्य शासकीय विभागों के साथ समन्वय करना।
- शैक्षणिक अनुभवों का लाभ उठाने के लिए शिक्षा के क्षेत्र में कार्य कर रहे अन्य संगठनों के साथ समन्वय करना।
- शिक्षा मिशन का राज्य परियोजना कार्यालय प्रारंभिक शिक्षा की गतिविधियों के लिए राज्य शिक्षा केन्द्र के प्रति जवाबदेह होना।

प्रौढ़ शिक्षा—

राज्य शिक्षा केन्द्र का मुख्य दायित्व साक्षरता की गतिविधियों का संचालन करना, पर्यवेक्षण करना एवं प्रत्येक जिलों को कार्यक्रम संचालन हेतु बंटन प्रदान करना है।

दायित्व—

- राज्य में साक्षरता से संबंधित गतिविधियों का संचालन करना।
- साक्षरता की दर को बढ़ाने हेतु विभिन्न परियोजनाओं को संचालित करना।
- सतत शिक्षा कार्यक्रम के अंतर्गत समतुल्यता कार्यक्रम, आय उपार्जन कार्यक्रम, जीवन स्तर सुधार कार्यक्रम का संचालन।
- सतत शिक्षा कार्यक्रम के तहत ग्रामीण पुस्तकालयों एवं संस्कृतिक केन्द्रों का संचालन।

- साक्षरता कार्यक्रम की मॉनिटरिंग करना।
- साक्षरता कार्यक्रमों हेतु राज्य शासन एवं भारत सरकार से बंटन प्रदान करना है। प्राप्त बंटन को जिलों को उपलब्ध करना।

कार्यक्षेत्र—

- मध्यप्रदेश के सम्पूर्ण जिले में कार्यक्रम का क्रियान्वयन।

राज्य शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद (एस.सी.ई.आर.टी.)

मध्यप्रदेश शासन, स्कूल शिक्षा विभाग के संकल्प दिनांक 4 नवम्बर, 1982 एवं मध्यप्रदेश राजपत्र (असाधारण) क्र० 495 दिनांक 25 दिसम्बर, 1982 में जारी अधिसूचना के द्वारा परिषद की स्थापना शालेय शिक्षा विभाग के अन्तर्गत एक राज्य स्तरीय संस्था के रूप में की गई। स्कूल शिक्षा विभाग के अन्तर्गत समस्त राज्य स्तरीय संस्थान अर्थात् राज्य शिक्षा संस्थान भोपाल, राज्य विज्ञान शिक्षा संस्थान जबलपुर, शिक्षा मनोविज्ञान और संदर्शन महाविद्यालय, जबलपुर, अंग्रेजी भाषा शिक्षण संस्थान, भोपाल, पूर्व प्राथमिक प्रशिक्षण संस्थान जबलपुर का संविलयन परिषद में किया गया तथा इन संस्थाओं के अधिकारी और कर्मचारी परिषद के कार्यपालिक अंग घोषित किए गए।

परिषद के दायित्व—

- स्कूल शिक्षा के लिए पाठ्यचर्या तथा पाठ्य पुस्तकें विकसित करना।
- शिक्षा को तकनीकी सहयोग देना।
- उचित मूल्यांकन की तकनीकी और प्रक्रिया शिक्षा में लाना।
- शिक्षकों की सेवाकालीन प्रशिक्षण आयोजित करना।
- शैक्षिक शोध तथा शिक्षा प्रणाली में गुणात्मक सुधार का कार्य करना।
- शैक्षणिक समस्याओं के हल करने में इंटर डिस्ट्रिक्ट प्रक्रिया विकसित करना।
- प्रशिक्षण प्रभाग के लिए विभागाध्यक्ष के कार्य करना।

2— संस्था के अधिकारियों/कर्मचारियों के कार्य एवं दायित्व—

राजीव गांधी शिक्षा मिशन

क्र० अधि०/कर्म० का नाम

कार्य एवं दायित्व

- | | | |
|---|----------------------|---|
| 1 | मिशन संचालक (I.A.S.) | — शिक्षा मिशन के कार्यक्रमों के प्रत्येक घटक एवं कार्यक्षेत्रों के लिए कर्णधारदरों का गठन करना। |
| | | — कर्णधारदरों के प्रमुखों की टास्क फोर्स गठित करना, जो शिक्षा मिशन के उद्देश्यों की |

- प्राप्ति के लिए एक सुगठित टीम के रूप में कार्य करें।
- परामर्शदाता और श्रोत व्यक्तियों की नियुक्ति करना।
 - मिशन के सभी अधिकारियों और स्टाफ के लिए कर्तव्य निर्धारित करना, आवश्यक पर्यवेक्षण और अनुशासनात्मक नियंत्रण करना।
 - कार्यकारिणी द्वारा प्रदत्त शक्तियों द्वारा मिशन के समस्त मामलों एवं वित्त के प्रबंधन का नियंत्रण करना।
- 2 अपर मिशन संचालक
- शिक्षा मिशन की समस्त गतिविधियों के मिशन संचालक की अनुमति/स्वीकृति से संचालित करना तथा उनके संबंध में शिक्षा मिशन को नियमावली के अंतर्गत विहित निर्देशों के निर्माण एवं निष्पादन में मिशन संचालक की सहायता करना।
 - पदीय कर्तव्यों के अंतर्गत आने वाले सभी विषयों से संबंधित कार्यों को अधीनस्थ स्टाफ के माध्यम से पूर्ण कराना एवं उन्हें सशक्त तरीके से लागू कराना।
 - जनता से आने वाली सभी सूचनाओं पर कार्यवाही करवाना।
- 3 प्रबंधक वित्त
- शिक्षा मिशन की समस्त वित्तीय गतिविधियों को मिशन संचालक, अपर मिशन संचालक की अनुमति/स्वीकृति से वित्तीय प्रबंधन, पर्यवेक्षण एवं अनुवीक्षण करना।
 - मिशन संचालक एवं अपर मिशन संचालक को लेखा, बजट तथा आडिट संबंधी गतिविधियों के संचालन में सहयोगी के रूप में कार्य सम्पादन करना एवं इनसे संबंधित समस्त कार्यों को निर्धारित समय-सीमा में पूर्ण कराना। इसके अतिरिक्त म0 प्र0 वित्त सेवा के अधिकारियों के लिए निर्धारित समस्त कर्तव्य, उत्तरदायित्व तथा समय-समय पर मिशन संचालक एवं अपर मिशन संचालक द्वारा दिये गये उत्तरदायित्वों का निर्वहन करना।
- 4 प्रबंधक (अन्य)
- शिक्षा मिशन की वित्त से संबंधित मामलों को छोड़कर परियोजनाओं की समस्त गतिविधियों को मिशन संचालक एवं अपर मिशन संचालक द्वारा सौंपे गये दायित्वों का निर्वहन

- समय-सीमा में अपने अधीनस्थ स्टाफ के सहयोग से पूर्ण करना एवं मिशन संचालक एवं अपर मिशन संचालक द्वारा समय समय पर सौंपे गये अन्य कार्यों का भी निर्वहन करना।
- 5 उप प्रबंधक, वित्त
- शिक्षा मिशन की समस्त वित्तीय गतिविधियों को मिशन संचालक/अपर मिशन संचालक एवं प्रबंधक, वित्त की अनुमति/स्वीकृति से वित्तीय प्रबंधन, पर्यवेक्षण एवं अनुवीक्षण करना।
 - मिशन संचालक एवं अपर मिशन संचालक तथा प्रबंधक वित्त को लेखा, बजट तथा आडिट संबंधी गतिविधियों के संचालन में सहयोगी के रूप में कार्य सम्पादन करना एवं इनसे संबंधित समस्त कार्यों को निर्धारित समय-सीमा में पूर्ण कराना तथा मिशन संचालक एवं अपर मिशन संचालक तथा प्रबंधक वित्त द्वारा दिये गये उत्तरदायित्वों का निर्वहन करना।
- 6 उपप्रबंधक (अन्य)
- शिक्षा मिशन की वित्त से संबंधित मामलों को छोड़कर परियोजनाओं की समस्त गतिविधियों को मिशन संचालक, अपर मिशन संचालक तथा प्रबंधक द्वारा सौंपे गये दायित्वों का निर्वहन समय-सीमा में अपने अधीनस्थ स्टाफ के सहयोग से पूर्ण करना एवं मिशन संचालक, अपर मिशन संचालक तथा प्रबंधक द्वारा समय-समय पर सौंपे गये अन्य कार्यों का भी निर्वहन करना।
- 7 सहायक प्रबंधक, वित्त
- शिक्षा मिशन की समस्त वित्तीय गतिविधियों को मिशन संचालक/अपर मिशन संचालक, प्रबंधक वित्त एवं उप प्रबंधक, वित्त की अनुमति/स्वीकृति से वित्तीय प्रबंधन, पर्यवेक्षण एवं अनुवीक्षण करना।
 - मिशन संचालक, अपर मिशन संचालक, प्रबंधक वित्त तथा उप प्रबंधक वित्त को लेखा बजट तथा आडिट संबंधी गतिविधियों के संचालन में सहयोगी के रूप में कार्य सम्पादन करना एवं इनसे संबंधित समस्त कार्यों को निर्धारित समय-सीमा में पूर्ण कराना तथा मिशन संचालक एवं अपर मिशन संचालक, प्रबंधक वित्त एवं उप प्रबंधक वित्त द्वारा दिये

- गये उत्तरदायित्वों का निर्वहन करना।
- 8 सहा0 प्रबंधक (अन्य) – शिक्षा मिशन की वित्त से संबंधित मामलों को छोड़कर परियोजनाओं की समस्त गतिविधियों को मिशन संचालक, अपर मिशन संचालक, प्रबंधक एवं उपप्रबंधक द्वारा सौंपे गये दायित्वों का निर्वहन समय-सीमा में अपने अधीनस्थ स्टाफ के सहयोग से पूर्ण करना एवं मिशन संचालक, अपर मिशन संचालक, प्रबंधक एवं उपप्रबंधक द्वारा समय-समय पर सौंपे गये अन्य कार्यों का भी निर्वहन करना।
- 9 प्रशासक – मिशन संचालक/अपर मिशन संचालक, प्रबंधक वित्त की अनुमति/स्वीकृति से प्रशासनिक व्यवस्था के तहत।
– शिक्षा मिशन की स्थापना, प्रशासन, प्रोटोकाल, सामग्री प्रबंधन का समस्त दायित्व का निर्वहन करना।
- 10 सहा0 प्राध्यापक – शिक्षा मिशन की अकादमिक संकाय में अकादमिक गतिविधियों का क्रियान्वयन, अनुवीक्षण एवं शोध तथा मूल्यांकन करना तथा संबंधित विषयों पर पाठ्यपुस्तक लेखन के कार्य में सहयोग करना। इसके अतिरिक्त मिशन संचालक एवं अपर मिशन संचालक द्वारा सौंपे गये दायित्वों का निर्वहन करना।
- 11 व्याख्याता – शिक्षा मिशन की अकादमिक संकाय में अकादमिक गतिविधियों का क्रियान्वयन, अनुवीक्षण एवं शोध तथा मूल्यांकन करना तथा संबंधित विषयों पर पाठ्य पुस्तक लेखन के कार्कर्य में सहयोग करना। इसके अतिरिक्त मिशन संचालक एवं अपर मिशन संचालक द्वारा सौंपे गये दायित्वों का निर्वहन करना।
- 12 प्रोग्रामर – शिक्षा मिशन की सम्पूर्ण गतिविधियों के योजना निर्माण हेतु डाटा एकत्रित कर उनका विश्लेषण करना एवं विश्लेषण के आधार पर शिक्षा मिशन की कार्ययोजनाएं तैयार करने में सहयोग करना तथा कार्यक्रम के पर्यवेक्षण एवं अनुवीक्षण में सहयोग करना। समय समय पर भारत शासन द्वारा चाहे गये कार्यक्रम संबंधी डेटा उपलब्ध कराना तथा मिशन संचालक/अपर मिशन संचालक द्वारा समय समय पर सौंपे गये दायित्वों का निर्वहन करना।

- 13 स्टेनोग्राफर – मिशन संचालक/अपर मिशन संचालक/प्रबंधक के लिए शीघ्रलेखन एवं उनके टंकण का कार्य मिशन संचालक एवं अपर मिशन संचालक के लिए निज सहायक की भूमिका का निर्वहन, गोपनीय प्रतिवेदनों का संधारण एवं तत्संबंधी पत्राचार।
- 14 ड्राफ्टमेन – शिक्षा मिशन की निर्माण शाखा में भवन निर्माण संबंधी कार्यों की योजना बनाना उनका पर्यवेक्षण एवं अनुवीक्षण करना। तथा समय समय पर मिशन संचालक/अपर मिशन संचालक/प्रबंधक निर्माण द्वारा सौंपे गये दायित्वों का निर्वहन।
- 15 लेखापाल – शिक्षा मिशन के संदर्भ में जारी नियमों एवं निर्देशों तथा अन्य कोई आदेश जो शिक्षा मिशन द्वारा जारी किये जाए के अनुसार लेखा संधारण करना, लेखा अभिलेखों का रखरखाव करना तथा प्रबंधक वित्त/उपप्रबंधक वित्त/सहा० प्रबंधक वित्त के कर्तव्यों के निर्वहन में पूर्ण सहयोग करना तथा जहां आवश्यकता हो नस्ती पर नियमों को संदर्भित करना आदि।
- 16 डाटा एंट्री आपरेटर – शिक्षा मिशन में कार्यरत प्रोग्रामरों की सम्पूर्ण गतिविधियों के योजना निर्माण हेतु डाटा एकत्रित करने एवं उनका विश्लेषण करने एवं विश्लेषण के आधार पर शिक्षा मिशन की कार्ययोजनाएँ तैयार करने में सहयोग करना तथा कार्यक्रम के पर्यवेक्षण एवं अनुवीक्षण में सहयोग करना। समय समय पर भारत शासन द्वारा चाहे गये कार्यक्रम संबंधी डेटा उपलब्ध कराना तथा मिशन संचालक/अपर मिशन संचालक/प्रोग्रामर द्वारा समय समय पर सौंपे गये दायित्वों का निर्वहन करना।
- 17 लिपिक – लिपिकीय कार्यों में मिशन संचालक/अपर मिशन संचालक तथा शाखा प्रभारी की सहायता करना। अधिकारियों को प्रस्तुत होने वाली फाईलों पर नियम संगत टीप दर्ज करना। जहां आवश्यक हो नियमों के निर्वचन करने में सहायता करना तथा अभिलेखों का संधारण, रखरखाव एवं उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करना।
- 18 वाहन चालक – आदेशानुसार वाहन का संचालन करना, वाहन के रखरखाव का पूर्ण उत्तरदायित्व वहन

करना। निर्धारित प्रति ली० कि०मी० का माईलेज संधारित करना एवं वाहन की लागबुक संधारित करना।

19 भृत्य

- शिक्षा मिशन की डाक लगाना, अधिकारी की घंटी पर ड्यूटी देना, नस्तियों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुँचाना, अधिकारी की अनुपस्थिति में कक्ष की देख रेख करना एवं जहां आवश्यक हो टेलीफोन अटेंट करना एवं अधिकारियों द्वारा सौंपे गये कार्यों का निर्वहन करना।

प्रौढ शिक्षा

2.1 राज्य स्तर पर पदस्थ अधिकारियों को प्रदत्त शक्तियों एवं उनके कर्तव्य निम्नानुसार निर्धारित किये जाते हैं-

क्र०	पदनाम	पदीय शक्तियों का विवरण	पदीय कर्तव्यों का विवरण
1	संचालक/अपर संचालक	म० प्र० शासन, स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा दिशा निर्देशों के अंतर्गत तथा म० प्र० मूलभूत नियम तथा उनके अनुषंगिक नियमों, म.प्र. वित्तीय संहिता, कोषालय, संहिता लेखा संहिता समय समय पर लागू किये गये अनुषंगिक नियमों एवं निर्देशों के अधीन राज्य शासन द्वारा सौंपे दायित्वों का उपयोग	राज्य शिक्षा केन्द्र की समस्त गतिविधियों का संचालन करना एवं उनके संबंध में विधियों एवं उपविधियों तथा निर्देशों के निर्माण एवं निष्पादन में राज्य शासन की सहायता करना, पदीय कर्तव्यों के अंतर्गत आने वाले सभी विषयों से संबंधित कार्य अधीनस्थ जिला प्रौढ शिक्षा कार्यालयों, जिला साक्षरता समितियों पर नियंत्रण एवं मार्गदर्शन, पदीय दायित्वों के अधीन आम जनता से आने वाली सभी सूचनाओं पर कार्यवाही करना तथा इन सूचनाओं के आधार पर नियमों की विसंगतियों को दूर करना।
2	संयुक्त संचालक	म.प्र. शासन स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा जारी दिशा निर्देशों के अंतर्गत तथा म. प्र. मूलभूत नियम तथा उसके अनुषंगिक नियमों, म.प्र. वित्तीय संहिता, कोषालय संहिता, लेखा संहिता समय	विभागाध्यक्ष एवं संचालक द्वारा सौंपे गये समस्त कार्य। साक्षरता कार्यक्रमों के अंतर्गत परियोजना निर्माण एवं योजना को क्रियान्वयन करना। साक्षरता से संबंधित वर्कशॉप, सेमिनार का आयोजन।

- समय पर लागू किये गये अनुषंगिक नियमों एवं निर्देशों के अधीन राज्य शासन द्वारा सौंपे दायित्वों का उपयोग।
- 3 उप संचालक विभागाध्यक्ष एवं कार्यालय प्रमुख के नियंत्रणाधीन। विभागाध्यक्ष, संचालक एवं संयुक्त संचालक द्वारा सौंपे गये समस्त कार्य। साक्षरता कार्यक्रमों के अंतर्गत परियोजना निर्माण एवं योजना को क्रियान्वयन करना। साक्षरता से संबंधित वर्कशाप, सेमिनार का आयोजन।
 - 4 सहायक संचालक विभागाध्यक्ष एवं कार्यालय प्रमुख के नियंत्रणाधीन। विभागाध्यक्ष संचालक, संयुक्त संचालक एवं उप संचालक द्वारा सौंपे गये समस्त कार्य। साक्षरता कार्यक्रमों के अंतर्गत परियोजना निर्माण एवं योजना को क्रियान्वयन करना। साक्षरता से संबंधित वर्कशाप, सेमिनार का आयोजन।
 - 5 कनिष्ठ लेखाधिकारी म.प्र. मूलभूत नियम, म.प्र. कोषालय संहिता, वित्तीय संहिता, लेखा संहिता एवं उनके संदर्भ में जारी नियम एवं निर्देशों तथा अन्य कोई आदेश जो राज्य शासन द्वारा जारी किये जाये के अनुसार लेखा अभिलेखों का रखरखाव करना तथा आहरण वितरण अधिकारी को कर्तव्य निर्वहन में सहयोग करना, जहां आवश्यक हो नस्ती पर नियमों को संदर्भित करना।
 - 6 कार्यालय अधीक्षक वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा सौंपे गये कार्य अधीनस्थ स्टाफ के द्वारा प्राप्त नस्तियों पर टीप लिखना कार्यालय व्यवस्था गोपनीय प्रतिवेदन का संधारण एवं संबंधित पत्राचार, विधान सभा प्रश्नों पर कार्यवाही एवं सौंपे गये अन्य कार्य।
 - 7 स्टेनोग्राफर संचालक एवं अन्य राजपत्रित अधिकारियों के लिये शीघ्रलेखन

- एवं टंकन का कार्य, गोपनीय प्रतिवेदनों का संधारण एवं तत्संबंधी पत्राचार।
- 8 सहायक सांख्यिकी अधिकारी योजनाओं से संबंधित अभिलेखों एवं आंकड़ों का संधारण, परियोजनाओं की मॉनिटरिंग एवं प्राप्त रिपोर्ट का विश्लेषण करना।
- 9 कार्यालय सहा ग्रेड-1 वरिष्ठ अधिकारियों एवं अधीक्षक द्वारा सौंपे गये कार्य लिपिकीय कार्यों में अधिकारियों की सहायता करना अपने प्रभार की नस्तियों का संधारण प्राप्त पत्रों को निर्णय हेतु समय सीमा में प्रस्तुत करना। भंडार लेखों का संधारण
- 10 लेखापाल म.प्र. मूलभूत नियम, म.प्र. कोषालय संहिता, वित्तीय संहिता, लेखा संहिता एवं उनके संदर्भ में जारी नियम एवं निर्देशों तथा अन्य कोई आदेश जो राज्य शासन द्वारा जारी किये जाये, के अनुसार लेखा अभिलेखों का रखरखाव करना तथा आहरण वितरण अधिकारी को कर्तव्य निर्वहन में सहयोग करना, जहां आवश्यक हो नस्ती पर नियमों को संदर्भित करना।
- 11 मशीन ऑपरेटर कार्यालय उपयोग में आने वाली समस्त मशीनों, उपकरणों का संधारण एवं रखरखाव।
- 12 प्रोग्राम सहायक परियोजनाओं प्रस्तावों का निर्माण, परियोजनाओं की मॉनिटरिंग एवं प्राप्त रिपोर्ट का विश्लेषण करना।
- 13 स्टेनो टाइपिस्ट संचालक एवं अन्य राजपत्रित अधिकारियों के लिये शीघ्रलेखन एवं टंकन का कार्य।
- 14 सहा. ग्रेड-III वरिष्ठ अधिकारियों एवं अधीक्षक द्वारा सौंपे गये कार्य लिपिकीय कार्यों में अधिकारियों की

सहायता करना अपने प्रभार की नस्तियों का संधारण प्राप्त पत्रों को निर्णय हेतु समय सीमा में प्रस्तुत करना, भंडार लेखों का संधारण वाहनों का संधारण, टेलीफोन फेक्स मशीन फोटोकापी मशीन से संबंधित कार्य।

15 वाहन चालक

संचालक एवं अन्य वरिष्ठ अधिकारियों को आवंटित वाहनों का संधारण एवं परिचालन।

16 भृत्य

डाक लगाना, अधिकारी की घंटी पर कार्य करना, बैंक कोषालय से संबंधित कार्य, कार्यालय की साफ सफाई, टेलीफोन अटेंड करना एवं अधिकारी, कर्मचारी द्वारा सौंपे गये कार्य।

2.2 राज्य स्तर (राज्य शिक्षा केन्द्र) एवं जिला स्तर पर स्वीकृत पदों, भरे पदों एवं रिक्त पदों की जानकारी—

(अ) राज्य स्तर—

क्र०	पदनाम	स्वीकृत पदों की संख्या	कार्यरत/रिक्त पदों की संख्या	वेतनमान
1	संचालक/अपर संचालक	01	0	14300—18300
2	संयुक्त संचालक	01	0	12000—16500
3	उप संचालक	01	0	10000—15200
4	सहायक संचालक	03	03	8000—13500
5	कनिष्ठ लेखाअधिकारी	01	0	5500—9000
6	कार्यालय अधीक्षक	01	01	5500—9000
7	स्टेनोग्राफर	01	01	5500—9000
8	सहायक सांख्यिकी अधिकारी	02	02	5500—9000
9	कार्यालय सहा. ग्रेड—1	04	02	4500—7000
10	लेखापाल (पद विरुद्ध)	01	01	4000—6000
11	मशीन आपरेटर (पद विरुद्ध)	01	01	4000—6000
12	प्रोग्राम सहायक	01	0	4000—6000
13	स्टेनो टाइपिस्ट	02	01	3050—4590 + 125 वि. वेतन
14	सहायक ग्रेड—3	04	01	3050—4590
15	वाहन चालक	01	01	3050—4590
16	भृत्य	04	02	2550—3200

योग	29	15	
-----	----	----	--

(ब) जिला स्तर—

क्र0	पदनाम	स्वीकृत पदों की संख्या	कार्यरत पदों की संख्या	वेतनमान
1	जिला प्रौढ शिक्षा अधिकारी	38	17	8000—13500
2	सहायक सांख्यिकीय अधिकारी	38	09	5500—9000
3	प्रोग्राम सहायक	28	0	4000—6000
4	लेखापाल	12	06	4000—6000
5	आशुमुद्रण लिपिक	38	03	3050—4590+125 वि. वेतन
6	सहायक ग्रेड—3	38	29	3050—4590
7	भृत्य	38	34	2550—3200

2. एस.सी.ई.आर.टी. के अधिकारियों एवं कर्मचारियों का पदवार कार्य शक्तियाँ एवं दायित्वः

क्र0	अधिकारी / कर्म चारी का पदनाम	पदीय शक्तियों का विवरण	पदीय कर्तव्यों का विवरण
1	संचालक आई.ए.एस.	प्रारंभिक शिक्षा से संबंधित मानव संसाधन विकास मंत्रालय भारत सरकार एवं प्रदेश के स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा समय समय पर निर्धारित कार्य दायित्वों का निर्वहन। म0प्र0 शिक्षा संहिता एवं उससे संबंधित समय समय पर लागू किए गए अनुषंगिक नियमों एवं निर्देशों के अधीन राज्य शासन द्वारा विभागाध्यक्ष के रूप में सौंपी गई शक्तियों का उपयोग	परिषद की समस्त गतिविधियों का संचालन करना एवं उनके संबंध में निर्देशों एवं निर्माण एवं निष्पादन में राज्य शासन की सहायता करना पदीय कर्तव्यों के अन्तर्गत आने वाले सभी विषयों से संबंधित कार्य। प्रदेश के राज्य विज्ञान शिक्षा संस्थान, आंग्ल भाषा शिक्षण संस्थान, शास0 शिक्षा मनोविज्ञान एवं संदर्शन महाविद्यालय पूर्व प्राथमिक प्रशिक्षण संस्थान, समस्त शासकीय शिक्षा महाविद्यालय एवं जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान के विभागाध्यक्ष के रूप में कार्य संपादित करना।
2	संचालक एस. आई.ई. (अपर)	संचालक द्वारा निर्देशित कार्यों को परिषद की	संचालक द्वारा सौंपे गए विभिन्न दायित्वों का निर्वहन करना।

	संचालक)	विभिन्न शाखाओं से सम्पन्न कराना।	परिषद की समस्त शाखाओं में समन्वय स्थापित कर परिषद के सभी कार्यों को संचालित करना। समस्त अधिनस्थ संस्थाओं के प्राचार्यों के सत्त्वों का निराकरण एवं संस्थाओं का निरीक्षण व मॉनिटरिंग।
3	उप प्राचार्य	विभागाध्यक्ष एवं कार्यालय प्रमुख के नियन्त्रणाधीन	स्कूल शिक्षा से संबंधित पाठ्यक्रम का निर्माण, संशोधन, पाठ्यपुस्तकों का निर्माण, संशोधन करना, कक्षा 5 वीं व 8 वीं के मूल्यांकन कार्य, स्कूल शिक्षकों के सेवाकालीन प्रशिक्षणों का आयोजन, किशोरावस्था शिक्षा, जनसंख्या शिक्षा, समेकित शिक्षा, इत्यादि योजना तथा यूनीसेफ द्वारा प्रायोजित अन्य योजनाओं का संचालन एवं सहयोग। राष्ट्रीय प्रतिभा खोज परीक्षा भारतीय सैन्य महाविद्यालय की प्रवेश परीक्षा का आयोजन, अधिनस्थ संस्थाओं का रोस्टर निरीक्षण, विद्यालयीन शिक्षा के क्षेत्र में शोध एवं अनुसंधान करना, केन्द्र प्रवर्तित योजना शिक्षक शिक्षा सुदृढीकरण का संचालन, प्रदेश के समस्त शासकीय शिक्षा महाविद्यालय राज्य स्तरीय संस्थाएँ एवं जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थानों के लिए अकादमिक एवं मॉनिटरिंग सहयोग।
4	प्राध्यापक		
5	सहा. प्राध्यापक		
6	व्याख्याता (शिक्षा महा. स्तर)		
7	कलाकार		
8	संपादक		
9	विषय विशेषज्ञ		
10	समन्वयक		
11	उपसंचालक (IED)		
12	समन्वयक (IED)		
13	व्याख्याता उमावि		
14	सांख्यिकी अधिकारी	विभागाध्यक्ष एवं कार्यालय प्रमुख के नियन्त्रणाधीन	परिषद एवं समस्त अधिनस्थ संस्थाओं से संबंधित आकड़ों का एकत्रिकरण, विभिन्न योजनाओं का निर्माण एवं क्रियान्वयन हेतु आवश्यक आकड़े उपलब्ध कराना। प्रत्येक कार्यक्रम के पश्चात् एकत्रित आकड़ों का विश्लेषण करना।
15	सहायक सांख्यिकी अधिकारी		

16	लेखाधिकारी	----तथैव----	विभागाध्यक्ष एवं कार्यालय प्रमुख को लेखा, बजट तथा आडिट संबंधी गतिविधियों के संचालन में सहयोगी के रूप में कार्य सम्पादन करना एवं इनसे संबंधित समस्त कार्यों को निर्धारित समय सीमा में पूर्ण कराना। इसके अतिरिक्त मध्यप्रदेश वित्त सेवा के अधिकारियों के लिये निर्धारित समस्त कर्तव्य एवं उत्तरदायित्व का निर्वहन करना।
17	वरिष्ठ स्टेनो	----तथैव----	विभागाध्यक्ष एवं अपर संचालक तथा अन्य राजपत्रित अधिकारियों के लिये शीघ्रलेखन विभागाध्यक्ष एवं अपर संचालक के लिये निजी सहायक की भूमिका निर्वहन।
18	कनिष्ठ स्टेनो	----तथैव----	विभागाध्यक्ष एवं अपर संचालक तथा अन्य राजपत्रित अधिकारियों के लिये शीघ्रलेखन एवं उसके टंकण का कार्य। विभागाध्यक्ष एवं अपर संचालक के लिए निजी सहायक की भूमिका निर्वहन। गोपनीय प्रतिवेदनों का संधारण एवं तत्संबंधी पत्राचार।
19	उद्योग निदेशक	----तथैव----	विभागाध्यक्ष एवं अपर संचालक तथा अन्य राजपत्रित अधिकारियों के द्वारा सौंपे गए कार्यालयीन कार्यों का संपादन।
20	अधीक्षक	----तथैव----	कार्यालयीन कार्यों का संपादन करना उपस्थिति पंजी का रख रखाव अवकाश इत्यादि संबंधी कार्य।
21	सहायक अधीक्षक	----तथैव----	
22	ग्रन्थपाल	----तथैव----	संस्थान के ग्रन्थालय का व्यवस्थापन संस्थान में समय समय पर होने वाली कार्यशालाओं के लिए पुस्तकें उपलब्ध कराना। संस्थान के लिए संदर्भ ग्रन्थों एवं पुस्तकों का क्रय संबंधी कार्य एवं

			पुस्तकों का रख रखाव एवं व्यवस्थित आदान-प्रदान सम्पन्न करना। सम्पूर्ण प्रदेश में राजाराम मोहनराय प्रतिष्ठान कलकत्ता के सहयोग से पुस्तकालयों में पुस्तकों के वितरण में सहयोग।
23	लेखापाल	----तथैव----	मध्यप्रदेश मूलभूत नियम, म0प्र0 कोषालय संहिता, वित्तीय संहिता, लेखा संहिता एवं उनके संदर्भ में जारी नियमों एवं निर्देशों तथा अन्य कोई आदेश जो राज्य शासन द्वारा जारी किये जाये के अनुसार लेखा संधारण करना, लेखा अभिलेखों का रख रखाव करना तथा लेखाधिकारी को कर्तव्य निर्वहन में पूर्ण सहयोग करना जहां आवश्यक हो नस्ती पर नियमों को संदर्भित करना आदि।
24	सहायक ग्रेड-2	----तथैव----	लिपिकीय कार्यों में विभागाध्यक्ष /कार्यालय प्रमुख/जिलाध्यक्ष की सहायता करना। इन अधिकारियों को प्रस्तुत होने वाली फाईलों पर नियम संगत टीप दर्ज करना। जहां आवश्यक हो नियमों के निर्वचन करने में सहायता करना तथा अधीनस्थ कनिष्ठ लिपिकों द्वारा संधारित अभिलेखों का रख-रखाव एवं उनकी संरक्षा सुनिश्चित करना।
25	सहायक ग्रेड-3	----तथैव----	लिपिकीय कार्यों में विभागाध्यक्ष /कार्यालय प्रमुख की सहायता करना। मुख्यतः अपने कक्ष की नस्तियों का संधारण प्राप्त पत्रों को उन पर निर्णय हेतु समय सीमा में प्रस्तुत करना, पुराने संदर्भ यदि हो तो उन्हें प्रस्तुत पत्र पर संदर्भित करना, टंकण कार्य करना एवं आवश्यक होने पर सहायता काउन्टर पर कर्तव्य

			निर्वहन।
26	मेकेनिक	----तथैव----	वाहनों का रख रखाव एवं विभागाध्यक्ष एवं अपर संचालक तथा अन्य राजपत्रित अधिकारियों के द्वारा सौंपे गए कार्यालयीन कार्यों को संपादित करना।
27	वाहन चालक	----तथैव----	आदेशानुसार वाहन का संचालन करना। वाहन के रख रखाव का पूर्ण उत्तरदायित्व वहन करना तथा निर्धारित प्रति लीटर किलोमीटर का माइलेज संधारित करना एवं वाहन की लॉगबुक संधारित करना।
28	वाहन चालक (नियमित आक. निधि)	----तथैव----	
29	दफतरी	----तथैव----	कार्यालय अभिलेखों को सुरक्षित रखने के संबंध में सभी आवश्यक कार्य करना, रिकार्ड रूम के व्यवस्थापन में रिकार्ड अधिकारी की मदद करना, समस्त चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों कार्य बंटवारे में अधिकारियों को सलाह देना डुप्लीकेटिंग कार्य करना तथा चतुर्थ डुप्लीकेटिंग कार्य करना तथा चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के कार्य के संबंध में समय समय पर उच्च अधिकारी को संसूचनायें प्रदान करना, तथा समय समय पर वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा सौंपे गये अन्य कार्य।
30	भृत्य		डाक लगाना अधिकारी की घंटी पर डियूटी देना, नस्तियों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुँचाना अधिकारी की अनुपस्थिति में कक्ष की देख रेख करना एवं जहां आवश्यक हो टेलीफोन अटेण्ड करना, चौकीदार की अनुपस्थिति में कार्यालय की चौकीदार का कार्य करना, कोषालय संबंधी कार्य। अधिकारियों द्वारा सौंपे गये अन्य कार्य।
31	भृत्य नियमित कंटि0		

3. **संस्था में निर्णय लिये जाने के क्रम में अपनाई जाने वाली प्रक्रिया और निगरानी/पर्यवेक्षण तथा जवाबदेही का क्रम एवं उत्तरदायित्वों का विवरण :**

स्कूल शिक्षा विभाग एवं राज्य शिक्षा केन्द्र द्वारा जारी नियम एवं निर्देशों के अंतर्गत कार्यालय के सभी कक्षों द्वारा नस्ती तैयार कर आवश्यक टिप्पणी सहित संबंधित अधिकारी अथवा आहरण संवितरण अधिकारी जैसी स्थिति हो, को प्रकरण प्रस्तुत किये जायेंगे, संबंधित अधिकारी प्रस्तुत प्रकरणों पर नियम निर्देशों के तहत आवश्यक टीप लिखकर अपर संचालक को प्रस्तुत करेंगे। अपर संचालक महोदय को कार्यालय प्रमुख होने के नाते प्राप्त शक्तियों के अंतर्गत निर्णय लेकर नस्ती संबंधित कक्ष में उसी क्रम से प्रेषित की जाएगी, जिस क्रम से नस्ती प्राप्त हुई थी।

4. **संस्था के कार्य विधान को पूर्ण करने के लिये निर्धारित मापदण्डों का विवरण :**

- 4.1 सामान्यतः कार्य निष्पादन न्यूनतम समय में किया जाना आवश्यक होगा जिसके लिये कोई समय सीमा तय नहीं होगी, परन्तु कोई भी कार्य 15 दिवसों के अंदर पूर्ण करना अनिवार्य होगा। कार्य निष्पादन के क्रम में कोई भी अधिकारी अथवा कर्मचारी उसे अंकित किये गये कार्य अधिकतम तीसरे कार्य दिवस में निश्चित रूप से अपने अगले क्रम को अंकित करेगा। निर्धारित अवधि के बाद नस्ती प्रस्तुत करने पर उसे विलम्ब का कारण स्पष्ट रूप से अग्रेषण के समय नस्ती पर अंकित करना होगा। ऐसा करते समय यह भी ध्यान रखना होगा कि विलम्ब इतना न हो जिससे 15 दिवस की सीमा का उल्लंघन हो एवं अन्य अधिकारियों एवं कक्ष को इतना पर्याप्त समय न प्राप्त हो कि संपूर्ण कार्यवाही 15 दिन में पूर्ण हो सकें।
- 4.2 पूर्व निर्धारित समस्त कार्य निश्चित समय सीमा में पूर्ण हो जायें यह जिम्मेदारी कक्ष प्रभारी/समन्वयक से लेकर संचालक, राज्य शिक्षा केन्द्र तक सामान्य रूप से होगी एवं ऐसे समस्त कार्यों के लिये संचालक, राज्य शिक्षा केन्द्र द्वारा सभी अग्रेषण क्रमों के लिये कार्य को अग्रेषित करने की सीमा इस तरह तय की जावेगी जिससे कार्य 15 दिन की अधिकतम सीमा के अंतर्गत संपादित हो सके।
- 4.3 नागरिकों से प्राप्त शिकायतों तथा पत्रों के उत्तर समय सीमा में निपटाने की जवाबदारी सभी अधिकारियों/कर्मचारियों की एक समान होगी। इसके लिये संचालक, राज्य शिक्षा

केन्द्र द्वारा नस्ती संधारण करने वाले कर्मचारी से लेकर कक्ष प्रभारी तथा अन्य अधिकारियों, जिसमें वे स्वयं भी शामिल हैं, के लिये अवधि इस प्रकार तय की जावेगी कि कार्य पूर्ण होने तक सिटीजन चार्टर में उल्लेखित समय सीमा के अन्तर्गत कार्य पूर्ण हो जायें।

4.4 सूचना के अधिकार अन्तर्गत सूचना अधिकारियों एवं सहायक सूचना अधिकारियों को प्राप्त आवेदनों का निराकरण 30 दिन में करना होगा, जहां तीसरा पक्ष भी जुड़ा हो तो यह अवधि 40 दिन रहेगी।

5. संस्था से संबंधित नियमों, विधानों, निर्देशों एवं अभिलेखों का विवरण तथा उनका नियंत्रण रखने वाले कार्यव्यवहार में लाने वाले कर्मचारियों का विवरण:

राज्य शिक्षा मिशन—

1. म.प्र. सोसायटी रजिस्ट्रेशन अधिनियम 1873 के तहत पंजीकृत राजीव गांधी शिक्षा मिशन द्वारा निर्धारित नियम।
2. म.प्र. जन शिक्षा अधिनियम।
3. जन शिक्षा अधिनियम के नियम वर्ष 2002।
4. भारत शासन द्वारा जारी SSA, NPEGEL, KGBV की गाइडलाइन।
5. भारत शासन द्वारा समय समय पर जारी निर्देश।
6. म.प्र. शासन द्वारा समय समय पर जारी निर्देश।
7. विभिन्न गतिविधियों के संचालन, क्रियान्वयन के लिये समय समय पर राज्य शिक्षा केन्द्र जारी निर्देश।

राज्य शिक्षा केन्द्र जारी निर्देश www.ssa.mp.gov.in पर आम जनता के लिये उपलब्ध रहते हैं।

नियंत्रण रखने वाले एवं कार्यव्यवहार में लाने वाले कर्मचारियों का विवरण।

राज्य स्तर पर	—	संचालक राज्य शिक्षा केन्द्र एवं अधीनस्थ स्टाफ
जिला स्तर पर	—	1. जिला परियोजना समन्वयक

		2. सहायक परियोजना समन्वयक (जेण्डर) 3. सहायक परियोजना समन्वयक (वित्त) 4. प्रोग्रामर
विकास खंड स्तर पर	—	1. विकास खंड स्रोत समन्वयक 2. विकास खंड अकादमिक समन्वयक 3. विकास खंड जेंडर समन्वयक (NPEGEL विकास खंड में)
जन शिक्षा केन्द्र स्तर पर	—	1. जन शिक्षक 2. जन शिक्षा केन्द्र प्रभारी
ग्राम/शाला स्तर पर	—	1. पालक शिक्षक संघ 2. शिक्षक

प्रौढ शिक्षा

संचालक राज्य शिक्षा केन्द्र द्वारा नीचे दर्शित नियमों विधानों एवं निर्देशों का पालन निम्नानुसार किया जाता है:—

1. लेखा संधारण हेतु मध्यप्रदेश कोषालय संहिता भाग एक व दो तथा म.प्र. वित्तीय संहिता भाग एक व दो तथा इनसे संबंधित समय समय पर जारी राज्य शासन के सभी नियम एवं निर्देश। वित्तीय अधिकार पुस्तिका 1995 भाग-1 व 2 तथा समय समय पर जारी संशोधन।
2. स्थापना कर्मचारियों की सेवा शर्तों, परिलब्धियों, अवकाश अवधियों का नियमन एवं सेवा निवृत्ति के उपरांत पेंशन एवं उत्पादन भुगतान का नियंत्रण। म.प्र. मूलभूत नियम तथा समय सीमा पर यथा संशोधित रूप में लागू नियमों के अंतर्गत नियमन।

एस.सी.ई.आर.टी.

संचालक परिषद द्वारा नीचे दर्शित नियमों विधानों एवं निर्देशों का पालन निम्नानुसार किया जाता है।

1. लेखा संधारण हेतु मध्यप्रदेश कोषालय संहिता भाग एक व भाग दो तथा म0प्र0 वित्तीय संहिता भाग एक व भाग दो तथा इनमें संबंधित समय-समय पर जारी राज्य शासन के सभी नियम एवं निर्देश।
2. स्थापना कर्मचारियों की सेवा शर्तों, परिलब्धियों, अवकाश अवधियों का नियमन एवं सेवानिवृत्ति के उपरांत पेंशन एवं उपादान भुगतान का नियंत्रण। म0 प्र0 मूलभूत नियम तथा समय समय पर यथा संशोधित रूप में लागू नियमों के अन्तर्गत नियमन।
3. म0 प्र0 शासन स्कूल शिक्षा विभाग एवं राज्य शिक्षा केन्द्र द्वारा जारी सभी नियम एवं निर्देश जो कार्य व्यवहार में आने के उपरांत उल्लेख करने से छूट गये हैं।

6. संस्था द्वारा संधारित अथवा नियंत्रणाधीन अभिलेखों का श्रेणी निर्धारण :

संचालनालय में उपयोग किये जाने वाले सभी नियमों एवं निर्देश सामान्य श्रेणी में वर्गीकृत किये जाते हैं। यह सभी नियम/निर्देश बगैर किसी प्रतिबंध के सभी इच्छुक नागरिकों द्वारा अवलोकन किये जा सकेंगे। इनका नियंत्रण संचालक, राज्य शिक्षा केन्द्र के अधीन है व कार्यकारी आदेश के माध्यम से उनके द्वारा अधिकृत किये जाने पर अन्य अधिकारियों को सौंपा जा सकेगा, परन्तु अंतिम उत्तरदायित्व संचालक, राज्य शिक्षा केन्द्र का ही रहेगा।

7. आम जनता द्वारा संस्था की नीति एवं प्रशासन की जानकारी प्राप्त करने हेतु व्यवस्था के निर्धारण का विवरण :

- 7.1 भारत के किसी भी नागरिक द्वारा राज्य शिक्षा केन्द्र की गतिविधियों से संबंधित कोई भी जानकारी राज्य शिक्षा केन्द्र से अथवा जिला परियोजना समन्वयक कार्यालय से मांगी जा सकेगी। जिला परियोजना समन्वयकों से केवल वहीं जानकारी मांगी जा सकेगी, जो उनके लिये जिले की सीमा से तथा उनके पदीय दायित्वों के अंतर्गत होगी एवं उस जिले में उद्भूत हुई हो। शेष अन्य जानकारियां प्राप्त करने हेतु राज्य शिक्षा केन्द्र भोपाल को आवेदन करना होगा। आवेदन के साथ शपथ पत्र प्रस्तुत करना होगा कि प्राप्त जानकारी का भारत संघ अथवा राज्य शासन के विरुद्ध दुष्प्रचार करने में अवैधानिक उपयोग नहीं किया जायेगा। सभी आवेदनों का उत्तर

संबंधित अधिकारी द्वारा तथा राज्य शिक्षा केन्द्र में संचालक, अथवा उनके द्वारा अधिकृत अधिकारी द्वारा 15 दिवस की कार्य सीमा में निश्चित रूप से आवेदक द्वारा दिये गये पते पर पंजीकृत डाक द्वारा प्रेषित किया जायेगा। पंजीकृत डाक को आवेदक तक पहुँचाने की समय सीमा निर्धारित 15 दिवस की समय सीमा के अतिरिक्त होगी। डाक पहुँचाने में हुए विलम्ब या अन्य क्षति के लिये यह कार्यालय जिम्मेदार नहीं होगा, परन्तु आवेदक को ऐसी सम्पूर्ण जानकारी संबंधित जिला परियोजना समन्वयक अथवा संचालक राज्य शिक्षा केन्द्र, जैसा भी प्रकरण हो, द्वारा आवेदक को उपलब्ध कराई जायेगी, जिससे आवेदक पोस्टल विभाग के विरुद्ध उचित वैधानिक कार्यवाही कर सके। मांगे जाने पर भारतीय नागरिक होने का संतुष्टिकारक प्रमाण प्रस्तुत करने का दायित्व आवेदक का ही होगा।

- 7.2 कोई भी आवेदक जिला परियोजना समन्वयक अथवा संचालक, राज्य शिक्षा केन्द्र को आवेदन कर ऐसे सभी अभिलेखों का अवलोकन कर सकेगा, जो भारत के नागरिक होने के नाते वह अपने सामान्य उपयोग एवं हित के लिये आवश्यक हो, परन्तु ऐसा करते समय भारतीय नागरिक होने का संतुष्टिकारक प्रमाण प्रस्तुत करने का दायित्व आवेदक का ही होगा। अभिलेखों का अवलोकन करने के लिये जो निश्चित तिथि सूचित की जायेगी, केवल उसी तिथि का अभिलेखों का अवलोकन हो सकेगा। निर्धारित तिथि निकल जाने पर नये सिरे से आवेदन करना होगा एवं इसे इस प्रकार व्यक्त किया जायेगा, जैसे कोई नया आवेदन प्रस्तुत किया गया है एवं तदनुसार समस्त कार्य विधि लागू होगी।
- 7.3 सामान्य अभिलेख होने एवं सामान्य उपयोग की जानकारी होने पर भी यदि यह प्रमाणित हो कि जानकारी को भारत संघ अथवा राज्य शासन के विरुद्ध किसी अप्रकट उद्देश्य के लिये उपयोग किया गया है तो आवेदक उसका पूर्ण दायित्व वहन करते हुए विधि अनुसार दंड का भागी होगा।
- 7.4 सूचना के अधिकार के अंतर्गत प्राप्त होने वाले आवेदनों में यदि अभिलेखों की प्रति मांगी गई हो तो ऐसे अभिलेख की सत्यापित प्रति निर्धारित शुल्क ए-4 पेपर के लिये रू0 2/- प्रति पृष्ठ रहेगी, जिसका भुगतान आवेदन के समय कार्यालय में करना होगा। इस शुल्क की प्राप्ति रसीद भी कार्यालय द्वारा प्रदान की जावेगी।

8. बोर्ड, काउंसिल, समिति एवं अन्य संस्थाओं का पत्रक जो दो या अधिक व्यक्तियों से बनी हो एवं उनके कार्य। क्या यह सभी बोर्ड, काउंसिल, समिति एवं अन्य संस्थायें सामान्य जनता के लिए खुली है? और क्या इन संस्थाओं की बैठकों के मिनिट्स आम जनताओं के लिए उपलब्ध है या नहीं?

राज्य शिक्षा मिशन

राजीव गांधी शिक्षा मिशन के अंतर्गत राज्य/जिला/ब्लाक स्तर पर निम्नानुसार समितियां गठित हैं—

राज्य स्तरीय कार्यक्रम समिति की संरचना

1	सचिव, स्कूल शिक्षा	अध्यक्ष
2	मिशन संचालक	सदस्य
3	संचालक, एस.सी.ई.आर.टी	सदस्य
4	आयुक्त, लोक शिक्षण	सदस्य
5	आयुक्त, आदिवासी विकास विभाग	सदस्य
6	आयुक्त, महिला एवं बाल विकास विभाग	सदस्य
7	प्रौढ़ शिक्षा / संपूर्ण साक्षरता के वरिष्ठतम प्रभारी अधिकारी	सदस्य
8	शिक्षा मिशन की साधारण सभा के दो अशासकीय सदस्य	सदस्य
9	राज्य परियोजना संचालक	सदस्य सचिव

राज्य स्तरीय निर्माण कार्य समिति

1	मिशन संचालक	अध्यक्ष
2	राज्य परियोजना संचालक	सदस्य
3	आयुक्त लोक शिक्षण अथवा उनके प्रतिनिधि	सदस्य
4	आयुक्त, आदिवासी विकास विभाग अथवा उनके प्रतिनिधि	सदस्य
5	मुख्य अभियन्ता, ग्रामीण यांत्रिकी सेवा अथवा उनके प्रतिनिधि	सदस्य
6	कार्यकारी संचालक, इपको अथवा उनके प्रतिनिधि	सदस्य
7	शिक्षा मिशन की साधारण सभा के दो अशासकीय सदस्य	सदस्य

8	प्रबंधक (निर्माण कार्य) शिक्षा मिशन	सदस्य सचिव
---	-------------------------------------	------------

राज्य स्तरीय वित्त समिति की संरचना

1	सचिव वित्त, मध्यप्रदेश शासन	अध्यक्ष
2	मिशन संचालक	उपाध्यक्ष
3	राज्य परियोजना संचालक	सदस्य
4	आयुक्त, लोक शिक्षण अथवा उनके प्रतिनिधि, जो कि संचालक, लोक शिक्षण के स्तर से कम न हो।	सदस्य
5	आयुक्त, आदिवासी विकास विभाग अथवा उनके प्रतिनिधि जो कि उपायुक्त के स्तर से कम न हों	सदस्य
6	वित्त विभाग, म.प्र. शासन के प्रतिनिधि जो कि उप सचिव स्तर से कम न हो	सदस्य
7	लोकल फण्ड ऑडिट विभाग के प्रतिनिधि	सदस्य
8	शिक्षा मिशन की साधारण सभा के दो अशासकीय सदस्य	सदस्य
9	प्रबंधक (वित्त) शिक्षा मिशन	सदस्य सचिव

राज्य स्तरीय क्रय समिति की संरचना

1	मिशन संचालक	अध्यक्ष
2	राज्य परियोजना संचालक	सदस्य
3	आयुक्त, लोक शिक्षण अथवा उनके प्रतिनिधि, जो कि संचालक, लोक शिक्षण के स्तर से कम न हों।	सदस्य
4	आयुक्त, आदिवासी विकास विभाग अथवा उनके प्रतिनिधि जो कि उपायुक्त के स्तर से कम न हों।	सदस्य
5	प्रबंधक (वित्त) शिक्षा मिशन	सदस्य
6	वित्त विभाग, म.प्र. शासन के प्रतिनिधि जो कि उप सचिव स्तर से कम न हों	सदस्य
7	शिक्षा मिशन की साधारण सभा के दो अशासकीय सदस्य	सदस्य
8	प्रबंधक (सामग्री प्रबंधन)	सदस्य सचिव

राज्य स्तरीय अनुदान समिति की संरचना

1	मिशन संचालक	अध्यक्ष
2	राज्य परियोजना संचालक	सदस्य
3	आयुक्त, लोक शिक्षण अथवा उनके प्रतिनिधि जो कि संचालक लोक शिक्षण के स्तर से कम न हो।	सदस्य
4	प्राचार्य क्षेत्रीय शिक्षा संस्थान, भोपाल	सदस्य
5	संचालक, एस.सी.ई.आर.टी., भोपाल	सदस्य
6	परियोजना संचालक, राजीव गांधी शिक्षा मिशन	सदस्य सचिव

राज्य नियुक्त समिति की संरचना

1	मिशन संचालक	अध्यक्ष
2	परियोजना संचालक	सदस्य
3	आयुक्त, लोक शिक्षण अथवा उनके प्रतिनिधि जो कि संचालक लोक शिक्षण के स्तर से कम न हो।	सदस्य
4	आयुक्त, आदिवासी विकास अथवा उनके प्रतिनिधि जो कि उप आयुक्त के स्तर से कम न हो।	सदस्य
5	म.प्र. शासन, स्कूल शिक्षा विभाग के प्रतिनिधि जो कि उप सचिव स्तर से कम न हो।	सदस्य
6	मिशन की साधारण सभा के दो अशासकीय सदस्य जिनका चयन राज्य कार्यकारिणी द्वारा किया गया हो।	सदस्य
7	प्रशासक, राज्य शिक्षा केन्द्र	सदस्य सचिव

ज़िला स्तरीय नियुक्त समिति की संरचना (ज़िला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम के अन्तर्गत ज़िला स्तरीय नियुक्त समिति की संरचना)

1.	ज़िला मिशन संचालक (कलेक्टर)	अध्यक्ष
2.	ज़िला परियोजना संचालक (मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत)	सदस्य

3	सहायक आयुक्त, आदिवासी विकास विभाग या उप संचालक, स्कूल शिक्षा	सदस्य
4	जिला पंचायत शिक्षा स्थाई समिति के अध्यक्ष	सदस्य
5	अध्यक्ष, जिला पंचायत	सदस्य
6	राज्य परियोजना कार्यालय के प्रतिनिधि	सदस्य
7	शिक्षा मिशन द्वारा मनोनीत एक अशासकीय सदस्य	सदस्य
8	जिला इकाई द्वारा मनोनीत सात अशासकीय सदस्यों में से दो अशासकीय सदस्य	सदस्य
9	जिला परियोजना समन्वयक	सदस्य सचिव

जिला स्तरीय क्रय समिति की संरचना

1	जिला पंचायत अध्यक्ष	अध्यक्ष
2	जिला मिशन संचालक	उपाध्यक्ष
3	जिला परियोजना संचालक	सदस्य
4	जिला अपर परियोजना संचालक	सदस्य
5	सहायक आयुक्त, आदिवासी विकास या उप संचालक शिक्षा जो कि अपर परियोजना संचालक न हो	सदस्य
6	जिला पंचायत की शिक्षा स्थाई समिति के अध्यक्ष	सदस्य
7	संयुक्त संचालक, शिक्षा	सदस्य
8	राजीव गांधी शिक्षा मिशन द्वारा मनोनीत एक अशासकीय सदस्य	सदस्य
9	जिला इकाई द्वारा मनोनीत सात अशासकीय सदस्यों में से एक अशासकीय सदस्य	सदस्य
10	जिला परियोजना समन्वयक	सदस्य सचिव

जिला स्तरीय अनुदान समिति की संरचना

1	जिला मिशन संचालक	अध्यक्ष
2	जिला परियोजना संचालक	सदस्य
3	सहायक आयुक्त, आदिवासी विकास या उप संचालक शिक्षा	सदस्य

	जो कि अपर परियोजना संचालक न हो	
4	प्राचार्य, डाइट	सदस्य
5	जिला पंचायत की शिक्षा स्थाई समिति के अध्यक्ष	सदस्य
6	राजीव गांधी शिक्षा मिशन के दो अशासकीय सदस्य	सदस्य
7	जिला इकाई द्वारा मनोनीत सात अशासकीय सदस्यों में से दो अशासकीय सदस्य	सदस्य
8	जिला परियोजना समन्वयक	सदस्य सचिव

जिला स्तरीय निर्माण समिति की संरचना

1	जिला मिशन संचालक	अध्यक्ष
2	जिला परियोजना संचालक	सदस्य सचिव
3	ग्रामीण यांत्रिकी सेवा के कार्यपालन यंत्री	सदस्य
4	मिशन अथवा जिला शिक्षा केन्द्र का इंजीनियर	सदस्य
5	लोक निर्माण विभाग/जल संसाधन विभाग के कार्यपालन यंत्री	सदस्य
6	इपको के जिले में कार्यरत प्रतिनिधि/किसी निर्माण संस्था से जुड़े हुये इंजीनियर	सदस्य
7	राजीव गांधी शिक्षा मिशन के दो अशासकीय सदस्य	सदस्य
8	जिला परियोजना समन्वयक	सदस्य

विकास खंड स्तरीय क्रय समिति की संरचना

1	जनपद पंचायत की शिक्षा समिति के अध्यक्ष	अध्यक्ष
2	जनपद पंचायत की शिक्षा समिति के सभी सदस्य	सदस्य
3	विकासखण्ड स्रोत समन्वयक	सदस्य
4	स्थानीय प्राथमिक शाला के प्रधान अध्यापक	सदस्य
5	जिला परियोजना कार्यालय का प्रतिनिधि	सदस्य
6	विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी	सदस्य सचिव

विकासखण्ड स्तरीय निर्माण समिति की संरचना

1	जनपद अध्यक्ष	अध्यक्ष
2	जनपद के दो निर्वाचित सदस्य (जिनमें कम से कम एक महिला हो)	सदस्य
3	जनपद पंचायत द्वारा नामांकित दो गैर शासकीय/सामाजिक कार्यकर्ता	सदस्य
4	ग्रामीण यांत्रिकी सेवा/जिला शिक्षा केन्द्र का इंजीनियर/अथवा अन्य विभाग का समकक्ष इंजीनियर	सदस्य
5	विकास खण्ड स्रोत समन्वयक	सदस्य
6	विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी/विकासखण्ड स्रोत समन्वयक	सदस्य सचिव

इन समितियों में शासकीय, अशासकीय एवं जनप्रतिनिधियों का समावेश है। इन समितियों के बैठकों के मिनिट्स जनता के लिए उपलब्ध कराये जा सकते हैं।

प्रौढ शिक्षा

8.1 प्रदेश में साक्षरता कार्यक्रमों को बेहतर ढंग से संचालित करने के लिये राज्य स्तर पर राज्य साक्षरता मिशन प्राधिकरण का गठन सन् 1995 में किया गया। इस प्राधिकरण का पंजीयन मध्यप्रदेश सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1973 के तहत कराया गया। जिसका पंजीयन क्रमांक 26523 दिनांक 13.01.1995 है। इसी प्रकार प्रत्येक जिलों में साक्षरता कार्यक्रम के सुचारु क्रियान्वयन हेतु जिला साक्षरता समितियों का गठन किया गया कलेक्टर की अध्यक्षता में समितियों का पंजीयन सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1973 के तहत कराया गया। इन समितियों की कार्यकारिणी में शासकीय/अशासकीय व्यक्तियों को रखा गया।

8.2 राज्य साक्षरता मिशन प्राधिकरण की कार्यकारिणी की सूची-

क्र०	नाम/पदनाम	
1	प्रमुख सचिव म.प्र. शासन, स्कूल शिक्षा विभाग	अध्यक्ष
2	प्रमुख सचिव, अनुसूचित जाति विभाग, म० प्र० भोपाल	सदस्य

3	प्रमुख सचिव, म0 प्र0 शासन, स्थानीय स्वशासन	सदस्य
4	महा निदेशक, राष्ट्रीय साक्षरता मिशन, नई दिल्ली	सदस्य
5	प्रमुख सचिव, म0 प्र0 शासन, पंचायत एवं ग्रामीण विकास	सदस्य
6	सचिव, म0 प्र0 शासन, वित्त विभाग	सदस्य
7	सचिव, मध्यप्रदेश शासन, जनसंपर्क	सदस्य
8	सचिव, मध्यप्रदेश शासन, महिला एवं बाल विकास विभाग	सदस्य
9	केन्द्र निदेशक, दूर-दर्शन केन्द्र, भोपाल	सदस्य
10	आयुक्त लोक शिक्षण, म0 प्र0 भोपाल	सदस्य
11	आयुक्त, राज्य शिक्षा केन्द्र, म0 प्र0 भोपाल	सचिव
12	अपर संचालक, राज्य शैक्षण प्रशिक्षण एवं अनुसंधान परिषद, म0 प्र0	सदस्य
13	केन्द्र निदेशक, आकाशवाणी, भोपाल	सदस्य
14	निदेशक, राज्य संसाधन केन्द्र, इन्दौर	सदस्य
15	निदेशक, राज्य संसाधन केन्द्र, भोपाल	सदस्य
16	अपर संचालक,	सदस्य

	आयुक्त आदिवासी कल्याण विकास विभाग	
--	-----------------------------------	--

8.3 जिला साक्षरता समिति के कार्यकारिणी की सूची—

क्र०	नाम/पदनाम	
1	कलेक्टर	अध्यक्ष
2	अपर कलेक्टर	उपाध्यक्ष
3	मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत	उपाध्यक्ष
4	जिला प्रौढ शिक्षा अधिकारी	सचिव
5	परियोजना निदेशक	सह सचिव
6	जिला शिक्षा अधिकारी	सदस्य
7	प्राचार्य डाइट	सदस्य
8	सहायक आयुक्त, आदिवासी विकास	सदस्य
9	उप संचालक पंचायत एवं समाज सेवा	सदस्य
10	उपसंचालक जन संपर्क	सदस्य
11	अशासकीय सदस्य	सदस्य
12	अशासकीय सदस्य	सदस्य
13	अशासकीय सदस्य	सदस्य
14	अशासकीय सदस्य	सदस्य
15	अशासकीय सदस्य	सदस्य

8.4 इस कार्यालय के अंतर्गत सामान्य उद्देश्यों की पूर्ति हेतु निम्न समितियां गठित है—

1. मध्यप्रदेश भंडार क्रय निमयों के अंतर्गत भंडार क्रय समिति ।
2. महिला उत्पीड़न—निवारण प्रकोष्ठ ।
3. जन शिकायत निवारण प्रकोष्ठ ।

एस.सी.ई.आर.टी.

मध्यप्रदेश शासन
स्कूल शिक्षा विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल-04

आदेश

क्रमांक-एफ/46-3/सी-3/20/04

भोपाल, दिनांक- 01.06.05

मध्यप्रदेश प्राथमिक, मिडिल स्कूल तथा माध्यमिक शिक्षा (पाठ्य पुस्तकों संबंधी व्यवस्था) नियम, 1974 के नियम 3 के उपनियम (1) से (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए तथा इस विषय पर जारी की गयी समस्त पूर्व अधिसूचनाओं तथा आदेशों को अतिष्ठित करते हुए राज्य सरकार, एतद् द्वारा निम्नानुसार पाठ्य पुस्तक स्थायी समिति का गठन करती है। जिसमें निम्नलिखित होंगे:-

- 1 डॉ. गोविन्द शर्मा, अध्यक्ष
पूर्व अतिरिक्त संचालक
मध्यप्रदेश शासन, भारद्वाज बाड़ा
काशी नरेश की गली,
ग्वालियर
- 2 डॉ० उमराव सिंह चौधरी सदस्य
पूर्व कुलपति
देवी अहिल्या विश्वविद्यालय
के-404, 56, शालिमार टाउनशिप
ए.बी.रोड, इंदौर
- 3 प्रोफेसर उदय जैन सदस्य
पूर्व प्राचार्य

	वैष्णव महाविद्यालय 3-ग्रेटर, तिरुपति कालोनी, इन्दौर	
4	डॉ० सुभाष गुप्ता डीन छात्र कल्याण, देवी अहिल्या विश्वविद्यालय 108, गोयल नगर, इन्दौर	सदस्य
5	डॉ० (श्रीमती विनय राजाराम) सहायक प्राध्यापक, हिन्दी 42/10, साउथ टी.टी. नगर, भोपाल	सदस्य
6	प्रो. सुरेश्वर शर्मा पूर्व कुलपति रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय उदयाचल, 1881, गुप्तेश्वर जबलपुर, म० प्र०	सदस्य
7	डॉ० प्रकाश बरतूनिया सहायक महाप्रबंधक आई.डी.बी.आई. फ्लेट नं०-7, आफिसर क्वार्टर ई-3, अरेरा कालोनी, भोपाल	सदस्य
8	डॉ० मनमोहन उपाध्याय शिक्षाविद् ई-2, शासकीय आवास कोटरा, भोपाल	सदस्य
9	श्री भागीरथ कुमरावत शिक्षाविद् 100/45, शिवाजी नगर भोपाल	सदस्य
10	आयुक्त, राज्य शिक्षा केन्द्र, भोपाल	सदस्य सचिव
11	आयुक्त, लोक शिक्षण, म.प्र. भोपाल	सदस्य

12	सचिव, माध्यमिक शिक्षा मण्डल, म. प्र. भोपाल	सदस्य
13	प्रबंध संचालक, म.प्र. पाठ्य पुस्तक निगम, भोपाल	सदस्य
14	राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद एक प्रतिनिधि	सदस्य
15	नवोदय विद्यालय— एक प्रतिनिधि	सदस्य

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

एस. के. वर्मा

उप सचिव

म.प्र. शासन, स्कूल शिक्षा विभाग

भोपाल, दिनांक 01.06.05

मध्यप्रदेश शासन
स्कूल शिक्षा विभाग
मंत्रालय,
वल्लभ भवन, भोपाल
संशोधन आदेश

भोपाल, दिनांक— 20.02.2009

क्रमांक एफ 46-2/20-3/2008 इस विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 20.06.08 में संशोधन करते हुए म0 प्र0 प्राथमिक, मिडिल स्कूल तथा माध्यमिक शिक्षा (पाठ्य पुस्तकों संबंधी व्यवस्था) नियम, 1974 के नियम 3 के उपनियम (1) से (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए तथा इस विषय पर जारी की गयी समस्त पूर्व अधिसूचनाओं तथा आदेशों को अतिष्ठित करते हुए राज्य सरकार, एतद् द्वारा निम्नानुसार पाठ्य पुस्तक स्थायी समिति का गठन करती है। जिसमें निम्नलिखित होंगे:—

- | | | |
|---|--|---------|
| 1 | डॉ. गोविन्द शर्मा,
पूर्व अतिरिक्त संचालक
मध्यप्रदेश शासन, भारद्वाज बाड़ा
काशी नरेश की गली,
ग्वालियर | अध्यक्ष |
| 2 | डॉ0 सुभाष गुप्ता,
डीन, छात्र कल्याण
देवी अहिल्या विश्वविद्यालय,
के-404, शालीमार टाउनशिप
ए.वी. रोड, इन्दौर, म0 प्र0 | सदस्य |
| 3 | डॉ0 सुरेश्वर शर्मा,
पूर्व कुलपति रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय
उदयांचल, 1881
गुप्तेश्वर, जबलपुर | सदस्य |
| 4 | डॉ0 (श्रीमती) विनय राजाराम
सहायक प्राध्यापक हिन्दी
42/10, साउथ टी.टी. नगर, भोपाल | सदस्य |
| 5 | श्री भागीरथ कुमरावत,
100/45, शिवाजी नगर,
भोपाल, म0प्र0 | सदस्य |
| 6 | डॉ0 के.डी. शाक्य,
अपर संचालक, उच्च शिक्षा
बी 427, मीनाल रेसीडेंसी, भोपाल, म0 प्र0 | सदस्य |
| 7 | डॉ0 प्रेम भारती,
सेवानिवृत्त प्राचार्य
एफ 91/49, तुलसी नगर,
भोपाल, म0 प्र0 | सदस्य |

8	डॉ० नाथूराम राठौड़ सेवानिवृत्त प्राचार्य शास० महाविद्यालय जबेरा (दमोह) एम.आई.जी. 386, विवेकानंद नगर दमोह, म० प्र०	सदस्य
9	डॉ० भगवतीलाल राजपुरोहित, विकोटीपुरा, उज्जैन, म० प्र०	सदस्य
10	सुश्री कृष्णा परत, प्राचार्य शास. कन्या उच्च माध्य. विद्यालय गोविन्दपुरा भोपाल	सदस्य
11	श्री विनोद कुमार सेवानिवृत्त प्राचार्य, उत्कृष्ट विद्यालय, गली नं० 4, जवाहर नगर, सतना, म० प्र०	सदस्य
12	आयुक्त, राज्य शिक्षा केन्द्र, भोपाल	सदस्य सचिव
13	आयुक्त, लोक शिक्षण, म.प्र. भोपाल	सदस्य
14	सचिव, माध्यमिक शिक्षा मण्डल, म. प्र. भोपाल	सदस्य
15	प्रबंधक संचालक, म.प्र. पाठ्य पुस्तक निगम, भोपाल	सदस्य
16	राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद एक प्रतिनिधि	सदस्य
17	नवोदय विद्यालय— एक प्रतिनिधि	सदस्य

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

एस. के. वर्मा

उप सचिव

म.प्र. शासन, स्कूल शिक्षा विभाग
भोपाल, दिनांक—20.02.2009

पृ.क्र. एफ 48—2/20—3/2008/20—1

प्रतिलिपि—

1. सचिव, मुख्यमंत्री सचिवालय, म० प्र०
2. विशेष सहायक, मंत्री/राज्यमंत्री, स्कूल शिक्षा
3. मुख्य सचिव के स्टाफ आफिसर, म० प्र० शासन, मंत्रालय, भोपाल
4. आयुक्त, लोक शिक्षण, म० प्र० भोपाल
5. प्रबंध संचालक, म० प्र० पाठ्य पुस्तक निगम, भोपाल

6. आयुक्त, राज्य शिक्षा केन्द्र (राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद इकाई) म० प्र० भोपाल.
7. संचालक, म० प्र० राज्य ओपन स्कूल भोपाल, म० प्र०
8. सचिव, माध्यमिक शिक्षा मंडल, भोपाल
9. डॉ० गोविन्द शर्मा, पूर्व अतिरिक्त संचालक, म० प्र० शासन भारद्वाज बाड़ा, काशी नरेश की गली, ग्वालियर, म० प्र०
10. सर्व संबंधित सदस्यों की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
11. निज सचिव, प्रमुख सचिव, स्कूल शिक्षा की ओर सूचनार्थ।
12. उप सचिव/अवर सचिव, स्कूल शिक्षा की ओर सूचनार्थ।
13. नियंत्रक शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय भोपाल की ओर राजपत्र में प्रकाशनार्थ हेतु प्रेषित।

उप सचिव
म० प्र० शासन, स्कूल शिक्षा विभाग

9. राज्य शिक्षा केन्द्र के राज्य परियोजना कार्यालय एवं जिला स्तर तथा ब्लॉक स्तर पर पदों की जानकारी :

राज्य शिक्षा केन्द्र (शिक्षा मिशन)

कुल स्वीकृत पद	3609
भरे पद	2798
प्रतिनियुक्ति से भरे पद	1401
संविदा से भरे पद	1397
रिक्त पद	811

सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत राज्य परियोजना कार्यालय की पदीय संरचना

क्र०	पदनाम	स्वीकृत पद	भरे पद	प्रतिनियुक्ति से भरे पद	संविदा से भरे पद	रिक्त पद
1	मिशन संचालक	1	1	1	0	0
2	अपर मिशन संचालक	2	1	1	0	1
3	प्रबंधक/अपर संचालक	5	3	2	1	2
4	प्रशासक	1	1	1	0	0
5	उपप्रबंधक/सहा० प्रध्यापक	8	7	4	3	1
6	सहा० प्रबंधक/व्याख्याता	12	10	3	7	2
7	प्रोग्रामर	8	8	6	2	0
8	डाटा एंट्री आपरेटर	8	6	0	6	2
9	लेखापाल/आडीटर	4	4	2	2	0
10	मानचित्रकार	1	1	0	1	0

11	स्टेनोग्राफर	3	2	1	1	1
12	लिपिक	13	11	0	11	2
13	वाहन चालक	11	9	2	7	2
14	भृत्य	11	9	0	9	2
	योग-	88	73	23	50	15

सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत जिलों में पदीय संरचना
(राज्य स्तर से भरे जाने वाले जिला स्तरीय पद)

क्र०	पद	स्वीकृत पद	कुल भरे पद	प्रतिनियु० से भरे पद	संविदा से भरे पद	रिक्त पद
1	जिला परियोजना समन्वयक	50	40	40	0	10
2	सहा० परियोजना समन्वयक (वित्त)	50	43	33	10	7
	कुल योग	100	83	73	10	17

जिला स्तर से भरे जाने वाले जिला स्तरीय पद

क्र०	पद	स्वीकृत पद	भरे पद	प्रतिनियु० से भरे पद	संविदा से भरे पद	रिक्त पद
1	महिला समन्वयक (बालिका शिक्षा)	50	43	37	6	7
2	सहा० परियोजना समन्वयक (क० मोब)	50	32	32	0	18
3	सहा० परियोजना समन्वयक	50	25	25	0	25

	(अका.)					
4	सहा0 परियोजना समन्वयक (एईआर)	50	32	32	0	18
5	सहायक यंत्री	50	24	19	5	26
6	उपयंत्री	683	462	41	421	221
7	लेखापाल	50	40	16	24	10
8	प्रोग्रामर	50	27	2	25	23
9	डाटा एंट्री आपरेटर	100	88	23	65	12
10	लिपिक	192	142	56	86	50
11	भृत्य	144	137	25	112	7
12	वाहन चालक	74	65	15	50	9
	कुल योग	1543	1117	323	794	426

जिला स्तर से भरे जाने वाले ब्लाक स्तरीय पद

क्र0	पद	प्रति ब्लाक स्वीकृत पद	कुल स्वीकृत पद	भरे पद	प्रतिनियु0 से भरे पद	संविदा से भरे पद	रिक्त पद
1	विकासखण्ड स्रोत समन्वयक	1	313	250	215	35	63
2	विकासखण्ड अकादमिक समन्वयक	3	939	742	683	59	197
3	लेखापाल सह लिपिक	1	313	237	53	184	76
4	भृत्य/ चौकीदार	1	313	295	31	264	18
	कुल योग	6	1878	1524	982	542	354
	महायोग		3521	2724	1378	1346	797

**सपोटिंग स्टाफ के रूप में राज्य परियोजना कार्यालय में कार्यरत कर्मचारियों की
जानकारी**

क्र०	कार्यरत कर्मचारी का नाम	कार्य	मासिक मानदेय	समयावधि
1	श्री रविशंकर विश्वकर्मा	स्टेनो	9923.00	31.03.2010
2	श्री संजय विजयवर्गीय	लेखापाल	8820.00	31.03.2010
3	श्री मनोज देशमुख	लेखापाल	8820.00	31.03.2010
4	श्रीमती दीपिका भार्गव	डाटा एंट्री आपरेटर	8820.00	31.03.2010
5	श्री सुनील श्रीराव	डाटा एंट्री आपरेटर	8820.00	31.03.2010
6	श्री अखिलेन्द्र परिहार	डाटा एंट्री आपरेटर	8820.00	31.03.2010
7	श्री सत्येन्द्र परिहार	डाटा एंट्री आपरेटर	8820.00	31.03.2010
8	श्री निलेश सिटोके	डाटा एंट्री आपरेटर	8820.00	31.03.2010
9	श्री अनूप शांडिल्य	लिपिक	6725.00	31.03.2010
10	श्री सुरेश ठाकुर	वाहन चालक	6725.00	31.03.2010
11	श्री राजेन्द्र यादव	वाहन चालक	6725.00	31.03.2010
12	श्री रामबाबू कटेरिया	भृत्य	5623.00	31.03.2010
13	श्रीमती उमाबाई	भृत्य	5623.00	31.03.2010
14	श्री बाबूलाल	भृत्य	5623.00	31.03.2010
15	श्री रघुवीर	भृत्य	5623.00	31.03.2010
16	श्री प्रमोद शर्मा	भृत्य	5623.00	31.03.2010
17	श्रीमती मीरा बाई	भृत्य	5623.00	31.03.2010
18	श्री रामाश्रय कुशवाहा	भृत्य	5623.00	31.03.2010
19	श्री शकील अहमद	भृत्य	5623.00	31.03.2010
20	श्रीमती भाग्यश्री	भृत्य	5623.00	31.03.2010

राजीव गांधी शिक्षा मिशन में कार्यरत अधिकारी/कर्मचारियों की जानकारी

क्र०	नाम	पद
1	श्री मनोज झालानी	आयुक्त
2	श्री चन्द्रहास दुबे	अपर मिशन संचालक
3	श्री रमेश चन्द्र भण्डारी	अपर मिशन संचालक
4	श्री सतीश चन्द्र दुबे	प्रबंधक, (वित्त)
5	श्री अनिल सिन्हा	प्रबंधक परियोजना (विधान सभा, शिकायत)
6	श्री देवभूषण प्रसाद	प्रशासक
7	श्री रमेश पटौदा	उप प्रबंधक (प्लानिंग मॉनिटरिंग)
8	श्री आर.सी. उपाध्याय	उप प्रबंधक, (बजट)
9	श्रीमती तनुजा श्रीवास्तव	उप प्रबंधक, जेण्डर (पार्टनरशिप)
10	श्री इंतखाब खान	उप प्रबंधक (पुस्तकालय, मीडिया प्रभारी)
11	श्री सुधाकर पाराशर	उप प्रबंधक (विधि प्रकोष्ठ)
12	श्री अमृतलाल अहिरवार	उप प्रबंधक, पद विरुद्ध
13	श्री एस.पी. श्रीवास्तव	सहा० प्रबंधक (मोबलाईजेशन, इन्सेटिव)
14	सुश्री उषा शर्मा	सहायक प्रबंधक (स्टेट जेण्डर यूनिट)
15	श्री जितेन्द्र ठेकेदार	सहायक प्रबंधक
16	श्री अरविन्द सिंह बुन्देला	सहा० प्रबंधक (संस्कृत बोर्ड, ई.जी.एस.)
17	श्री उस्मान खान	सहायक प्रबंधक (टीचर ट्रेनिंग)
18	श्री महेन्द्र दबे	व्याख्याता, (अपग्रेडेशन)
19	श्री राकेश दुबे	व्याख्याता, (ब्रिजकोर्स)
20	श्री संदीप दिवाकर	व्याख्याता, (अकादमिक)
21	श्री प्रदीप मालवीय	व्याख्याता (आई.ई.डी.)
22	श्री सुधीर गुप्ता	व्याख्याता (लर्नर इवेल्यूशन)
23	श्री नीरज सक्सेना	प्रोग्रामर (हेडस्टार्ट कक्ष)
24	श्री दीपक वर्मा	प्रोग्रामर, (एम.आई.एस. कक्ष)
25	श्री शेखर सराठे	प्रोग्रामर, (एम.आई.एस. कक्ष)

26	श्री महेश मूलचंदानी	प्रोग्रामर, (एम.आई.एस. कक्ष)
27	श्री राजेश चौरसिया	प्रोग्रामर, (फण्ड ए स्कूल, वेब मास्टर)
28	श्री देवेन्द्र सिसौदिया	प्रोग्रामर, (एम.आई.एस. कक्ष)
29	श्री वैभव श्रीवास्तव	प्रोग्रामर, (निर्माण)
30	श्री पंकज श्रीवास्तव	प्रोग्रामर, (ई एंड आर कक्ष)
31	श्री रमेश सिंह	डी.ई.ओ. वित्त कक्ष
32	श्री सुनील सेन	डी.ई.ओ. उप सचिव, स्कूल शिक्षा की कार्यालयीन ड्यूटी
33	श्री राजेश कपूर	डी.ई.ओ. मानीटरिंग कक्ष (फील्ड बेस एवं इंटेनशीव मॉनिट)
34	श्रीमती भारती चौधरी	डी.ई.ओ. वित्त कक्ष
35	श्री संतोष सिंह	डी.ई.ओ. मान. मंत्री जी के निवास कार्यालयीन ड्यूटी
36	सुश्री ज्योति श्रीवास्तव	डी.ई.ओ. मंत्रालय अवर सचिव (श्री बक्सी)
37	श्री रमेश राठौर	लेखापाल, (वित्त कक्ष)
38	श्री विजय जैन	लेखापाल, (वित्त कक्ष)
39	श्री आलोक दुबे	सहायक कोषालय अधिकारी (वित्त)
40	श्री उमेश श्रीवास्तव	सहायक कोषालय अधिकारी (वित्त)
41	श्री शाकिर खान	ड्राफ्टमेन, (निर्माण कक्ष)
42	श्री सनत कुमार	स्टेनोग्राफर, आयुक्त के निज सहायक
43	श्री सुनील श्रीवास्तव	स्टेनोग्राफर, आयुक्त के निज सहायक
44	श्री प्रमोद खरे	लिपिक, (मीडिया कक्ष)
45	श्रीमती मीरा बाथम	लिपिक, (ई एण्ड आर)
46	श्रीमती मंजू तलवार	लिपिक, (आवक जावक)
47	श्रीमती कोंपल सक्सेना	लिपिक, (पार्टनरशिप कक्ष)
48	सुश्री लक्ष्मी रावत	लिपिक, (शिक्षक प्रशिक्षण)

49	सुश्री प्रतिमा दुबे	लिपिक, (स्टोर)
50	श्री योगेन्द्र कुमार शर्मा	लिपिक, (वित्त कक्ष)
51	श्री राजेश शर्मा	लिपिक, (प्रशासन कक्ष)
52	श्री मुरलीधर शर्मा	लिपिक, (मीडिया कक्ष)
53	श्री देवेन्द्र सिंह बिष्ट	लिपिक, (ई.एंड आर कक्ष)
54	सुश्री सीमा साकल्ले	लिपिक, (निर्माण कक्ष)
55	श्री किशोरी लाल	वाहन चालक
56	श्री सफदर खान	वाहन चालक
57	श्री फैयाज खान	वाहन चालक
58	श्री मोहन रैकवार	वाहन चालक
59	श्री राकेश मालवीय	वाहन चालक
60	श्री प्रीतम प्रजापति	वाहन चालक
61	श्री ताहिर अली	वाहन चालक
62	श्री रउफ खान	वाहन चालक
63	श्री मोहन लाल चिरार	वाहन चालक
64	श्री पूरन सिंह	भृत्य (प्रशासन कक्ष)
65	श्रीमती मूला देवी	भृत्य (प्रमुख सचिव की ड्यूटी)
66	श्री गोपी लाल कुशवाह	भृत्य (निर्माण कक्ष)
67	श्री दिनेश कुशवाह	भृत्य, (वित्त कक्ष)
68	श्री नरेश वर्मा	भृत्य,
69	श्री जगदीश हेमनानी	भृत्य, (एम.आई.एस. कक्ष)
70	श्री राम निवास	भृत्य (विधान सभा कक्ष)
71	श्री बृजवासी कुशवाह	भृत्य (आयुक्त, राज्य शिक्षा केन्द्र निज कक्ष)
72	श्री राजकुमार साकल्ले	भृत्य (प्रमुख सचिव की ड्यूटी)

जिला परियोजना समन्वयक के भरे एवं रिक्त पदों की जानकारी

क्र०	जिले का नाम	नाम	पद का नाम
1	शुयोडूर	शुडी डरडडीत सिंघ	जिला डरररडुऑनल डडनुवडक
2	डुरैना	शुडी अशुक कुडर तुररडरठी	जिला डरररडुऑनल डडनुवडक
3	डररुणुड	ररकुत	जिला डरररडुऑनल डडनुवडक
4	गुवलरडर	शुडी ँस.सी. शरुडर	जिला डरररडुऑनल डडनुवडक
5	शरवडुरी	शुडी डरहेनुद कुडर डुररवेदी	जिला डरररडुऑनल डडनुवडक
6	गुनर	शुडी शररुडरणी दुडे (डुरडररी)	जिला डरररडुऑनल डडनुवडक
7	अशुकनगर	शुडी ररडकुडर वैदुध	जिला डरररडुऑनल डडनुवडक
8	दतरडर	शुडी अशुक डुवरर	जिला डरररडुऑनल डडनुवडक
9	देवरस	शुडी अरुण नरगड	जिला डरररडुऑनल डडनुवडक
10	रतलरड	शुडी ःदुषर कुडर तुररडरठी	जिला डरररडुऑनल डडनुवडक
11	शररररडुर	शुडी संऑड गुडल	जिला डरररडुऑनल डडनुवडक
12	डुंदसुर	ररकुत	जिला डरररडुऑनल डडनुवडक
13	नीडऑ	शुडी ररऑेश कुडर उडरधुडरड	जिला डरररडुऑनल डडनुवडक
14	उऑऑैन	शुडी डररत लरल डुडरस	जिला डरररडुऑनल डडनुवडक
15	इंदुर	शुडी अवनीश कुडर दीकुषरत	जिला डरररडुऑनल डडनुवडक
16	धरर	शुडी ऑररनेनुद कुडर ओऑर	जिला डरररडुऑनल डडनुवडक
17	ऑररडुआ	ररकुत	जिला डरररडुऑनल डडनुवडक
18	खरगुरन	ररकुत	जिला डरररडुऑनल डडनुवडक
19	डड़वरनी	शुडी सैडद अतीक अली	जिला डरररडुऑनल डडनुवडक
20	खणुडवर	शुडी संऑड नरडुडुरकर	जिला डरररडुऑनल डडनुवडक
21	डुररररनडुर	शुडी डदन तुररडरठी	जिला डरररडुऑनल डडनुवडक
22	डुडरल	ररकुत	जिला डरररडुऑनल डडनुवडक
23	सीहर	डुऑ0 ररऑरररड डररडर	जिला डरररडुऑनल डडनुवडक
24	ररडसेन	शुडी डी.के. सिंघ	जिला डरररडुऑनल डडनुवडक
25	ररऑगदु	शुडी डुरडरकर शुडीवरसुतव	जिला डरररडुऑनल डडनुवडक

26	विदिशा	श्री शत्रुञ्जय प्रताप सिंह बिसेन	जिला परियोजना समन्वयक
27	बैतूल	श्री संजीव कुमार श्रीवास्तव	जिला परियोजना समन्वयक
28	होशंगाबाद	श्री सुरेश मिश्रा	जिला परियोजना समन्वयक
29	हरदा	श्री एस.एस. पटेल	जिला परियोजना समन्वयक
30	सागर	श्री रमाकांत तिवारी	जिला परियोजना समन्वयक
31	दमोह	श्री प्रमोद कुमार श्रीवास्तव	जिला परियोजना समन्वयक
32	पन्ना	श्री सुनील कुमार गुप्ता	जिला परियोजना समन्वयक
33	छतरपुर	श्री पी.के. रैकवार	जिला परियोजना समन्वयक
34	टीकमगढ़	रिक्त	जिला परियोजना समन्वयक
35	जबलपुर	श्री आर.के. पाण्डे	जिला परियोजना समन्वयक
36	कटनी	श्री सुधीर उपाध्याय	जिला परियोजना समन्वयक
37	नरसिंहपुर	सुश्री जयश्री पिल्लई	जिला परियोजना समन्वयक
38	छिन्दवाड़ा	श्री अरविन्द कुमार चौरगडे	जिला परियोजना समन्वयक
39	सिवनी	श्री अनिल कुशवाहा	जिला परियोजना समन्वयक
40	मंडला	श्री किशोर कुमार पटैल	जिला परियोजना समन्वयक
41	डिण्डौरी	श्री एम.एस. सिन्द्राम	जिला परियोजना समन्वयक
42	बालाघाट	श्री अजय वर्मा	जिला परियोजना समन्वयक
43	रीवा	श्री योगेशचन्द्र मिश्रा	जिला परियोजना समन्वयक
44	शहडोल	श्री बृज बिहारी दुबे	जिला परियोजना समन्वयक
45	उमरिया	रिक्त	जिला परियोजना समन्वयक
46	अनूपपुर	श्री राजीव कुमार भटनागर	जिला परियोजना समन्वयक
47	सीधी	श्री एस.बी. सिंह	जिला परियोजना समन्वयक
48	सतना	श्री नीरव दीक्षित	जिला परियोजना समन्वयक
49	अलीराजपुर	रिक्त	जिला परियोजना समन्वयक
50	सिंगरौली	डॉ० कृष्णमुरारी द्विवेदी	जिला परियोजना समन्वयक

सहायक परियोजना समन्वयक वित्त के भरे एवं रिक्त पदों की जानकारी

क्र०	जिले का नाम	नाम	पद का नाम
1	श्योपुर	श्री अमित कुमार (कोष एवं लेखा)	सहायक परियोजना समन्वयक, वित्त
2	मुरैना	श्री नेमीचन्द्र बाथम	सहायक परियोजना समन्वयक, वित्त
3	भिण्ड	श्री एम.एल.गोयल (कोष एवं लेखा)	सहायक परियोजना समन्वयक, वित्त
4	ग्वालियर	श्री आर.सी. सिल्पकार (कोष एवं लेखा)	सहायक परियोजना समन्वयक, वित्त
5	शिवपुरी	श्री गोविन्द वल्लभ श्रीवास्तव	सहायक परियोजना समन्वयक, वित्त
6	गुना	श्री मुकेश श्रीमाल	सहायक परियोजना समन्वयक, वित्त
7	अशोकनगर	श्री मुकेश सिंह चौहान	सहायक परियोजना समन्वयक, वित्त
8	दतिया	श्री शहजाद खान (कोष एवं लेखा)	सहायक परियोजना समन्वयक, वित्त
9	देवास	श्री उपेन्द्र गुप्ता	सहायक परियोजना समन्वयक, वित्त
10	रतलाम	श्री रमेश मोर्य (कोष एवं लेखा)	सहायक परियोजना समन्वयक, वित्त
11	शाजापुर	पद रिक्त	पद रिक्त
12	मंदसौर	पद रिक्त	पद रिक्त
13	नीमच	श्री दिनेश्वर सोनकेशरिया (कोष एवं लेखा)	सहायक परियोजना समन्वयक, वित्त
14	उज्जैन	श्री दीपक शम्भेकर	सहायक परियोजना समन्वयक, वित्त
15	इंदौर	श्री डी.के.पोतदार	सहायक परियोजना समन्वयक, वित्त
16	धार	श्री सुरेश निक्कम	सहायक परियोजना समन्वयक, वित्त
17	झाबुआ	श्री रूमसिंह डूडवे (कोष एवं लेखा)	सहायक परियोजना समन्वयक, वित्त
18	खरगौन	श्री रमेश आरस	सहायक परियोजना समन्वयक, वित्त
19	बड़वानी	श्री निर्भय सिंह ठाकुर	सहायक परियोजना समन्वयक, वित्त
20	खण्डवा	श्री जितेन्द्र कुमार मण्डलोई (कोष एवं लेखा)	सहायक परियोजना समन्वयक, वित्त
21	बुरहानपुर	श्री योगेश कुमार व्यास	सहायक परियोजना समन्वयक, वित्त
22	भोपाल	श्री अजय कुमार शर्मा	सहायक परियोजना समन्वयक, वित्त
23	सीहोर	श्री संतोष राठौर	सहायक परियोजना समन्वयक, वित्त

24	रायसेन	श्री आशीष ननदवार (कोष एवं लेखा)	सहायक परियोजना समन्वयक, वित्त
25	राजगढ़	श्री राजावत	सहायक परियोजना समन्वयक, वित्त
26	विदिशा	श्री एम.एल. जैन	सहायक परियोजना समन्वयक, वित्त
27	बैतूल	श्री देवेन्द्र सक्सेना	सहायक परियोजना समन्वयक, वित्त
28	होशंगाबाद	श्री एस.डी. चुघ (कोष एवं लेखा)	सहायक परियोजना समन्वयक, वित्त
29	हरदा	श्री विजयेन्द्र परसाई	सहायक परियोजना समन्वयक, वित्त
30	सागर	श्री प्रेमचंद्र अहिरवार	सहायक परियोजना समन्वयक, वित्त
31	दमोह	श्री कृष्ण कुमार अढ्या	सहायक परियोजना समन्वयक, वित्त
32	पन्ना	श्री वाय.एन. चतुर्वेदी	सहायक परियोजना समन्वयक, वित्त
33	छतरपुर	श्री एच.के. चतुर्वेदी	सहायक परियोजना समन्वयक, वित्त
34	टीकमगढ़	श्री सत्यप्रकाश खरे	सहायक परियोजना समन्वयक, वित्त
35	जबलपुर	श्री आर.के. खुरासिया	सहायक परियोजना समन्वयक, वित्त
36	कटनी	श्री अन्नीलाल मेहरा	सहायक परियोजना समन्वयक, वित्त
37	नरसिंहपुर	श्री प्रकाश चन्द्र साहू	सहायक परियोजना समन्वयक, वित्त
38	छिन्दवाड़ा	श्री एस.पी. साहू	सहायक परियोजना समन्वयक, वित्त
39	सिवनी	श्री एस.एन. चौधरी	सहायक परियोजना समन्वयक, वित्त
40	मंडला	श्री सी.एस. सोनी	सहायक परियोजना समन्वयक, वित्त
41	डिण्डौरी	श्री दीपक कुमार मरावी (कोष एवं लेखा)	सहायक परियोजना समन्वयक, वित्त
42	बालाघाट	श्री दुर्गेश नंदन हजारिया (कोष एवं लेखा)	सहायक परियोजना समन्वयक, वित्त
43	रीवा	श्री त्रयम्बक मणि मिश्र	सहायक परियोजना समन्वयक, वित्त
44	शहडोल	पद रिक्त	पद रिक्त
45	उमरिया	पद रिक्त	पद रिक्त
46	अनूपपुर	पद रिक्त	पद रिक्त
47	सीधी	श्री छबीलाल पटेल	सहायक परियोजना समन्वयक, वित्त
48	सतना	श्री रामलल्लू पटेल	सहायक परियोजना समन्वयक, वित्त
49	अलिराजपुर	पद रिक्त	पद रिक्त
50	सिंगरोली	पद रिक्त	पद रिक्त

प्रोग्रामर के भरे एवं रिक्त पदों की जानकारी

क्र०	जिले का नाम	नाम	पद का नाम
1	श्यापुर	श्री सुनील कुमार गुप्ता	प्रोग्रामर
2	मुरैना	पद रिक्त	पद रिक्त
3	भिण्ड	श्री हितेन्द्र शर्मा	प्रोग्रामर
4	ग्वालियर	पद रिक्त	पद रिक्त
5	शिवपुरी	पद रिक्त	पद रिक्त
6	गुना	श्री नईम कुरैशी	प्रोग्रामर
7	अशोकनगर	पद रिक्त	पद रिक्त
8	दतिया	श्री महेन्द्र परमार	प्रोग्रामर
9	देवास	पद रिक्त	पद रिक्त
10	रतलाम	पद रिक्त	पद रिक्त
11	शाजापुर	पद रिक्त	पद रिक्त
12	मंदसौर	श्री दिलीप सिंह	प्रोग्रामर
13	नीमच	श्री नरेश जोशी	प्रोग्रामर
14	उज्जैन	श्री संजीव कुमार भोजक	प्रोग्रामर
15	इंदौर	श्री धीरेन्द्र सिंह परिहार	प्रोग्रामर
16	धार	श्री अतुल सक्सेना	प्रोग्रामर
17	झाबुआ	पद रिक्त	पद रिक्त
18	खरगौन	पद रिक्त	पद रिक्त
19	बड़वानी	पद रिक्त	पद रिक्त
20	खण्डवा	पद रिक्त	पद रिक्त
21	बुरहानपुर	पद रिक्त	पद रिक्त
22	भोपाल	श्री गिरीश सक्सेना	प्रोग्रामर
23	सीहोर	पद रिक्त	पद रिक्त
24	रायसेन	श्री सुमनकांत जैन	प्रोग्रामर
25	राजगढ़	कु० दिशा श्रीवास्तव	प्रोग्रामर

26	विदिशा	श्रीमती सुमन तिवारी	प्रोग्रामर
27	बैतूल	श्री पीयूष अधोलिया	प्रोग्रामर
28	होशंगाबाद	पद रिक्त	पद रिक्त
29	हरदा	पद रिक्त	पद रिक्त
30	सागर	पद रिक्त	पद रिक्त
31	दमोह	पद रिक्त	पद रिक्त
32	पन्ना	श्री पीयूष रंजन श्रीवास्तव	प्रोग्रामर
33	छतरपुर	श्री सुबोध पाटनी	प्रोग्रामर
34	टीकमगढ़	श्री राशिद खान	प्रोग्रामर
35	जबलपुर	श्री विनय पाण्डे	प्रोग्रामर
36	कटनी	पद रिक्त	पद रिक्त
37	नरसिंहपुर	श्री राम प्रमोद पांडेय	प्रोग्रामर
38	छिन्दवाड़ा	पद रिक्त	पद रिक्त
39	सिवनी	श्री सुमन्त ताम्रकर	प्रोग्रामर
40	मंडला	श्री अनिल सामदेकर	प्रोग्रामर
41	डिण्डौरी	पद रिक्त	पद रिक्त
42	बालाघाट	पद रिक्त	पद रिक्त
43	रीवा	श्री सुनील पाठक	प्रोग्रामर
44	शहडोल	श्री मदर चौरसिया	प्रोग्रामर
45	उमरिया	पद रिक्त	पद रिक्त
46	अनूपपुर	पद रिक्त	पद रिक्त
47	सीधी	श्री आर. त्रिपाठी	प्रोग्रामर
48	सतना	श्री राजेश द्विवेदी	प्रोग्रामर
49	अलिराजपुर	पद रिक्त	पद रिक्त
50	सिंगरोली	पद रिक्त	पद रिक्त

प्रौढ शिक्षा

राज्य स्तर पर राज्य शिक्षा केन्द्र (प्रौढ शिक्षा इकाई) के अधीन कार्यरत अधिकारियों/कर्मचारियों का विवरण निम्नानुसार है—

क्र०	अधिकारी/कर्मचारी का नाम	पद नाम	पद श्रेणी
1	श्री मनोज झालानी	आयुक्त	आई.ए.एस.
2	श्री वाई.के.यादव	सहायक संचालक	राज्य प्रशासनिक सेवा
3	सुश्री कामना आचार्य	सहायक संचालक	राज्य प्रशासनिक सेवा
4	श्री आर.के. स्वर्णकार	सहायक संचालक	राज्य प्रशासनिक सेवा
5	श्री आर.बी. सक्सेना	सहा० सांख्यिकी अधिकारी	तृतीय श्रेणी
6	श्री धर्मेन्द्र कुमार मोरे	सहा० सांख्यिकी अधिकारी	तृतीय श्रेणी
7	श्रीमती जानकारी भरतेलिया	कार्यालय अधीक्षक	तृतीय श्रेणी
8	श्री के.व्ही. बलरानी	कार्यालय सहा. ग्रेड-1	तृतीय श्रेणी
9	श्री विनोद मनसोरिया	कार्यालय सहा. ग्रेड-1	तृतीय श्रेणी
10	श्री बी.पी. सराठे (पद विरुद्ध)	लेखापाल	तृतीय श्रेणी
11	श्री रंगनाथ द्विवेदी	कार्यालय सहा० ग्रेड-3	तृतीय श्रेणी
12	श्री अरविन्द तिवारी	आशुमुद्रण लिपिक	तृतीय श्रेणी
13	श्री राकेश तिवारी	वाहन चालक	तृतीय श्रेणी
14	श्री मांगीलाल अहिरवार पद विरुद्ध	वाहन चालक	तृतीय श्रेणी
15	श्री भीमसेन वर्मा	भृत्य	चतुर्थ श्रेणी
16	श्री भान सिंह गौड़	भृत्य	चतुर्थ श्रेणी

एस.सी.ई.आर.टी.

राज्य स्तर पर राज्य शिक्षा केन्द्र (एस.सी.ई.आर.टी.) की पद संरचना की जानकारी

क्र0	पदनाम	वेतनमान	स्वीकृत पद	कार्यरत	रिक्त
1	संचालक एस.सी.ई.आर.टी.	18400-22400	01	—	01
2	संचालक एसआईई (अपर संचालक)	14300-18300	01	01	—
3	उप प्राचार्य	10000-15200	01	01	—
4	प्राध्यापक	10000-15200	04	03	01
5	सहायक प्राध्यापक	8000-13500	12	12	—
6	व्याख्याता (शिक्षा महाविद्यालय स्तर)	8000-13500	09	08	01
7	कलाकार	6500-10500	01	01	—
8	संपादक	6500-10500	01	01	—
9	विषय विशेषज्ञ	8000-13500	01	01	—
10	समन्वयक	8000-13500	01	01	—
11	व्याख्याता (उ.मा.वि.)	5500-9000	01	01	—
12	उप संचालक (आईईडी)	10000-15200	01	—	01
13	समन्वयक (आईईडी)	8000-13500	01	01	—
14	अधीक्षक	5500-9000	01	01	—
15	सहायक अधीक्षक	4500-7000	01	01	—
16	सांख्यिकी अधिकारी	8000-13500	01	—	01
17	लेखाधिकारी	6500-10500	01	—	01
18	सहायक सांख्यिकी अधिकारी	5500-9000	02	01	01
19	ग्रंथपाल	4500-7000	01	01	—
20	वरिष्ठ स्टेनो	6500-10500	01	01	—
21	कनिष्ठ स्टेनो	4500-7000	01	01	—
22	उद्योग शिक्षक	5000-8000	02	02	—
23	लेखापाल	4000-6000	03	03	—
24	सहा. ग्रेड-2	4000-6000	03	03	—
25	सहा. ग्रेड-3	3050-4590	09	09	—
26	मैकेनिक	4000-6000	02	02	—
27	वाहन चालक	3050-4590	03	03	—
28	वाहन चालक (नियमित आक0 निधि)	3050-4590	02	02	—
29	दफ्तरि	2610-3540	02	02	—
30	भृत्य	2550-3200	08	07	01
31	भृत्य (नियमित आक0 निधि)	2550-3200	12	03	09
	कुल योग		91	73	18

राज्य स्तर पर राज्य शिक्षा केन्द्र (म० प्र० राज्य शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद) में कार्यरत अधिकारियों एवं कर्मचारियों का विवरण निम्नानुसार है—

क्र०	स्वीकृत पद	संख्या	अधिकारी/कर्मचारी का नाम	पद	वेतनमान
1	आयुक्त	01	श्री मनोज झालानी	आयुक्त	18400—22400
2	अपर संचालक	01	श्री ए.के. दीक्षित	अपर संचालक	14300—18300
3	उप प्राचार्य	01	श्री ए.के. डनायक	प्राचार्य उमावि	10000—15200
4	प्राध्यापक	04	श्री संजय पटवा	प्राचार्य उमावि	10000—15200
5	प्राध्यापक		श्री अशोक पारीख	प्राचार्य उमावि	10000—15200
6	प्राध्यापक		श्रीमती सुनयना दुबे	प्राचार्य उमावि	8000—13500
7	प्राध्यापक		एक पद रिक्त		
8	सहा० प्राध्यापक	12	श्री प्रकाश देव	प्राचार्य उमावि	8000—13500
9	सहा० प्राध्यापक		डॉ० श्रीमती यास्मीन खान	प्राचार्य उमावि	8000—13500
10	सहा० प्राध्यापक		श्रीमती रागिनी उपलपवार	प्राचार्य उमावि	8000—13500
11	सहा० प्राध्यापक		श्रीमती मधुलिका सक्सेना	प्राचार्य हा. स्कूल	7500—12000
12	सहा० प्राध्यापक		श्रीमती यूथिका नायडू	प्राचार्य उमावि	8000—13500
13	सहा० प्राध्यापक		श्रीमती शकुन्तला श्रीवास्तव	प्राचार्य हा. स्कूल	6500—10500
14	सहा० प्राध्यापक		श्रीमती कृष्णा रंजन	प्राचार्य उमावि	8000—13500
15	सहा० प्राध्यापक		श्री पी.एल.डोंगरे	व्याख्याता	5500—9000
16	सहा० प्राध्यापक		श्रीमती मीता गुप्ता	प्राचार्य हा.स्कूल	6500—10500
17	सहा० प्राध्यापक		श्रीमती प्रभा खत्री	व्याख्याता	6500—10500
18	सहा० प्राध्यापक		श्रीमती सुषमा भट्ट	व्याख्याता	6500—10500
19	सहा० प्राध्यापक		श्रीमती साधना यादव	प्राचार्य, हा.स्कूल	6500—10500
20	व्याख्याता (GCE स्तर)	09	श्रीमती रमा चौबे	व्याख्याता	6500—10500
21	व्याख्याता (GCE स्तर)		श्री बृजेश सक्सेना	प्राचार्य हा.स्कूल	6500—10500
22	व्याख्याता (GCE स्तर)		श्रीमती पूर्णिमा जोशी	व्याख्याता	5500—9000
23	व्याख्याता (GCE स्तर)		श्रीमती प्रभा अग्रवाल	व्याख्याता	5500—9000
24	व्याख्याता (GCE स्तर)		श्री संजय चंसोरिया	व्याख्याता	6500—10500
25	व्याख्याता (GCE स्तर)		श्रीमती नेहा हर्षे	व्याख्याता	5500—9000
26	व्याख्याता (GCE स्तर)		श्रीमती विभूति श्रीवास्तव	व्याख्याता	6500—10500
27	व्याख्याता (GCE स्तर)		श्रीमती शोभा शुक्ला	व्याख्याता	5500—9000
28	व्याख्याता (GCE स्तर)		एक पद रिक्त		
29	कलाकार	01	श्रीमती आभा गोरानी	व्याख्याता	6500—10500
30	संपादक	01	श्रीमती मीना बैस	प्राचार्य हा.स्कूल	6500—10500
31	विषय विशेषज्ञ	02	श्रीमती अर्चना भार्गव	व्याख्याता	5500—9000
32	विषय विशेषज्ञ		पद रिक्त		

33	समन्वयक	01	श्रीमती सीमा सक्सेना	व्याख्याता	5500-9000
34	व्याख्याता उमावि	01	श्री बी.बी.पी. गुप्ता	व्याख्याता	5500-9000
35	उप संचालक (आईईडी)	01	पद रिक्त		
36	समन्वयक (आईईडी)	01	श्री वासुदेव कुमार सिंह	व्याख्याता	5500-9000
37	अधीक्षक	01	श्रीमती विमला कुलपारिया	अधीक्षक	5500-9000
38	सहा० अधीक्षक	01	श्रीमती ज्योति विजयवर्गीय	सहा. ग्रेड-2	4000-6000
39	स्टेनोग्राफर	01	श्री आनंद राव खालकर	सहा. ग्रेड-2	4000-6000
40	सांख्यकीय अधिकारी	01	पद रिक्त		8000-13500
41	लेखाधिकारी	01	पद रिक्त		6500-10500
42	स्टेनो	01	श्रीमती सरोज बाला श्रीवास्तव	स्टेनो	4500-7000
43	ग्रंथपाल	01	श्रीमती उषा श्रीवास	ग्रंथपाल	4500-7000
44	सहा० सांख्यकी अधि.	02	श्री अशोक शर्मा	सहा. शि. विज्ञान	4000-6000
45	सहा० सांख्यकी अधि.		पद रिक्त		
46	उद्योग निर्देशक	02	श्री भोलाराम सूर्यवंशी	शिक्षक ईसीई	5000-8000
47			श्रीमती गायत्री तिवारी	शिक्षिका ईसीई	5000-8000
48	गणक	03	श्रीमती मीना शर्मा	गणक	4000-6000
49	गणक		श्रीमती एल सी थामस	गणक	4000-6000
50	गणक		श्री प्रभाकर पानथरे	गणक	4000-6000
51	मैकेनिक	02	श्री विजय सिंह	गणक	4000-6000
52	मैकेनिक		श्री नरेश बाबू नामदेव	गणक	4000-6000
53	सहायक ग्रेड-2	03	श्रीमती नसरिन इकबाल	सहा.ग्र.-2	4000-6000
54	सहायक ग्रेड-2		श्रीमती जूलिया रेंजल	सहा.ग्रे.-2	4000-6000
55	सहायक ग्रेड-2		श्री संजीव नायर	सहा. ग्रे.-2	4000-6000
56	सहायक ग्रेड-3	09	श्री राकेश वर्मा	सहा. ग्रे.-3	3050-4590
57	सहायक ग्रेड-3		श्री रमेश यादव	सहा. ग्रे.-3	3050-4590
58	सहायक ग्रेड-3		श्री जयंत विजयवर्गीय	सहा. ग्रे.-3	3050-4590
59	सहायक ग्रेड-3		श्री रमेश वर्मा	सहा. ग्रे.-3	3050-4590
60	सहायक ग्रेड-3		श्रीमती कविता गणेश	सहा. ग्रे.-3	3050-4590
61	सहायक ग्रेड-3		श्रीमती माधुरी डबराल	सहा. ग्रे.-3	3050-4590
62	सहायक ग्रेड-3		श्री एच.एन. विश्वकर्मा	सहा. ग्रे.-3	3050-4590
63	सहायक ग्रेड-3		श्रीमती उरुसा रेहान	सहा. ग्रे.-3	3050-4590
64	सहायक ग्रेड-3		श्री संतोष श्रीवास्तव	सहा. ग्रे.-3	3050-4590
65	वाहन चालक	03	श्री मोहम्मद इकबाल	वाहन चालक	3500-5200
66	वाहन चालक		श्री नजीबउल्ला खान	वाहन चालक	3050-5200
67	वाहन चालक		श्री अब्दुल अतीक	वाहन चालक	3500-5200
68	वाहन चालक (Contg)	02	श्री अर्जुन सिंह	वाहन चालक	3050-4590
69	वाहन चालक		श्री श्याम अत्रे	वाहन चालक	3050-4590

70	दफ्तरी	02	श्रीमती देवकी बाई	भृत्य	2550-3200
71			श्री राम सिंह	भृत्य	2550-3200
72	भृत्य	08	श्री गुटेनी सिंह	भृत्य	2610-3540
73	भृत्य		श्री मो0 नसीम	भृत्य	2750-4400
74	भृत्य		श्री सुनेश सेन	भृत्य	2550-3200
75	भृत्य		श्री महेश प्रसाद शर्मा	भृत्य	2550-3200
76	भृत्य		श्री मेहबूब खां	भृत्य	2550-3200
77	भृत्य		श्रीमती अनुसुइया बाई	भृत्य	2550-3200
78	भृत्य		श्री राजेन्द्र	भृत्य	2550-3200
79	भृत्य (Contg)	12	श्रीमती वीणा देवी	भृत्या	2550-3200
80	दैनिक वेतन भोगी भृत्य		श्री चन्दू खां	भृत्य	कलेक्टर दर
81	भृत्य		श्री श्याम सुन्दर वाजपेयी	भृत्य	कलेक्टर दर
			9 पद रिक्त		
	योग	91			

जिला स्रोत केन्द्र, (समस्त)

क्र0	पद का नाम	वेतनमान	स्वीकृत पद	कार्यरत	रिक्त
1	प्राचार्य	10000-15200	3	1	2
2	वरिष्ठ व्याख्याता	6500-10500	9	4	5
3	व्याख्याता	5500-9000	12	3	9
4	कम्प्यूटर प्रोग्रामर	5000-8000	3	0	3
5	ग्रंथपाल	4500-7000	3	0	3
6	डाटा एंट्री ऑपरेटर	3050-4590	3	0	3
7	गणक	4000-6000	3	0	3
8	सहायक ग्रेड-2	4000-6000	3	1	2
9	सहायक ग्रेड-3	3050-4590	3	1	2
10	भृत्य	2550-3200	9	2	7
	योग	-	51	12	39

जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान (समस्त)

क्र०	पद का नाम	वेतनमान	स्वीकृत पद	कार्यरत	रिक्त
1	प्राचार्य	10000-15200	42	25	17
2	प्रवाचक	8000-13500	190	93	97
3	वरिष्ठ व्याख्याता	6500-10500	168	112	56
4	व्याख्याता	5500-9000	332	211	121
5	कनिष्ठ व्याख्याता	5000-8000	210	108	102
6	प्रोग्रामर	5000-8000	42	26	16
7	गणक	4000-6000	42	33	9
8	सहायक ग्रेड-2	4000-6000	84	69	15
9	सहायक शिक्षक विज्ञान	4000-6000	42	31	11
10	सहायक ग्रेड-3	3050-4590	256	195	61
11	ग्रंथपाल	4500-7000	4	1	3
12	सांख्यिकी	5500-9000	4	2	2
13	डाटा एंट्री	3050-4590	8	0	8
14	भृत्य	2550-3200	252	218	34
15	भृत्य (आ.नि.)	2550-3200	152	76	76
	योग	—	1828	1200	628

शासकीय शिक्षा महाविद्यालय (07)

क्र०	पद का नाम	वेतनमान	स्वीकृत पद	कार्यरत	रिक्त
1	प्राचार्य	12000—16500	7	3	4
2	प्रवाचक	8000—13500	21	19	2
3	वरिष्ठ व्याख्याता	6500—10500	42	39	3
4	व्याख्याता	5500—9000	42	32	10
5	कनिष्ठ व्याख्याता	5000—8000	35	19	16
6	समन्वयक	8000—13500	7	7	0
7	सहायक अधीक्षक	4500—7000	7	1	6
8	ग्रंथपाल	4500—7000	7	5	2
9	प्रोग्रामर	5000—8000	7	3	4
10	प्रयोगशाला सहायक	4000—6000	14	9	5
11	लेखापाल / गणक	4000—6000	7	7	0
12	सहायक ग्रेड-3	3050—4590	21	19	2
13	भृत्य	2550—3200	70	58	12
14	वाहन चालक	3050—4590	7	2	5
	योग	—	294	223	71

नोट— शासकीय शिक्षा महाविद्यालय (IASE दर्जा प्राप्त) जबलपुर में माननीय न्यायालय के निर्णयानुसार पृथक (पूर्व) पद संरचना लागू है। अतः शिक्षा महाविद्यालय जबलपुर की जानकारी पृथक से दी जा रही है।

शासकीय शिक्षा महाविद्यालय जबलपुर

क्र०	पद का नाम	वेतनमान	स्वीकृत पद	कार्यरत	रिक्त
1	संचालक	12000-16500	1	1	—
2	सहायक प्राध्यापक	8000-13500	2	2	—
3	व्याख्याता महाविद्यालय	8000-13500	3	3	—
4	वर्कशाप अधीक्षक	8000-13500	1	1	—
5	भौतिकी शिक्षक	8000-13500	1	1	—
6	पीटी आई	5000-8000	1	1	—
7	मनोविज्ञान	5500-9000	1	1	—
8	व्याख्याता	5500-9000	4	4	—
9	उच्च श्रेणी शिक्षक	5000-8000	2	1	1
10	सहा. शिक्षक विज्ञान	4000-6000	9	6	3
11	ग्रंथपाल	4500-7000	1	1	—
12	स्टेनोग्राफर	4500-7000	1	1	—
13	लेखापाल	4000-6000	1	1	—
14	सांख्यिकी अधीक्षक	5500-9000	1	1	—
15	सहायक ग्रेड-2	4000-6000	3	—	3
16	सहायक ग्रेड-3	3050-4590	3	1	2
17	कर्मशाला उपस्थक	2550-3200	1	—	1
18	प्रयोगशाला उपस्थक	2750-4400	1	1	—
19	भृत्य	2550-3200	5	4	1
20	फर्राश	2550-3200	2	1	1
21	वाहन चालक	3050-4590	1	1	—
22	संगठक	3050-4590	1	—	1
23	क्लीनर	2550-3200	1	—	1
24	कन्टीजेंसी वाहन चालक	3050-4590	1	—	1

25	माली	2550-3200	1	—	1
26	स्वीपर	2550-3200	2	1	1
27	होस्टल सर्वेन्ट	2550-3200	2	2	—
28	चौकीदार	2550-3200	5	4	1
29	वाटर मैन	2550-3200	2	1	1
	योग	—	60	41	19

आंग्ल भाषा शिक्षण संस्थान, भोपाल

क्र०	पद का नाम	वेतनमान	स्वीकृत पद	कार्यरत	रिक्त
1	संचालक	12000-375-16500	1	0	1
2	मास्टर ऑफ मैथड्स	10000-325-15200	1	1	0
3	जूनि. मास्टर ऑफ मैथड्स	8000-275-13500	3	3	0
4	व्याख्याता	5500-175-9000	3	3	0
5	शीघ्रलेखक	5500-175-9000	1	1	0
6	लेखापाल	4000-100-6000	1	1	0
7	सहा० ग्रेड-3	3050-75-4590	2	2	0
8	ग्रंथपाल सहायक	3050-75-4590	1	1	0
9	नियमित भृत्य	2550-55-3200	5	5	0
	योग	—	18	17	01

शासकीय पूर्व प्राथमिक प्रशिक्षण संस्थान, जबलपुर

क्र०	पद का नाम	वेतनमान	स्वीकृत पद	कार्यरत	रिक्त
1	प्राचार्य	8000-13500	1	1	—
2	व्याख्याता	5500-9000	4	4	—
3	कनि० व्याख्याता	5000-8000	3	3	—
4	संगीत शिक्षक	5000-8000	1	1	—
5	क्राफ्ट शिक्षक	5000-8000	1	1	—
6	सहा० ग्रेड-2	4000-6000	1	1	—
7	सहा० ग्रेड-3	3050-4590	2	2	—
8	भृत्य	2550-3200	3	3	—
9	भृत्य आक. निधि	2550-3200	5	5	—
	योग	—	21	21	—

शासकीय शिक्षा मनोविज्ञान एवं संदर्शन महाविद्यालय जबलपुर

क्र०	पद का नाम	वेतनमान	स्वीकृत पद	कार्यरत	रिक्त
1	प्राचार्य	12000—16200	1	—	1
2	प्रवाचक (मनोविज्ञान)	8000—13500	3	2	1
3	वरि. व्याख्याता (मनोविज्ञान)	6500—10500	3	3	—
4	व्याख्याता (मनोविज्ञान)	5500—9000	3	3	—
5	कॉंसलर (मनोविज्ञान)	5000—8000	4	—	4
6	कनि. व्या. (मनोविज्ञान)	5000—8000	3	1	2
7	प्रोग्रामर	5000—8000	1	1	—
8	ग्रंथपाल	4500—7000	1	1	—
9	स्टेनो	4500—7000	1	—	1
10	मुख्य लिपिक	4500—7000	1	—	1
11	गणक	4000—6000	1	1	—
12	सहा. ग्रेड-3	3050—4950	4	4	—
13	लेब मैकनिक	3050—4950	2	1	1
14	लेब अटैण्डेंट	2750—4400	2	1	1
15	दफ्तरी	2610—3540	1	—	1
16	भृत्य	2550—3200	9	8	1
	योग	—	40	26	14

राज्य विज्ञान शिक्षा संस्थान, जबलपुर

क्र०	पद का नाम	वेतनमान	स्वीकृत पद	कार्यरत	रिक्त
1	संचालक	12000-16500	1	1	—
2	सहायक प्राध्यापक	8000-13500	2	2	—
3	व्याख्याता महाविद्यालय	8000-13500	3	3	—
4	वर्कशाप अधीक्षक	8000-13500	1	1	—
5	भौतिकी शिक्षक	8000-13500	1	1	—
6	पीटी आई	5000-8000	1	1	—
7	मनोविज्ञान	5500-9000	1	1	—
8	व्याख्याता	5500-900	4	4	—
9	उच्च श्रेणी शिक्षक	5000-8000	2	1	1
10	सहा. शिक्षक विज्ञान	4000-6000	9	6	3
11	ग्रंथपाल	4500-7000	1	1	—
12	स्टेनोग्राफर	4500-7000	1	1	—
13	लेखापाल	4000-6000	1	1	—
14	सांख्यिकी अधीक्षक	5500-9000	1	1	—
15	सहायक ग्रेड-2	4000-6000	3	—	3
16	सहायक ग्रेड-3	3050-4590	3	1	2
17	कर्मशाला उपस्थक	2550-3200	1	—	1
18	प्रयोगशाला उपस्थक	2750-4400	1	1	—
19	भृत्य	2550-3200	5	4	1
20	फर्राश	2550-3200	2	1	1
21	वाहन चालक	3050-4590	1	1	—
22	संगठक	3050-4590	1	—	1
23	क्लीनर	2550-3200	1	—	1
24	कन्टीजेंसी वाहन चालक	3050-4590	1	—	1

25	माली	2550-3200	1	—	1
26	स्वीपर	2550-3200	2	2	—
27	होस्टल सर्वेन्ट	2550-3200	2	2	—
28	चौकीदार	2550-3200	1	—	1
29	वाटर मैन	2550-3200	2	1	1
	योग	—	56	38	18

10- संस्था के अधिकारियों एवं कर्मचारियों की मासिक उपलब्धियों का विवरण तथा उन्हें मिलने वाले अन्य अनुकंपा अनुदानों का विवरण, जो नियमानुसार देय हो:
राज्य शिक्षा मिशन

पद संख्या	नाम एवं पद	मासिक उपलब्धि रू० में
1	Commissioner Post (1)	
	श्री मनोज झालानी, आई.ए.एस.	72825.00
1	Additional Commissioner Post (1)	
	श्री चन्द्रहास दुबे, आई.ए.एस.	65238.00
1	Additional Commissioner Post (1)	
	श्री रमेश चन्द्र भंडारी	36878.00
1	Manager Post (1)	
	श्री सतीश चन्द्र दुबे	37755.00
	Dy. Manager Post ()	
	श्री अनिल सिन्हा	26000.00
	श्रीमती तनुजा श्रीवास्तव	22000.00
	श्री देवभूषण प्रसाद	30115.00
	श्री रमेश पटौदा	27799.00
	श्री आर.सी.उपाध्याय	7005.00
	श्री सुधाकर पाराशर	23477.00
	Asstt. Manager Post ()	
	श्री एस.पी.श्रीवास्तव	20085.00
	श्रीमती उषा शर्मा	18003.00
	श्री उस्मान खान	17640.00
	श्री अरविन्द सिंह बुन्देला	17640.00
	श्री एम.आई. खान	17640.00
	श्री ए.एल. अहिरवार	23666.00

	श्री आलोक दुबे	22139.00
	श्री उमेश श्रीवास्तव	22203.00
	श्री जितेन्द्र ठेकेदार	17640.00
	Draftman Post ()	
	श्री शाकिर खान	9923.00
	Accountant Post ()	
	श्री रमेश राठौर	8820.00
	श्री विजय जैन	8820.00
	श्री संजय विजयवर्गीय	8820.00
	श्री मनोज देशमुख	8820.00
	Stenographer Post ()	
	श्री सनत कुमार	9923.00
	श्री सुनील श्रीवास्तव	14460.00
	श्री रविशंकर विश्वकर्मा	9923.00
	Clerk Post ()	
	श्रीमती लक्ष्मी रावत	6725.00
	श्रीमती कोंपल सक्सेना	6725.00
	श्रीमती प्रतिमा दुबे	6725.00
	श्री प्रमोद खरे	6725.00
	श्रीमती मीरा बाथम	6725.00
	श्रीमती मंजु तलवार	6725.00
	श्री राजेश शर्मा	6725.00
	श्री मुरलीधर शर्मा	6725.00
	श्री यागेन्द्र शर्मा	6725.00
	श्रीमती सीमा साकल्ले	6725.00
	श्री देवेन्द्र सिंह विष्ट	6725.00

	श्री अनूप शांडिल्य	6725.00
	Driver Post ()	
	श्री ताहिर अली	12091.00
	श्री किशोरी लाल	6725.00
	श्री सफदर	6725.00
	श्री मनमोहन रायकवार	6725.00
	श्री फैयाज खान	6725.00
	श्री राकेश मालवीय	6725.00
	श्री प्रीतम प्रजापति	6725.00
	श्री अब्दुल रउफ खान	6725.00
	श्री राजेन्द्र यादव	6725.00
	Lecturer Post ()	
	श्री महेन्द्र दवे	12128.00
	श्री प्रदीप मालवीय	12128.00
	श्री सुधीर गुप्ता	12128.00
	श्री संदीप दिवाकर	12128.00
	श्री राकेश दुबे	12128.00
	Programmer Post ()	
	श्री राजेश चौरसिया	21974.00
	श्री महेश मूलचंदानी	22670.00
	श्री नीरज सक्सेना	22976.00
	श्री देवेन्द्र सिंह सिसोदिया	22153.00
	श्री दीपक वर्मा	21974.00
	श्री शेखर सराठे	20534.00
	श्री पंकज श्रीवास्तव	14333.00
	श्री वैभव श्रीवास्तव	14333.00
	Data Entry Operator Post ()	
	श्री रमेश सिंह	8820.00

श्री सुनील सेन	8820.00
श्री संतोष सिंह	8820.00
श्रीमती भारती चौधरी	8820.00
श्री राजेश कपूर	8820.00
श्रीमती ज्योति श्रीवास्तव	8820.00
सुश्री दीपिका भार्गव	8820.00
श्री नीलेश सिटोके	8820.00
श्री अखिलेन्द्र सिंह परिहार	8820.00
श्री सुनील श्रीराव	8820.00
श्री सत्येन्द्र सिंह परिहार	8820.00
Peon Post ()	
श्री राजकुमार साकल्ले	5623.00
श्री पूरन सिंह	5623.00
श्रीमती मूला देवी	5623.00
श्री गोपीलाल	5623.00
श्री नरेश वर्मा	5623.00
श्री दिनेश कुशवाहा	5623.00
श्री ब्रजवासी कुशवाहा	5623.00
श्री रामनिवास	5623.00
श्री जगदीश हेमनानी	5623.00
श्री सुरेश ठाकुर	5623.00
श्री शकील अहमद	5623.00
श्रीमती भाग्यश्री मेहरुनकर	5623.00
श्री रामबाबू कटेरिया	5623.00
श्रीमती उमाबाई	5623.00
श्री बाबूलाल	5623.00
श्री रघुवीर सिंह	5623.00
श्री प्रमोद शर्मा	5623.00
श्री रामाश्रय कुशवाहा	5623.00
श्रीमती मीराबाई	5623.00

	Consultant Post ()	
	श्री पी.एस. अरोरा	40572.00
	श्री बी.एम. चौदहा	26460.00
	श्री एस.के.एस. रघुवंशी	22050.00
	श्री दीपक शर्मा	15000.00
	श्रीमती नीता जैन	14737.00
	श्री अमिताभ अनुरागी	14737.00
	डॉ. साधना सिंह	10000.00
	सुश्री सुमन सिंह	10000.00
	श्रीमती प्रमिला सिंह	10000.00
	श्रीमती शशि दिवाकर	10000.00
	श्री रवीन्द्र प्रसाद त्रिपाठी	10000.00
	श्री अशोक कुमार व्यास	10000.00
	डॉ. लोकेश खरे	10000.00
	श्री विकास मालवीय	10000.00

10.1 आयुक्त राज्य शिक्षा केन्द्र के अधिकारियों/कर्मचारियों के मासिक उपलब्धियों का विवरण तथा उन्हें मिलने वाले अन्य अनुकंपा अनुदानों का विवरण निम्नानुसार है—

10.2 अधिकारियों/कर्मचारियों को निम्न सुविधाएं भी प्रदान की जा रही हैं—

10.2.1 भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों द्वारा सामान्य भविष्य निधि में मूल वेतन के 7 प्रतिशत के बराबर राशि अंशदान की जाना अनिवार्य है।

10.2.2 कार्यालय के समस्त अधिकारी/कर्मचारियों की सामान्य भविष्य निधि में मूल वेतन के 12 प्रतिशत तथा मंहगाई भत्ते की राशि जो शासन अनिवार्य करें, अंशदान की जाना अनिवार्य है। वर्तमान में अंशदान की कुल दर मूल वेतन का 15 प्रतिशत निर्धारित है।

10.2.3 सभी शासकीय सेवकों की समूह बीमा योजना का लाभ उपलब्ध है जिसका श्रेणीवार विवरण निम्नानुसार है।

श्रेणी	समूह बीमा अंशदान की राशि	कुल अंशदान में से निर्धारित बीमा राशि	मृत्यु पर देय धन	कुल मासिक अंशदान में से निर्धारित बचत निधि राशि	बचत निधि पर ब्याज
भारतीय प्रशासकीय सेवा	120 प्रतिमाह	रु० 36.00	1,20,000	रु० 84.00	भारत सरकार द्वारा निर्धारित ब्याज दर
प्रथम श्रेणी	600 प्रतिमाह	रु० 210.00	7,50,000	रु० 390.00	8 प्रतिशत
द्वितीय श्रेणी	400 प्रतिमाह	रु० 140.00	5,00,000	रु० 260.00	8 प्रतिशत
तृतीय श्रेणी	200 प्रतिमाह	रु० 70.00	2,50,000	रु० 120.00	8 प्रतिशत
चतुर्थ श्रेणी	100 प्रतिमाह	रु० 35.00	1,25,000	रु० 65.00	8 प्रतिशत

10.2.4 उपरोक्त के अलावा समूह बीमा योजना—1985, जो दिनांक 30.06.2003 से बन्द की गई थी, में जमा बचत निधि की राशि शासन द्वारा समय सीमा पर निर्धारित ब्याज दर के साथ सेवा निवृत्ति अथवा मृत्यु पर देय है।

10.2.5 दिनांक 30.06.1985 को समाप्त की गई शासकीय सेवा परिवार कल्याण निधि योजना 1974 में जमा धन उस पर देय शासकीय अंशदान तथा शासन द्वारा समय सीमा पर स्वीकृत ब्याज दर के साथ शासकीय सेवकों की सेवा निवृत्ति अथवा मृत्यु पर देय।

- 10.2.6 प्रत्येक शासकीय सेवक उपलब्धता पर शासन द्वारा समय समय पर निर्धारित पात्रता अनुसार शासकीय आवास की पात्रता रखता है। शासकीय आवास आवंटन न होने पर शासन द्वारा निर्धारित दर से मकान किराया भत्ता प्राप्त करने की पात्रता है।
- 10.2.7 प्रत्येक शासकीय सेवक म.प्र. शासकीय सेवक (चिकित्सा परिचर्या नियम) 1958 के अंतर्गत शासकीय औषधालय में निःशुल्क चिकित्सा सुविधा प्राप्त करने की पात्रता रखता है। चिकित्सा उद्देश्य से दवाईयों के क्रय तथा कराई गई जांच के व्यय की प्रतिपूर्ति की जाती है। यह सुविधा कर्मचारियों के स्वयं एवं चिकित्सा परिचर्या नियम एवं परिभाषित परिवार के अन्य सदस्यों को प्रदान की जाती है। चिकित्सा उद्देश्य से लिये गये प्रायवेट वार्ड तथा इसी उद्देश्य से सुझाये गये आहार का निर्धारित व्यय भरती मरीजों के लिये प्रतिपूर्ति करने का भी प्रावधान है। विशेष परिस्थितियों में शासन स्वीकृति प्राप्त कर राज्य अन्दर कहीं भी अथवा राज्य के बाहर स्थित निजी क्षेत्र के अस्पतालों में भी चिकित्सा कराई जा सकती, जिसकी व्यय प्रतिपूर्ति का भी प्रावधान है।
- 10.2.8 प्रत्येक शासकीय सेवक शासन के नियमानुसार, जिनका वर्णन म.प्र. वित्तीय संहिता भाग-1 में किया गया है, मकान अथवा प्लॉट क्रय करने हेतु, कार, स्कूटर अथवा मोपेड तथा साईकिल क्रय करने हेतु शासन से निर्धारित मान अनुसार अग्रिम प्राप्त करने की पात्रता रखता है इस राशि पर शासन द्वारा निर्धारित दर से ब्याज देय है।
- 10.2.9 कतिपय श्रेणी के अधिकारी एवं कर्मचारी म.प्र. वित्तीय संहिता भाग-1 के प्रावधानों के अंतर्गत है। निर्धारित मासिक वेतन दर के अनुसार अग्रिम प्राप्त करने की पात्रता रखते हैं, जिस पर शासन द्वारा निर्धारित दर से ब्याज देय है। परन्तु त्यौहार अग्रिम के रूप में दी गई अग्रिम राशि पर शासन द्वारा ब्याज लिया जाता है।
- 10.2.10 आयुक्त राज्य शिक्षा केन्द्र एवं अन्य अधिकारियों को एक एक शासकीय वाहन कार्यालय कार्य हेतु आवंटित किया गया है। इस वाहन के लिये शासन के नियमानुसार प्रत्येक के वेतन से 250/- रुपये प्रतिमाह विविध वसूली की जाना निर्धारित है।
- 10.2.11 शासकीय कार्य की सुविधा की दृष्टि से आयुक्त राज्य शिक्षा केन्द्र को कार्यालय एवं निवास पर दूरभाष की सुविधा प्रदान की गई है। कार्यालयीन दूरभाष पर एस.टी.डी. एवं फैक्स सुविधा भी उपलब्ध है।

- 10.2.12 शासकीय कार्य की सुविधा की दृष्टि से राज्य शिक्षा केन्द्र में पदस्थ अधिकारियों को कार्यालय एवं निवास पर दूरभाष की सुविधा प्रदान की गई है।
- 10.2.13 सभी शासकीय सेवकों को नियमानुसार आवास आवंटन, अग्रिम जैसे अनाज, त्यौहार चिकित्सा आदि प्राप्त करने की पात्रता है।
- 10.2.14 सभी शासकीय अधिकारियों/कर्मचारियों को शासकीय कार्य से दौरे पर जाने पर म.प्र. यात्रा भत्ता नियमों के अन्तर्गत किराया एवं दैनिक भत्ता प्राप्त करने की पात्रता है।
- 10.2.15 इसके अतिरिक्त शासकीय सेवा से सेवानिवृत्त होने वाले अधिकारी/कर्मचारियों को पेंशन नियम एवं मूलभूत नियमों के अंतर्गत पेंशन, ग्रेच्युटी, अवकाश नगदीकरण आदि प्राप्त करने की पात्रता है।
- 10.2.16 शासकीय अधिकारियों/कर्मचारियों को मध्यप्रदेश शासकीय सेवा (पद ग्रहण कार्य) नियम 1982 के अंतर्गत स्थानांतरण पर कार्य ग्रहण काल प्राप्त करने की पात्रता है। यह अवधि उपरोक्त नियम में वर्णित अनुसार निर्धारित होती है।
- 10.2.17 अधिकारी/कर्मचारी को निलंबित किये जाने पर उसे जीवन निर्वाह हेतु म.प्र. मूल-भूत नियम 1934 के नियम 54 तथा इसके अंतर्गत जारी किये गये आदेशों के अंतर्गत जीवन निर्वाह भत्ता निर्धारित दर प्राप्त करने की पात्रता है।
- 10.2.18 सामान्यतः अधिकारी/कर्मचारी म.प्र. शासकीय सेवक (अवकाश) नियम 1977 के अंतर्गत वर्णित अवकाश प्राप्त करने की पात्रता रखता है। सामान्यतः वर्तमान में 30 दिन अर्जित अवकाश तथा 20 दिवस अर्ध. वेतन अवकाश प्रदान किया जाता है। अर्ध-वेतन अवकाश को सुविधा अनुसार पूर्ण वेतन वेतन में बदलने की सुविधा बीमारी के कारण से उपलब्ध है। इस अर्धवेतन अवकाश को अग्रिम रूप में अदेय अवकाश के रूप में भी प्राप्त किया जा सकता है। उपरोक्त के अलावा विशेष प्रकरणों में महिलाओं को दो जीवित बच्चों तक प्रसूति अवकाश प्राप्त करने की पात्रता है तथा पुरुषों को पितृत्व अवकाश दिया जाता है इसके अलावा शासकीय कार्य से संबंधित उच्च शिक्षा हेतु अवकाश पाने की पात्रता भी है।
- 10.2.19 प्रत्येक शासकीय सेवक को एक कलेण्डर वर्ष में 13 दिन का आकस्मिक अवकाश भी प्रदान किया जाता है। यह अवकाश आधे-आधे दिन के रूप में भी प्राप्त किया जा

- सकता है। उपरोक्त के अलावा शासन द्वारा घोषित तिथियों पर वर्ष में 3 दिवस का एच्छिक अवकाश भी प्राप्त होता है।
- 10.2.20 वाहन चालक एवं चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को वर्ष में दो वर्दिया तथा प्रत्येक तीन वर्ष में एक बार ऊनी वर्दी प्रदाय की जाती है। शासकीय कार्य से चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों को आने जाने के लिये सायकिल, बरसाती तथा छाता उपलब्ध कराया जाता है। यह व्यवस्था शासन के नियमानुसार की जाती है।
- 10.2.21 दिनांक 1.1.2005 के पूर्व नियुक्त हुये कर्मचारी के सेवा निवृत्ति पर प्रत्येक शासकीय सेवा मध्यप्रदेश सिविल सेवा (पेंशन) नियम 1976 के अधीन नियमों में उल्लेखनीय दर से पेंशन एवं उस पर शासन द्वारा समय समय पर घोषित राहत एवं अन्य सुविधायें आजीवन प्राप्त करने का अधिकारी है।
- 10.2.22 दिनांक 1.1.2005 के पूर्व नियुक्त कर्मचारी के सेवा निवृत्त पर प्रत्येक शासकीय सेवा मध्यप्रदेश सिविल सेवा (पेंशन) नियम 1976 के अधीन एक मुश्त उपदान राशि प्राप्त करने का अधिकार है, जो न्यूनतम 5 वर्ष की सेवा पूर्ण करने पर प्रत्येक छः माही सेवा के लिये 15 दिन के मूल वेतन एवं उस पर देय मंहगाई भत्ते के बराबर राशि होती है। इसकी अधिकतम सीमा साढ़े सोलह माह है। शासकीय सेवक की सेवा में रहते हुये मृत्यु होने पर 5 वर्ष की सेवा पूर्ण हो चुकी है तो न्यूनतम 12 माह की परिलब्धियों (मूल वेतन + उस पर देय मंहगाई भत्ते की राशि) के बराबर उपदान पाने की पात्रता रखता हैं।
- 10.2.23 दिनांक 1.1.2005 के पूर्व नियुक्त हुये कर्मचारी के शासकीय सेवक की सेवा में रहते हुये मृत्यु होने अथवा सेवा निवृत्ति उपरांत मृत्यु होने पर उसकी पत्नी एवं पेंशन नियमों में निर्धारित उम्र तक बच्चों को क्रमानुसार परिवार पेंशन पाने की पात्रता है। परिवार पेंशन की दर पेंशन नियम में उल्लिखित दरों के अनुसार निर्धारित की जाती है।
- 10.2.24 दिनांक 1.1.2005 या उसके बाद नियुक्त हुये अधिकारियों/कर्मचारियों पर वर्तमान पेंशन नियम 1976 लागू नहीं है। इन अधिकारियों/कर्मचारियों को मध्यप्रदेश शासन द्वारा इस उद्देश्य से स्थापित पेंशन निधि में शासन द्वारा भी निर्धारित दर से अंशदान करना होगा। इस निधि में कर्मचारी के पक्ष में शासन द्वारा भी निर्धारित दर से अंशदान किया जाएगा।

- 10.2.25 प्रत्येक सेवा निवृत्त शासकीय अधिकारी/कर्मचारी सेवा निवृत्ति पर उसके अवकाश लेखे में सेवा दिनांक को शेष अर्जित अवकाश को 240 दिन की अधिकतम सीमा में समर्पित कर उसके बदले में नगद राशि प्राप्त करने की पात्रता रखता है।
- 10.2.26 मृत शासकीय कर्मचारी को 6 माह के मूल वेतन अथवा अधिकतम रू0 25000/— दोनों में से जो कम हो, अनुग्रह अनुदान के रूप प्राप्त करने की पात्रता निर्धारित है।
- 10.2.27 मृत/सेवानिवृत्त शासकीय सेवकों को सेवा निवृत्ति पर गृह नगर तक जाने हेतु किराया एवं सामान ढुलाई व्यय की म0 प्र0 यात्रा भत्ता नियमों के अंतर्गत प्रतिपूर्ति।
- 10.2.28 उपरोक्त के अलावा ऐसी समस्त सुविधायें जो शासन द्वारा समय समय पर घोषित की जावेगी।

11— अधीनस्थ कार्यालय में उपलब्ध कराई जाने वाली राशि की प्रक्रिया :

राज्य शिक्षा मिशन

शिक्षा मिशन द्वारा संचालित सर्व शिक्षा अभियान, एन.पी.ई.जी.ई.एल., के.जी.बी.व्ही. के लिये भारत सरकार द्वारा स्वीकृत वर्ष 2005—06 की कार्ययोजना की राशि का 75 प्रतिशत केन्द्रांश मिशन को केन्द्र से सीधे तीन किशतों में प्राप्त होता है।

केन्द्रांश के अनुरूप 25 प्रतिशत राज्यांश राज्य सरकार द्वारा स्वीकृति उपरांत कोषालय के माध्यम से आहरित होकर मिशन को उपलब्ध होता है।

वर्ष 2005—06 में सर्व शिक्षा अभियान के लिए केन्द्रांश रू0 129305.50 एन.पी.ई.जी.ई.एल. रू. 12974.12 के.जी.बी.व्ही. रू. 1868.33 लाख के रूप में उपलब्ध कराई गई है।

पूर्व वर्ष का अनस्पेन्ट बैलेस यदि शेष हो उसमें भी इस वर्ष जिला कार्यालयों को उपलब्ध कराया गया है। उपरोक्त योजनाओं के विभिन्न घटकों के लिए जिला कार्यालयों में जिला शिक्षा केन्द्र को इलेक्ट्रानिक्स ट्रांसफर तथा बैंक ड्राफ्ट द्वारा राशि उपलब्ध कराई जाती है।

मिशन में कार्यरत अधिकारी/कर्मचारी के मासिक पारिश्रमिक का विवरण परिशिष्ट "1" , अगस्त 2005 तक जिला बार योजनावार उपलब्ध कराई गई राशि परिशिष्ट 1, 2, 3 संलग्न है। मिशन द्वारा संचालित प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना जिसकी राशि विशेष केन्द्रीय सहायता के रूप में राज्य शासन द्वारा उपलब्ध कराई जाती है। इस राशि से ग्रामीण क्षेत्र में संचालित प्राथमिक/माध्यमिक शाला के भवन निर्माण हेतु उपयोग करायी गई, इस हेतु 637.87 लाख मध्यान्ह भोजन के लिए विकास आयुक्त म.प्र. को उपलब्ध कराई गई शेष राशि रू0 825.

50 लाख की राशि से लगभग 254 प्राथमिक शाला भवन का लक्ष्य है। जिसकी प्रतिशाला लागत रू0 3.25 लाख परिशिष्ट 4 जिलेवार निर्मित शालाओं की जानकारी संलग्न है।

सर्व शिक्षा अभियान के लिए विभिन्न वित्तीय मापदण्ड अनुसार योजना के घटकों पर व्यय राशि की जाना है। उसका उल्लेख परिशिष्ट 5 के अनुसार किया जाना है।

एन.पी.ई.जी.ई.एल. के लिए विभिन्न घटकों पर व्यय की जाने वाली राशि की मार्गदर्शिका परिशिष्ट-6 अनुसार है।

सर्व शिक्षा अभियान में सबसे महत्व का घटक है पालक शिक्षक संघ। इसके माध्यम से योजना का अंतिम पायदान पर क्रियान्वयन हेतु जिला शिक्षा केन्द्र से सीधे पी.टी.ए. के बैंक खातों में राशि स्थानांतरित की जाती है, ताकि राशि के स्थानांतर में एवं योजना के लाभ में विलंब न हो शाला शिक्षा कोष में राज्य जिला केन्द्र द्वारा उपलब्ध राशि के अलावा भागीदारी से भी राशि उपलब्ध करायी जाती है। इस राशि के व्यय उपयोग निम्न घटकों पर किया जाता है। जिसका परिशिष्ट-7 संलग्न है।

सहायता अनुदान-

सर्व शिक्षा अभियान निम्न ए.जी.ओ. (अशासकीय संस्थाओं) द्वारा उन संस्थाओं पर जहां प्राथमिक शिक्षा की सुविधा उपलब्ध नहीं है उन स्थानों अथवा मजरे टोलों के लिए शालाएं संचालित की जा रही है।

1. अभिव्यक्ति, राज्य संसाधन केन्द्र, भोपाल.

2. आर.डी.एस.एस. सिलवानी, रायसेन

आर.डी.एस.एस. सिलवानी, रायसेन जिले में 10 प्राथमिक शालाएं संचालित की जा रही हैं।

वर्ष	आर.डी.एस.एस. सिलवानी	अभिव्यक्ति, एस.आर.सी.
2002-03	383193.00	296580.00
2003-04	407792.00	270459.00
2004-05	342091.00	342562.00

इन संस्थाओं द्वारा प्रति वर्ष संचालन हेतु बजट प्रस्ताव राज्य शिक्षा केन्द्र को प्रस्तुत किया जाता है। इस अनुदान राशि की स्वीकृति हेतु राज्य स्तर की अनुदान समिति जिसमें

भारत सरकार के एक अधिकारी उनके द्वारा अनुमोदित एक अशासकीय सदस्य भी मनोनीत है के द्वारा अनुमोदित किया जाता है।

इन संस्थाओं को अनुमोदन उपरांत राशि तीन किशतों में उपलब्ध कराई जाती है। प्रथम किशत 40 प्रतिशत द्वितीय किशत 30 प्रतिशत अंतिम किशत 30 प्रतिशत प्रत्येक किशत का उपयोगिता प्रमाण पत्र प्राप्त होने पर द्वितीय किशत जारी की जाती है।

प्रौढ शिक्षा

11.1 राज्य शासन द्वारा राज्य शिक्षा केन्द्र को अपने कार्य निष्पादन हेतु बजट के माध्यम से वित्तीय व्यवस्था की जाती है। बजट का अनुमोदन विधान सभा द्वारा कराया जाता है। विधान सभा द्वारा अनुमोदित बजट मध्यप्रदेश शासन वित्तीय विभाग द्वारा विभागाध्यक्ष को सम्पूर्ण म.प्र. में कार्य सम्पादन हेतु आवंटन जारी किया जाता है। उपरोक्त बजट आवंटन को आयुक्त राज्य शिक्षा केन्द्र भोपाल द्वारा अपने स्वयं के कार्यालय एवं अधीनस्थ जिला कार्यालयों के आहरण एवं संवितरण अधिकारियों को व्यय हेतु उपलब्ध कराया जाता है।

11.2 बजट से संबंधित निम्न विवरण कार्यालय अभिलेख में अवलोकन, पठन हेतु उपलब्ध होंगे—

- प्रत्येक वित्तीय वर्ष का अनुमोदित बजट अनुमान।
- प्रत्येक वित्तीय वर्ष का वित्त विभाग से प्राप्त बजट आवंटन।
- प्रत्येक वित्तीय वर्ष का जिला बजट।
- प्रत्येक वित्तीय वर्ष में अधीनस्थ आहरण एवं संवितरण अधिकारियों को आवंटित बजट।
- प्रत्येक वित्तीय वर्ष से संबंधित मासिक आय व्यय पत्रक एवं राज्य स्तर पर किया गया एकजाई व्यय विवरण।

11.3 प्रदेश में संचालित साक्षरता कार्यक्रमों के लिये राष्ट्रीय साक्षरता मिशन नई दिल्ली मानव संसाधन विकास मंत्रालय भारत सरकार द्वारा सतत शिक्षा कार्यक्रम के लिये प्रथम तीन वर्षों के शतप्रतिशत आवंटन एवं अंतिम दो वर्षों के लिये 50 प्रतिशत आवंटन उपलब्ध कराया जाता है। राज्य शिक्षा केन्द्र द्वारा वर्तमान में सतत शिक्षा के अंतर्गत प्रत्येक जिले में पुस्तकालयों एवं संस्कृति केन्द्र एवं विशेष महिला पढ़ना-बढ़ना कार्यक्रम चलाया जा रहा है।

11.4 राज्य स्तरीय कार्यालय के नियंत्रण में प्रदेश के 48 जिले अस्तित्व में है। जिन्हें सतत शिक्षा परियोजना संचालन के लिये वंटन का प्रदाय किया जाता है। वर्ष 2004-2005 में प्राप्त बंटन की स्थिति निम्नवत् है-

क्र.	योजना का नाम	वर्ष	सौंपा गया बंटन
1	सतत शिक्षा	2004-05	रूपये 1788.27 लाख

इसके पश्चात् भारत सरकार से वर्ष 2006-07, 2007-08 एवं 2008-09 में कोई बंटन प्राप्त नहीं हुआ है।

एस.सी.ई.आर.टी.

एस.सी.ई.आर.टी. वित्तीय वर्ष 2008-09 में किये गये बजट का प्रावधान

स.क्र.	योजना का नाम	वर्ष 2008-09
		प्राप्त राशि (लाखों में)
1	1502 डाइट्स	3693.11
2	3024-पीपीटीआई जबलपुर	35.93
3	3668-राज्य विज्ञान शिक्षा संस्थान जबलपुर	100.33
4	3694-राज्य शिक्षा केन्द्र, भोपाल	375.71
5	67-आंग्ल भाषा शिक्षण संस्थान, भोपाल	35.84
6	4402-सरकारी शिक्षा महाविद्यालय	808.44
7	6865-नवीन डाइट भवनों का निर्माण	0
8	3504-आईईडी	1977.75

12. सहायता अनुदान योजनाओं को लागू करने की नियमावली तथा आवंटित राशि एवं लाभान्वितों के विवरण:

राज्य शिक्षा केन्द्र

1. राज्य सरकार द्वारा प्रत्येक जिले में प्राइमरी तथा मिडिल स्कूलों के समूह के मिडिल स्कूलों में से एक मिडिल स्कूल को प्रारंभिक शिक्षा तथा प्रौढ़ शिक्षा की गुणवत्ता को सुधारने के लिए जनशिक्षा केन्द्र के रूप में अभिहित किया गया है। जन शिक्षा केन्द्र के 8 किलोमीटर के रेडियस के भीतर स्थित स्कूलों से प्राइमरी तथा मिडिल स्कूल के समूह का गठन होगा। जन शिक्षा केन्द्र, उसके क्षेत्र के समस्त स्कूलों के लिए गुणवत्ता वृत्त (सर्कल) के रूप में कार्य करता है। गुणवत्ता का प्रयोजन निम्नानुसार है—

- क) शिक्षकों में पारस्परिक शैक्षिक समर्थन प्रणाली स्थापित करना।
- ख) अध्यापन— सीखने की गुणात्मक कार्य पद्धति के आदान—प्रदान के लिए अवसर उपलब्ध कराना।
- ग) शैक्षणिक प्रक्रियाओं में आने वाली समस्याओं का समाधान करना।
- घ) मुख्य शिक्षा संबंधी विकास सूचकों जैसे नामांकन, प्रतिधारण, उपलब्धि, उपस्थिति, प्राथमिक से उच्च प्राथमिक तक स्तरोन्नति (ट्रांजीशन) अनामांकित बालकों की संख्या में कमी और स्कूल छोड़ने वाले बालकों (ड्रॉप आउट) की संख्या में कमी की समीक्षा तथा मूल्यांकन करना।
- ड.) ऊपर वर्णित समस्त सूचकों में साम्यता सुनिश्चित करना।
- च) शिक्षकों की अभिज्ञान की गई प्रशिक्षण संबंधी आवश्यकताओं के आधार पर शिक्षकों का प्रशिक्षण आयोजित करना।
- छ) स्कूलों को शैक्षणिक रूप से सहयोग देना।
- ज) शिक्षा प्रणाली का अनुश्रवण (मानीटर) करना तथा शैक्षिक सहयोग देना।
- झ) समुदाय तथा अभिभावक शिक्षक संघ के साथ समन्वय करना।
- ण) जन शिक्षा योजना तथा वार्षिक शैक्षणिक रिपोर्ट को संकलित करना।

ट) क्षेत्र की साक्षरता संबंधी गतिविधियों और शिक्षा की निरंतरता में समन्वय करना।

2. जन शिक्षा केन्द्र के नाम निर्देशन के लिए आदेश प्रारूप-7 में जारी किया जायेगा। राज्य सरकार यदि अपेक्षित हो तो राज्य शिक्षा केन्द्र को सहमति से जन शिक्षा केन्द्र के अधीन आने वाले स्कूलों के समूह को पुनः क्रमांकित कर सकेगी।
3. जन शिक्षा केन्द्र का प्रधान, संबंधित स्कूल का प्रधान अध्यापक अथवा प्रभारी प्रधान अध्यापक होगा और जनशिक्षा प्रभारी के रूप में अभिहित किया जायेगा।
4. जन शिक्षा केन्द्र, जनपद शिक्षा केन्द्र के मार्गदर्शन के अधीन कार्य करेगा। जन शिक्षा प्रभारी और जन शिक्षक, जनपद शिक्षक केन्द्र समन्वयक के प्रति उत्तरदायी होगा।
5. जन शिक्षक तथा जन शिक्षा प्रभारी की मासिक बैठकें जनशिक्षा केन्द्र में आयोजित की जायेगी। जन शिक्षा प्रभारी, जनपद शिक्षा केन्द्र समन्वयक के परामर्श से जनशिक्षक का स्कूल पर्यवेक्षण कार्यक्रम अनुमोदित करेगा। जन शिक्षक अपनी स्कूल पर्यवेक्षण रिपोर्ट, जन शिक्षा प्रभारी और जनपद शिक्षा केन्द्र समन्वयक को प्रस्तुत करेगा/करेगी। समान बिन्दुओं तथा स्कूल संबंधी विशिष्ट बिन्दुओं को सामने लाने के लिए जन शिक्षक और जन शिक्षा प्रभारी द्वारा स्कूल पर्यवेक्षण रिपोर्ट का विश्लेषण किया जायेगा। इन विषयों को मासिक बैठक के लिए कार्यसूची के विषयों के रूप में सम्मिलित किया जायेगा। उन विषयों पर जिनका जन शिक्षा केन्द्र स्तर पर समाधान नहीं हो सकता, जनपद शिक्षा केन्द्र में विचार-विमर्श किया जायेगा।
6. जन शिक्षा प्रभारी, प्रशासनिक तथा वित्तीय उत्तरदायित्वों के अतिरिक्त निम्नलिखित कृत्यों के लिए उत्तरदायी होगा।

क) समस्त बालकों के सीखने के स्तर की गुणवत्ता में सुधार करने के लिए प्रत्येक प्रयास करना।

ख) जन शिक्षा केन्द्र के अधीन आने वाले स्कूलों के ग्राम शिक्षा रजिस्टर को अद्यतन करने में सहायता करना।

ग) जन शिक्षा केन्द्र के अधीन आने वाले सभी स्कूलों का नियमित पर्यवेक्षण सुनिश्चित करना।

- घ) जनशिक्षा केन्द्र के अधीन आने वाले स्कूलों की जन शिक्षा योजना को संकलित करके जन शिक्षा केन्द्र के लिए वार्षिक योजना तैयार करना और उस जनपद शिक्षा केन्द्र को प्रस्तुत करना।
- ड.) जन शिक्षा केन्द्र के अधीन आने वाले शिक्षा गारंटी स्कूलों/प्राइमरी/मिडिल स्कूलों के बीच समन्वय करना।
- च) जनशिक्षा केन्द्र के अधीन आने वाले प्राइमरी स्कूलों के शिक्षकों की मासिक बैठक आयोजित करना।
- छ) गुणवत्ता शिक्षा को सुनिश्चित करने के लिए जनशिक्षा केन्द्र के कार्यक्षेत्र के अधीन आने वाले स्कूलों को शैक्षिक सहयोग देने वाली गतिविधियों का समन्वय करना।
- ज) जनशिक्षा केन्द्र के स्कूल शिक्षकों की प्रशिक्षण संबंधी आवश्यकताओं कार्यक्रम आयोजित करने में समन्वय करना।
- झ) जनशिक्षा केन्द्र के कार्यक्षेत्र के अधीन आने वाले समस्त प्राइमरी स्कूल/शिक्षा गारंटी स्कूल/मिडिल स्कूल की वार्षिक शैक्षणिक रिपोर्ट संकलित करना।
- ट) मिडिल स्कूलों में अध्यापन के विषयवार कठिन बिन्दुओं की पहचान करने तथा उन्हें ध्यान में लाने में जनपद शिक्षा केन्द्र/जनपद शिक्षा केन्द्र समन्वयक के साथ समन्वय करना।
- ठ) जन शिक्षा केन्द्र के अधीन आने वाले प्राइमरी तथा शिक्षा गारंटी स्कूलों के लेखाओं की वार्षिक संपरीक्षा करना।
- ड) जनशिक्षा केन्द्र में तथा जन शिक्षा केन्द्र के अधीन आने वाली प्राइमरी स्कूलों में पदस्थ शिक्षकों का आकस्मिक अवकाश मंजूर करना।
- ढ) अवकाश की अथवा किन्हीं अन्य स्थितियों में शिक्षकों की अनुपस्थिति का कालावधि के दौरान जनशिक्षा केन्द्र के कार्यक्षेत्र के अधीन आने वाले प्राइमरी स्कूलों में अध्यापन के लिए वैकल्पिक प्रबंध करना।
- ण) जनशिक्षक के प्रस्तावित स्कूल पर्यवेक्षण कार्यक्रम को जनपद शिक्षा केन्द्र समन्वयक के परामर्श से अनुमोदित करना।

- त) जनशिक्षक की स्कूल, पर्यवेक्षण रिपोर्ट का पुनर्विलोकन करना, जनशिक्षक की मासिक बैठकों की कार्यसूची में दिए जाने वाले विषयों का अभिज्ञान करना, बैठकों में विषयों पर विचार-विमर्श करना और हल सुझाना।
- थ) जनशिक्षा केन्द्र के कार्यक्षेत्र के अधीन आने वाले प्राइमरी स्कूलों में पदस्थ शिक्षकों के यात्रा तथा चिकित्सा भत्तों को प्रमाणित करना।
- द) प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रमों के क्रियान्वयन का समन्वय करना।
- ध) ग्राम/वार्ड की शिक्षा समितियों तथा जन शिक्षा केन्द्र के कार्यक्षेत्र के अधीन आने वाले स्कूलों के अभिभावक शिक्षक संघ के वार्षिक प्रशिक्षण की व्यवस्था करना।
- न) जानकारी के आदान-प्रदान के लिए उत्तरदायी होना।
- प) जनपद शिक्षा केन्द्र/जिला शिक्षा केन्द्र द्वारा समय समय पर जनशिक्षा केन्द्र प्रभारी को सौंपे गये कार्यों को निष्पादित करना।
7. जन शिक्षा केन्द्र के कार्यक्षेत्र के अधीन आने वाले मिडिल स्कूलों के प्रधान अध्यापक/प्रभारी प्रधान अध्यापक, उनके स्कूल के प्रशासनिक तथा वित्तीय शक्तियों के लिए उत्तरदायी होंगे। उनकी वही प्रशासनिक तथा वित्तीय शक्तियां होंगी, जैसी जनशिक्षा प्रभारी की उसके स्कूल के लिए हैं।
8. जन शिक्षा केन्द्र सतत शिक्षा तथा पढ़ना बढ़ना संघ/नोडल पढ़ना-बढ़ना संघ जैसी साक्षरता संबंधी गतिविधियों का समन्वय करेगा।

प्रौढ़ शिक्षा—

इस कार्यालय द्वारा वर्तमान में कोई सहायता अनुदान राशि स्वीकृत करने का प्रावधान नहीं है।

एस.सी.ई.आर.टी.

सहायता अनुदान

1. एन.पी.ई.जी.ई.एल. योजना अन्तर्गत शैक्षिक रूप से पिछड़े विकासखण्डों में निःशुल्क गणवेश वितरण बालिकाओं को किया जाने का प्रावधान है। पालक शिक्षक संघ द्वारा स्थानीय स्तर पर कपड़े/गणवेश का प्रावधान है।

2. सर्व शिक्षा अभियान कार्यक्रम में प्राथमिक स्तर के छात्र-छात्राओं एवं माध्यमिक स्तर के समस्त बालिकाओं एवं एस.सी./एस.टी. बालकों तथा गरीबी रेखा से नीचे पिछड़े परिवारों के बच्चों को निशुल्क पाठ्य पुस्तक प्रदाय की जाती है। जन शिक्षा अधिनियम, 2002 के तहत पी.टी.ए. द्वारा म.प्र. पाठ्य पुस्तक निगम द्वारा मुद्रित कराकर जिला शिक्षा केन्द्रों को नियंत्रण एवं दिशा-निर्देशों में प्रदेश के समस्त शासकीय प्राथमिक/माध्यमिक शालाओं में पाठ्य पुस्तक उपलब्ध कराई जाती हैं। जहां पी.टी.ए. द्वारा शाला में अध्ययनरत छात्र/छात्राओं को वितरित।

3. शाला आकस्मिक निधि :

सर्व शिक्षा अभियान अन्तर्गत प्रदेश के समस्त शासकीय प्राथमिक एवं माध्यमिक शालाओं को आकस्मिक व्यय प्रतिशाला रू0 2000/- दिया जाना प्रावधानित है। प्रावधानित राशि के बजट आवंटन राज्य शिक्षा केन्द्र से सीधे जिला शिक्षा केन्द्र को उपलब्ध कराये जाते हैं। इसी अनुक्रम में प्रत्येक शाला में गठित पालक शिक्षक संघ के शाला शिक्षा कोष में यह राशि, जिला शिक्षा केन्द्र द्वारा उनके खाते में स्थानांतरित की जाती है। जिसका व्यय पालक शिक्षक द्वारा निर्धारित प्रक्रिया के तहत किया जाता है।

शिक्षक ग्रांट :

सर्व शिक्षा अभियान अन्तर्गत प्रदेश के समस्त शासकीय प्राथमिक शाला एवं माध्यमिक शाला में कार्यरत- शिक्षकों को रू0 500/- प्रति शिक्षक के मान से राशि का प्रावधान रखा गया है। यह राशि राज्य शिक्षा केन्द्र से जन शिक्षा केन्द्र को भेजी जाती है। जिला शिक्षा केन्द्र से सीधे राशि शाला शिक्षा कोष में स्थानांतरित की जाती है। इस राशि से शिक्षकों द्वारा शैक्षणिक सामग्री तैयार की जाती है।

13- संस्था द्वारा रियायतों, परमिट या अधिकार पत्र प्राप्तकर्ताओं का विवरण-

राज्य शिक्षा केन्द्र-

इस कार्यालय द्वारा रियायतों, परमिट या अधिकार पत्र प्रदाय करने की सुविधा प्रदान नहीं की जाती है।

प्रौढ शिक्षा -

इस कार्यालय द्वारा रियायतों, परमिट या अधिकार पत्र प्रदाय करने की सुविधा प्रदान नहीं की जाती है।

एस.सी.ई.आर.टी.—

इस कार्यालय द्वारा रियायतों, परमिट या अधिकार पत्र प्रदाय करने की सुविधा प्रदान नहीं की जाती है।

14— संस्था द्वारा उपलब्ध कराई जाने वाली जानकारी अथवा संस्था के पास उपलब्ध जानकारी के विवरण जो इलेक्ट्रानिक फार्म में परिवर्तित किये गये हैं की जानकारी:—

राज्य शिक्षा केन्द्र—

राज्य शिक्षा केन्द्र द्वारा प्रारंभिक शिक्षा के लिये गतिविधियां संचालित की जाती है। प्रारंभिक शिक्षा के तहत संचालित गतिविधियों के लिये राज्य शिक्षा केन्द्र द्वारा अपने अधीनस्थ जिला कार्यालय से आंकड़े प्राप्त कर एकजाई रूप में संकलित किये जाते हैं। भारत सरकार द्वारा समय समय पर चाही गई जानकारीयां भेजी जाती हैं। राज्य शिक्षा केन्द्र मूल रूप से सर्व शिक्षा अभियान, बालिकाओं की प्रारंभिक स्तर तक की शिक्षा के लिये राष्ट्रीय कार्यक्रम, कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय, सतत शिक्षा, शिक्षक प्रशिक्षण, शिक्षक शिक्षा से संबंधित गतिविधियां संचालित की जाती हैं।

जिलावार उक्त गतिविधियों की प्रगति की जानकारी संकलित की जाती है—

1. जिलावार 5 – 14 आयु वर्ग के बच्चों, दर्ज बच्चों, शाला से बाहर बच्चों की संख्या।
2. जिलावार शालाओं की संख्या।
3. जिलावार शिक्षकों की संख्या।
4. जिलावार प्राथमिक एवं माध्यमिक बोर्ड परीक्षाओं के परिणाम।
5. जिलावार संचालित शिशु शिक्षा केन्द्र की संख्या।
6. जिलावार स्वीकृत निर्माण कार्यों की स्थिति।
7. जिलावार कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय की जानकारी।
8. जिलावार ग्रामीण पुस्तकालयों की संख्या।
9. जिलावार प्रदान किया गया बजट एवं उसके साथ व्यय की जानकारी।

लक्ष्य वार्षिक कार्ययोजना की स्वीकृति के आधार पर तय किये जाते हैं। विभिन्न गतिविधियों से संबंधित जारी निर्देश राज्य शिक्षा केन्द्र की वेबसाइट www.ssa.mp.gov.in पर भी प्रदर्शित की जाती है।

प्रौढ शिक्षा

राज्य शिक्षा केन्द्र द्वारा भारत सरकार से साक्षरता संबंधी योजनाओं को संचालित किया जाता है। इस उद्देश्य हेतु राज्य एवं जिला स्तर पर जिला साक्षरता समितियों का गठन किया गया है। इन समितियों में जिले में कुल निरक्षरों की संख्या, नवसाक्षरों की संख्या, कुल साक्षरता दर, पुरुष साक्षरता दर, महिला साक्षरता दर आदि की जानकारी उपलब्ध है। जो कि आम जनता को उपलब्ध कराई जाती है।

एस.सी.ई.आर.टी.

संस्थाओं को बजट आवंटन शासन द्वारा निर्धारित प्रक्रियानुसार आयुक्त कोष एवं लेखा के माध्यम से जिला कोषालयों को भेजा जाता है एवं अधीनस्थ संस्थाओं को आवंटित बजट की हार्डकॉपी भेजी जाती है।

15- नागरिकों को जानकारी प्राप्त करने हेतु उपलब्ध कराई गई सुविधाओं का विवरण, जिसमें ग्रंथालय या रीडिंग रूम का उल्लेख हो :

राज्य स्तर पर राज्य शिक्षा केन्द्र तथा जिलों में स्थित जिला शिक्षा केन्द्रों व जनपद स्तर पर जनपद शिक्षा केन्द्र कार्यालयों में नागरिकों के पठन हेतु वांछित जानकारियां उपलब्ध कराई जायेगी। जानकारी पठन के लिये संबंधित अधिकारी की पूर्व अनुमति लेनी होगी। राज्य शिक्षा केन्द्र में जानकारी पठन की सुविधा राज्य शिक्षा केन्द्र स्थित पुस्तकालय/वाचनालय में की जायेगी। जिला व जनपद स्तर पर संबंधित अधिकारी द्वारा सुविधाजनक तरीके से बैठने की व्यवस्था कर जानकारी प्रदान करने का प्रयास किया जायेगा।

16— जन सूचना अधिकारियों के नाम, पदनाम एवं अन्य विवरण :

मध्यप्रदेश शासन
स्कूल शिक्षा विभाग
मंत्रालय वल्लभ भवन, भोपाल

:: आदेश ::

क्रमांक एफ 16-17/05/20-4

भोपाल, दिनांक - 5.10.2005

सामान्य प्रशासन विभाग, मध्यप्रदेश शासन के आदेश क्रमांक एफ 11-11 /05 /1 /9 भोपाल, दिनांक-20.06.2005 द्वारा राज्य में सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के क्रियान्वयन हेतु राज्य शिक्षा केन्द्र के अधीन विभिन्न प्रशासनिक इकाईयों के लिए अधिनियम की धारा-5 की उपधारा-1 के तहत लोक सूचना अधिकारी, उपधारा-2 के तहत सहायक लोक सूचना अधिकारी एवं धारा 19 की उपधारा 1 के तहत अपीलीय अधिकारी का नामांकन एतद् द्वारा निम्नानुसार किया जाता है:-

क्र	कार्यालय का नाम	लोक सूचना अधिकारी का नाम एवं पद	सहायक लोक सूचना अधिकारी का नाम एवं पद	अपीली प्राधिकारी का नाम एवं पद
1.	राज्य शिक्षा केन्द्र, पुस्तक भवन, अरेरा हिल्स, भोपाल	श्री जे.सी. भट्ट अपर मिशन संचालक, राज्य शिक्षा केन्द्र, भोपाल	श्री संदीप कपूर मीडिया अधिकारी राज्य शिक्षा केन्द्र, भोपाल	श्रीमती नीलम राव, संचालक राज्य शिक्षा केन्द्र, भोपाल
2	शासन स्तर पर	उप सचिव (संबंधित)	अवर सचिव (समन्वय)	सचिव

2/ उपरोक्तानुसार नामांकित लोक सूचना अधिकारी एवं सहायक लोक सूचना अधिकारी सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 में निहित प्रावधानों के अनुसार अपने कर्तव्यों का निर्वहन करेंगे।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

(एस.के.वर्मा)
उप सचिव
मध्यप्रदेश शासन
स्कूल शिक्षा विभाग.

राज्य शिक्षा केन्द्र

पुस्तक भवन, बी विंग, अरेरा हिल्स, भोपाल- 462011

:: आदेश ::

क्रमांक राशिके / 2008 / 3257

भोपाल, दिनांक-26.05.08

सामान्य प्रशासन विभाग, मध्यप्रदेश शासन के आदेश क्रमांक एफ 11-11/05/1/9 भोपाल, दिनांक 20.06.2005 द्वारा राज्य में सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के क्रियान्वयन हेतु राज्य शिक्षा केन्द्र के अधीन विभिन्न प्रशासनिक इकाईयों के लिए अधिनियम की धारा-05 की उपधारा-1 के तहत लोक सूचना अधिकारी, उपधारा-2 के तहत सहायक लोक सूचना अधिकारी एवं धारा 19 की उपधारा-1 के तहत अपीलीय अधिकारी का नामांकन एतद् द्वारा निम्नानुसार किया जाता है:-

क्र.	कार्यालय का नाम	लोक सूचना अधिकारी का नाम एवं पद	सहायक लोक सूचना अधिकारी का नाम एवं पद	अपीलीय प्राधिकारी का नाम एवं पद
1	राज्य शिक्षा केन्द्र राजीव गांधी शिक्षा मिशन, पुस्तक भवन, अरेरा हिल्स, भोपाल	श्री आर.के.स्वर्णकार सहायक संचालक राज्य शिक्षा केन्द्र, भोपाल	श्री सुधाकर पाराशर सहायक प्रबंधक राज्य शिक्षा केन्द्र, भोपाल	श्री राजेश जैन, अपर मिशन संचालक राज्य शिक्षा केन्द्र, भोपाल
2	राज्य शिक्षा केन्द्र राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद, (एस.सी.ई. आर.टी.) पुस्तक भवन, अरेरा हिल्स, भोपाल	श्री ए.के. डनायक प्राध्यापक एस.सी.ई.आर.टी. भोपाल	श्रीमती मीना बैस सहायक प्राध्यापक एस.सी.ई.आर.टी. भोपाल	श्री ए.के.दीक्षित अपर संचालक एस.सी.ई.आर.टी. राज्य शिक्षा केन्द्र, भोपाल

2/- उपरोक्तानुसार नामांकित लोक सूचना अधिकारी एवं सहायक लोक सूचना अधिकारी सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 में निहित प्रावधानों के अनुसार अपने कर्तव्यों का निर्वहन करेंगे।

आयुक्त

राज्य शिक्षा केन्द्र

भोपाल, दिनांक-26.05.

पृ.क्र. / राशिके / 2008 / 3258

08

प्रतिलिपि-

1. प्रमुख सचिव, स्कूल शिक्षा, मध्यप्रदेश शासन, मंत्रालय वल्लभ भवन, भोपाल की ओर सूचनार्थ.
2. सचिव, स्कूल शिक्षा, मध्यप्रदेश शासन, मंत्रालय वल्लभ भवन, भोपाल की ओर सूचनार्थ.
3. समस्त संबंधित अधिकारियों की ओर उपरोक्तानुसार सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित.

आयुक्त

राज्य शिक्षा केन्द्र

राज्य शिक्षा केन्द्र

पुस्तक भवन, बी विंग, अरेरा हिल्स, भोपाल- 462011

:: आदेश ::

क्रमांक राशिके / 2008 /

8399

भोपाल, दिनांक-26.11.08

सामान्य प्रशासन विभाग, मध्यप्रदेश शासन के आदेश क्रमांक एफ 11-11/05/1/9 भोपाल, दिनांक 20.06.2005 द्वारा राज्य में सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के क्रियान्वयन हेतु राज्य शिक्षा केन्द्र के अधीन विभिन्न प्रशासनिक इकाईयों के लिए अधिनियम की धारा-05 की उपधारा-1 के तहत लोक सूचना अधिकारी, उपधारा-2 के तहत सहायक लोक सूचना अधिकारी एवं धारा 19 की उपधारा-1 के तहत अपीलीय अधिकारी का नामांकन एतद् द्वारा निम्नानुसार किया जाता है:-

क्र.	कार्यालय का नाम	लोक सूचना अधिकारी का नाम एवं पद	सहायक लोक सूचना अधिकारी का नाम एवं पद	अपीलीय प्राधिकारी का नाम एवं पद
1	राज्य शिक्षा केन्द्र राजीव गांधी शिक्षा मिशन, पुस्तक भवन, अरेरा हिल्स, भोपाल	श्री आर.के.स्वर्णकार सहायक संचालक राज्य शिक्षा केन्द्र, भोपाल	श्री सुधाकर पाराशर सहायक प्रबंधक राज्य शिक्षा केन्द्र, भोपाल	श्री ए.के.दीक्षित अपर संचालक एस.सी.ई.आर.टी. राज्य शिक्षा केन्द्र, भोपाल

2/- उपरोक्तानुसार नामांकित लोक सूचना अधिकारी एवं सहायक लोक सूचना अधिकारी सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 में निहित प्रावधानों के अनुसार अपने कर्तव्यों का निर्वहन करेंगे।

आयुक्त

राज्य शिक्षा केन्द्र

भोपाल, दिनांक-26.11.08

पृ.क्र./राशिके / 2008 /

8400

प्रतिलिपि-

1. प्रमुख सचिव, स्कूल शिक्षा, मध्यप्रदेश शासन, मंत्रालय वल्लभ भवन, भोपाल की ओर सूचनार्थ.
2. सचिव, स्कूल शिक्षा, मध्यप्रदेश शासन, मंत्रालय वल्लभ भवन, भोपाल की ओर सूचनार्थ.
3. समस्त संबंधित अधिकारियों की ओर उपरोक्तानुसार सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित.

आयुक्त

राज्य शिक्षा केन्द्र

राज्य शिक्षा केन्द्र

पुस्तक भवन, बी विंग, अरेरा हिल्स, भोपाल- 462011

:: आदेश ::

क्रमांक राशिके / 2008 / 5777

भोपाल, दिनांक-23.12.08

राज्य शिक्षा केन्द्र के आदेश क्र./राशिके/08/8399 दिनांक 28.11.08 को एतद् द्वारा निरस्त किया जाता है। सामान्य प्रशासन विभाग, मध्यप्रदेश शासन के आदेश क्रमांक एफ 11-11/05/1/9 भोपाल, दिनांक 20.06.2005 द्वारा राज्य में सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के क्रियान्वयन हेतु राज्य शिक्षा केन्द्र के अधीन विभिन्न प्रशासनिक इकाईयों के लिए अधिनियम की धारा-05 की उपधारा-1 के तहत लोक सूचना अधिकारी, उपधारा-2 के तहत सहायक लोक सूचना अधिकारी एवं धारा 19 की उपधारा-1 के तहत अपीलीय अधिकारी का नामांकन एतद् द्वारा निम्नानुसार किया जाता है:-

क्र.	कार्यालय का नाम	लोक सूचना अधिकारी का नाम एवं पद	सहायक लोक सूचना अधिकारी का नाम एवं पद	अपीलीय प्राधिकारी का नाम एवं पद
1	राज्य शिक्षा केन्द्र राजीव गांधी शिक्षा मिशन, पुस्तक भवन, अरेरा हिल्स, भोपाल	श्री आर.के.स्वर्णकार सहायक संचालक राज्य शिक्षा केन्द्र, भोपाल	श्री सुधाकर पाराशर सहायक प्रबंधक राज्य शिक्षा केन्द्र, भोपाल	श्री रमेश भंडारी अपर संचालक राजीव गांधी शिक्षा मिशन, भोपाल

2/- उपर्युक्तानुसार नामांकित अधिकारी सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 में निहित प्रावधानों के अनुसार अपने कर्तव्यों का निर्वहन करेंगे।

3/- श्री दीक्षित अपर संचालक पूर्ववत एससीईआरटी कार्यालय के लिए अपीलीय अधिकारी का कार्य संपादित करेंगे।

पृ.क्र./राशिके / 2008 / 5778-80
प्रतिलिपि-

आयुक्त
राज्य शिक्षा केन्द्र
भोपाल, दिनांक-23.12.08

1. प्रमुख सचिव, स्कूल शिक्षा, मध्यप्रदेश शासन, मंत्रालय वल्लभ भवन, भोपाल की ओर सूचनार्थ.
2. सचिव, स्कूल शिक्षा, मध्यप्रदेश शासन, मंत्रालय वल्लभ भवन, भोपाल की ओर सूचनार्थ.
3. समस्त संबंधित अधिकारियों की ओर उपरोक्तानुसार सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित.

आयुक्त
राज्य शिक्षा केन्द्र

राज्य शिक्षा केन्द्र
पुस्तक भवन, बी विंग, अरेरा हिल्स, भोपाल- 462011

क्रमांक:राशिके / मीडिया / 2005 / 4991

भोपाल, दिनांक-06.10.05

प्रति,

कलेक्टर,

समस्त जिले.

विषय- सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के क्रियान्वयन संबंधित।

संदर्भ- म.प्र. शासन स्कूल शिक्षा विभाग का आदेश क्रमांक एफ-16-17/05/20-4 भोपाल दिनांक- 05.10.05

उपरोक्त संदर्भित आदेश की संलग्न प्रति का अवलोकन करने का कष्ट करें। विषयान्तर्गत सामान्य प्रशासन विभाग मध्यप्रदेश शासन के आदेश क्रमांक-एफ-11-11 /05/ 1/9 भोपाल, दिनांक 20.06.2005 द्वारा राज्य में सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के क्रियान्वयन हेतु राज्य शिक्षा केन्द्र के अधीन जिला व विकास खंड स्तरीय इकाईयों के लिये अधिनियम की धारा 5 की उपधारा 1 के तहत लोक सूचना अधिकारी, उपधारा 2 के तहत सहायक लोक सूचना अधिकारी एवं धारा 19 की उपधारा 1 के तहत अपीलीय अधिकारियों का नामांकन उक्त आदेश में किया गया है।

कृपया आदेश में आपके जिले से संबंधित उल्लेखित अधिकारियों को उक्त आशय संबंधित कर्तव्य निर्वहन हेतु निर्देशित करने का कष्ट करें।

संचालक

पृ.क्र.राशिके / मीडिया / 2005 / 4992

भोपाल, दिनांक-06.10.05

प्रतिलिपि-

1. मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत समस्त जिले
2. जिला परियोजना समन्वयक, जिला शिक्षा केन्द्र, समस्त जिलों की ओर अपने जिले से संबंधित समस्त उल्लेखित अधिकारियों तक आदेश प्रति तत्काल पहुँचाने एवं आवश्यक कार्यवाही करने हेतु ।

संचालक

जिला शिक्षा केन्द्र स्तर—

क्र	कार्यालय का नाम	लोक सूचना अधिकारी का नाम एवं पद	सहायक लोक सूचना अधिकारी का नाम एवं पद	अपीली प्राधिकारी का नाम एवं पद
1	जिला शिक्षा केन्द्र, जिला श्योपुर	मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत, श्योपुर	जिला परियोजना समन्वयक, जिला श्योपुर	कलेक्टर, श्योपुर
2	जिला शिक्षा केन्द्र, जिला मुरैना	मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत, मुरैना	जिला परियोजना समन्वयक, जिला मुरैना	कलेक्टर, मुरैना
3	जिला शिक्षा केन्द्र, जिला भिण्ड	मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत, भिण्ड	जिला परियोजना समन्वयक, जिला भिण्ड	कलेक्टर, भिण्ड
4	जिला शिक्षा केन्द्र, जिला ग्वालियर	मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत, ग्वालियर	जिला परियोजना समन्वयक, जिला ग्वालियर	कलेक्टर, ग्वालियर
5	जिला शिक्षा केन्द्र, जिला शिवपुरी	मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत, शिवपुरी	जिला परियोजना समन्वयक, जिला शिवपुरी	कलेक्टर, शिवपुरी
6	जिला शिक्षा केन्द्र, जिला गुना	मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत, गुना	जिला परियोजना समन्वयक, जिला गुना	कलेक्टर, गुना
7	जिला शिक्षा केन्द्र, जिला अशोकनगर	मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत, अशोकनगर	जिला परियोजना समन्वयक, जिला अशोकनगर	कलेक्टर, अशोकनगर
8	जिला शिक्षा केन्द्र, जिला दतिया	मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत, दतिया	जिला परियोजना समन्वयक, जिला दतिया	कलेक्टर, दतिया
9	जिला शिक्षा केन्द्र, जिला देवास	मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत, देवास	जिला परियोजना समन्वयक, जिला देवास	कलेक्टर, देवास
10	जिला शिक्षा केन्द्र, जिला रतलाम	मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत, रतलाम	जिला परियोजना समन्वयक, जिला रतलाम	कलेक्टर, रतलाम
11	जिला शिक्षा केन्द्र, जिला शाजापुर	मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत, शाजापुर	जिला परियोजना समन्वयक, जिला शाजापुर	कलेक्टर, शाजापुर
12	जिला शिक्षा केन्द्र, जिला मन्दसौर	मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत, मन्दसौर	जिला परियोजना समन्वयक, जिला मन्दसौर	कलेक्टर, मन्दसौर
13	जिला शिक्षा केन्द्र, जिला शिवपुरी	मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत, शिवपुरी	जिला परियोजना समन्वयक, जिला शिवपुरी	कलेक्टर, शिवपुरी

	जिला नीमच	जिला पंचायत, नीमच	समन्वयक, जिला नीमच	
14	जिला शिक्षा केन्द्र, जिला उज्जैन	मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत, उज्जैन	जिला परियोजना समन्वयक, जिला उज्जैन	कलेक्टर, उज्जैन
15	जिला शिक्षा केन्द्र, जिला इन्दौर	मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत, इन्दौर	जिला परियोजना समन्वयक, जिला इन्दौर	कलेक्टर, इन्दौर
16	जिला शिक्षा केन्द्र, जिला धार	मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत, धार	जिला परियोजना समन्वयक, जिला धार	कलेक्टर, धार
17	जिला शिक्षा केन्द्र, जिला झाबुआ	मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत, झाबुआ	जिला परियोजना समन्वयक, जिला झाबुआ	कलेक्टर, झाबुआ
18	जिला शिक्षा केन्द्र, जिला खरगौन	मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत, खरगौन	जिला परियोजना समन्वयक, जिला खरगौन	कलेक्टर, खरगौन
19	जिला शिक्षा केन्द्र, जिला बड़वानी	मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत, बड़वानी	जिला परियोजना समन्वयक, जिला बड़वानी	कलेक्टर, बड़वानी
20	जिला शिक्षा केन्द्र, जिला खण्डवा	मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत, खंडवा	जिला परियोजना समन्वयक, जिला खंडवा	कलेक्टर, खंडवा
21	जिला शिक्षा केन्द्र, जिला बुरहानपुर	मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत, बुरहानपुर	जिला परियोजना समन्वयक, जिला बुरहानपुर	कलेक्टर, बुरहानपुर
22	जिला शिक्षा केन्द्र, जिला भोपाल	मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत, भोपाल	जिला परियोजना समन्वयक, जिला भोपाल	कलेक्टर, भोपाल
23	जिला शिक्षा केन्द्र, जिला सीहोर	मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत, सीहोर	जिला परियोजना समन्वयक, जिला सीहोर	कलेक्टर, सीहोर
24	जिला शिक्षा केन्द्र, जिला रायसेन	मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत, रायसेन	जिला परियोजना समन्वयक, जिला रायसेन	कलेक्टर, रायसेन
25	जिला शिक्षा केन्द्र, जिला राजगढ़	मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत, राजगढ़	जिला परियोजना समन्वयक, जिला राजगढ़	कलेक्टर, राजगढ़
26	जिला शिक्षा केन्द्र, जिला विदिशा	मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत, विदिशा	जिला परियोजना समन्वयक, जिला विदिशा	कलेक्टर, विदिशा
27	जिला शिक्षा केन्द्र, जिला बैतूल	मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत, बैतूल	जिला परियोजना समन्वयक, जिला बैतूल	कलेक्टर, बैतूल
28	जिला शिक्षा केन्द्र,	मुख्य कार्यपालन अधिकारी,	जिला परियोजना	कलेक्टर,

	जिला होशंगाबाद	जिला पंचायत, होशंगाबाद	समन्वयक, जिला होशंगाबाद	होशंगाबाद
29	जिला शिक्षा केन्द्र, जिला हरदा	मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत, हरदा	जिला परियोजना समन्वयक, जिला हरदा	कलेक्टर, हरदा
30	जिला शिक्षा केन्द्र, जिला सागर	मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत, सागर	जिला परियोजना समन्वयक, जिला सागर	कलेक्टर, सागर
31	जिला शिक्षा केन्द्र, जिला दमोह	मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत, दमोह	जिला परियोजना समन्वयक, जिला दमोह	कलेक्टर, दमोह
32	जिला शिक्षा केन्द्र, जिला पन्ना	मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत, पन्ना	जिला परियोजना समन्वयक, जिला पन्ना	कलेक्टर, पन्ना
33	जिला शिक्षा केन्द्र, जिला छतरपुर	मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत, छतरपुर	जिला परियोजना समन्वयक, जिला छतरपुर	कलेक्टर, छतरपुर
34	जिला शिक्षा केन्द्र, जिला टीकमगढ़	मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत, टीकमगढ़	जिला परियोजना समन्वयक, जिला टीकमगढ़	कलेक्टर, टीकमगढ़
35	जिला शिक्षा केन्द्र, जिला जबलपुर	मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत, जबलपुर	जिला परियोजना समन्वयक, जिला जबलपुर	कलेक्टर, जबलपुर
36	जिला शिक्षा केन्द्र, जिला कटनी	मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत, कटनी	जिला परियोजना समन्वयक, जिला कटनी	कलेक्टर, कटनी
37	जिला शिक्षा केन्द्र, जिला नरसिंहपुर	मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत, नरसिंहपुर	जिला परियोजना समन्वयक, जिला नरसिंहपुर	कलेक्टर, नरसिंहपुर
38	जिला शिक्षा केन्द्र, जिला छिन्दवाड़ा	मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत, छिन्दवाड़ा	जिला परियोजना समन्वयक, जिला छिन्दवाड़ा	कलेक्टर, छिन्दवाड़ा
39	जिला शिक्षा केन्द्र, जिला सिवनी	मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत, सिवनी	जिला परियोजना समन्वयक, जिला सिवनी	कलेक्टर, सिवनी
40	जिला शिक्षा केन्द्र, जिला मंडला	मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत, मंडला	जिला परियोजना समन्वयक, जिला मंडला	कलेक्टर, मंडला
41	जिला शिक्षा केन्द्र, जिला डिण्डौरी	मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत, डिण्डौरी	जिला परियोजना समन्वयक, जिला डिण्डौरी	कलेक्टर, डिण्डौरी
42	जिला शिक्षा केन्द्र, जिला बालाघाट	मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत, बालाघाट	जिला परियोजना समन्वयक, जिला बालाघाट	कलेक्टर, बालाघाट

43	जिला शिक्षा केन्द्र, जिला रीवा	मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत, रीवा	जिला परियोजना समन्वयक, जिला रीवा	कलेक्टर, रीवा
44	जिला शिक्षा केन्द्र, जिला शहडोल	मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत, शहडोल	जिला परियोजना समन्वयक, जिला शहडोल	कलेक्टर, शहडोल
45	जिला शिक्षा केन्द्र, जिला अनूपपुर	मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत, अनूपपुर	जिला परियोजना समन्वयक, जिला अनूपपुर	कलेक्टर, अनूपपुर
46	जिला शिक्षा केन्द्र, जिला उमरिया	मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत, उमरिया	जिला परियोजना समन्वयक, जिला उमरिया	कलेक्टर, उमरिया
47	जिला शिक्षा केन्द्र, जिला सीधी	मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत, सीधी	जिला परियोजना समन्वयक, जिला सीधी	कलेक्टर, सीधी
48	जिला शिक्षा केन्द्र, जिला सतना	मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत, सतना	जिला परियोजना समन्वयक, जिला सतना	कलेक्टर, सतना

जनपद शिक्षा केन्द्र स्तर—

क्र	कार्यालय का नाम	लोक सूचना अधिकारी का नाम एवं पद	सहायक लोक सूचना अधिकारी का नाम एवं पद	अपीली प्राधिकारी का नाम एवं पद
1	जनपद शिक्षा केन्द्र, श्योपुरकलां, जिला श्योपुर	विकास खंड स्त्रोत केन्द्र समन्वयक, श्योपुरकला	विकास खंड अकादमिक समन्वयक, श्योपुरकलां	मुख्य कार्यपालन अधिकारी एवं पदेन जिला परियोजना संचालक, श्योपुर
2	जनपद शिक्षा केन्द्र, विजयपुर, जिला श्योपुर	विकास खंड स्त्रोत केन्द्र समन्वयक, विजयपुर	विकास खंड अकादमिक समन्वयक, विजयपुर	मुख्य कार्यपालन अधिकारी एवं पदेन जिला परियोजना संचालक, श्योपुर
3	जनपद शिक्षा केन्द्र, कराहल, जिला श्योपुर	विकास खंड स्त्रोत केन्द्र समन्वयक, कराहल	विकास खंड अकादमिक समन्वयक, कराहल	मुख्य कार्यपालन अधिकारी एवं पदेन जिला परियोजना संचालक, श्योपुर
4	जनपद शिक्षा केन्द्र, मुरैना, जिला मुरैना	विकास खंड स्त्रोत केन्द्र समन्वयक, मुरैना	विकास खंड अकादमिक समन्वयक, मुरैना	मुख्य कार्यपालन अधिकारी एवं पदेन जिला परियोजना संचालक, मुरैना
5	जनपद शिक्षा केन्द्र, अम्बाह, जिला मुरैना	विकास खंड स्त्रोत केन्द्र समन्वयक, अम्बाह	विकास खंड अकादमिक समन्वयक, अम्बाह	मुख्य कार्यपालन अधिकारी एवं पदेन जिला परियोजना संचालक, मुरैना

	केन्द्र, पिछोर, शिवपुरी	केन्द्र समन्वयक, पिछोर	समन्वयक, पिछोर	एवं पदेन जिला परियोजना संचालक, शिवपुरी
27	जनपद शिक्षा केन्द्र, खनियाधाना, शिवपुरी	विकास खंड स्त्रोत केन्द्र समन्वयक, खनियाधाना	विकास खंड अकादमिक समन्वयक, खनियाधाना	मुख्य कार्यपालन अधिकारी एवं पदेन जिला परियोजना संचालक, शिवपुरी
28	जनपद शिक्षा केन्द्र, बदरवास, शिवपुरी	विकास खंड स्त्रोत केन्द्र समन्वयक, बदरवास	विकास खंड अकादमिक समन्वयक, बदरवास	मुख्य कार्यपालन अधिकारी एवं पदेन जिला परियोजना संचालक, शिवपुरी
29	जनपद शिक्षा केन्द्र, गुना, जिला गुना	विकास खंड स्त्रोत केन्द्र समन्वयक, गुना	विकास खंड अकादमिक समन्वयक, गुना	मुख्य कार्यपालन अधिकारी एवं पदेन जिला परियोजना संचालक, गुना
30	जनपद शिक्षा केन्द्र, बमोरी, गुना	विकास खंड स्त्रोत केन्द्र समन्वयक, बमोरी	विकास खंड अकादमिक समन्वयक, बमोरी	मुख्य कार्यपालन अधिकारी एवं पदेन जिला परियोजना संचालक, गुना
31	जनपद शिक्षा केन्द्र, चाचोड़ा, गुना	विकास खंड स्त्रोत केन्द्र समन्वयक, चाचोड़ा	विकास खंड अकादमिक समन्वयक, चाचोड़ा	मुख्य कार्यपालन अधिकारी एवं पदेन जिला परियोजना संचालक गुना
32	जनपद शिक्षा केन्द्र, राघोगढ़, गुना	विकास खंड स्त्रोत केन्द्र समन्वयक, राघोगढ़	विकास खंड अकादमिक समन्वयक, राघोगढ़	मुख्य कार्यपालन अधिकारी एवं पदेन जिला परियोजना संचालक, गुना
33	जनपद शिक्षा केन्द्र, आरौन, गुना	विकास खंड स्त्रोत केन्द्र समन्वयक, आरौन	विकास खंड अकादमिक समन्वयक, आरौन	मुख्य कार्यपालन अधिकारी एवं पदेन जिला परियोजना संचालक, गुना
34	जनपद शिक्षा केन्द्र, अशोकनगर, जिला अशोकनगर	विकास खंड स्त्रोत केन्द्र समन्वयक, अशोकनगर	विकास खंड अकादमिक समन्वयक, अशोकनगर	मुख्य कार्यपालन अधिकारी एवं पदेन जिला परियोजना संचालक, अशोकनगर
35	जनपद शिक्षा केन्द्र, ईसागढ़, अशोकनगर	विकास खंड स्त्रोत केन्द्र समन्वयक, ईसागढ़	विकास खंड अकादमिक समन्वयक, ईसागढ़	मुख्य कार्यपालन अधिकारी एवं पदेन जिला परियोजना संचालक, अशोकनगर
36	जनपद शिक्षा केन्द्र, मुंगावली,	विकास खंड स्त्रोत केन्द्र समन्वयक,	विकास खंड अकादमिक समन्वयक, मुंगावली	मुख्य कार्यपालन अधिकारी एवं पदेन जिला परियोजना

	अशोकनगर	मुंगावली		संचालक, अशोकनगर
37	जनपद शिक्षा केन्द्र, चन्देरी, अशोकनगर	विकास खंड स्त्रोत केन्द्र समन्वयक, चन्देरी	विकास खंड अकादमिक समन्वयक, चन्देरी	मुख्य कार्यपालन अधिकारी एवं पदेन जिला परियोजना संचालक, अशोकनगर
38	जनपद शिक्षा केन्द्र, दतिया, जिला दतिया	विकास खंड स्त्रोत केन्द्र समन्वयक, दतिया	विकास खंड अकादमिक समन्वयक, दतिया	मुख्य कार्यपालन अधिकारी एवं पदेन जिला परियोजना संचालक, दतिया
39	जनपद शिक्षा केन्द्र, सेवड़ा, दतिया	विकास खंड स्त्रोत केन्द्र समन्वयक, सेवड़ा	विकास खंड अकादमिक समन्वयक, सेवड़ा	मुख्य कार्यपालन अधिकारी एवं पदेन जिला परियोजना संचालक, दतिया
40	जनपद शिक्षा केन्द्र, भांडेर, दतिया	विकास खंड स्त्रोत केन्द्र समन्वयक, भांडेर	विकास खंड अकादमिक समन्वयक, भांडेर	मुख्य कार्यपालन अधिकारी एवं पदेन जिला परियोजना संचालक, दतिया
41	जनपद शिक्षा केन्द्र, देवास, जिला देवास	विकास खंड स्त्रोत केन्द्र समन्वयक, देवास	विकास खंड अकादमिक समन्वयक, देवास	मुख्य कार्यपालन अधिकारी एवं पदेन जिला परियोजना संचालक, देवास
42	जनपद शिक्षा केन्द्र, सोनकच्छ, देवास	विकास खंड स्त्रोत केन्द्र समन्वयक, सोनकच्छ	विकास खंड अकादमिक समन्वयक, सोनकच्छ	मुख्य कार्यपालन अधिकारी एवं पदेन जिला परियोजना संचालक, देवास
43	जनपद शिक्षा केन्द्र, टोंकखुर्द, देवास	विकास खंड स्त्रोत केन्द्र समन्वयक, टोंकखुर्द	विकास खंड अकादमिक समन्वयक, टोंकखुर्द	मुख्य कार्यपालन अधिकारी एवं पदेन जिला परियोजना संचालक, देवास
44	जनपद शिक्षा केन्द्र, कन्नौद, देवास	विकास खंड स्त्रोत केन्द्र समन्वयक, कन्नौद	विकास खंड अकादमिक समन्वयक, कन्नौद	मुख्य कार्यपालन अधिकारी एवं पदेन जिला परियोजना संचालक, देवास
45	जनपद शिक्षा केन्द्र, खातेगांव, देवास	विकास खंड स्त्रोत केन्द्र समन्वयक, खातेगांव	विकास खंड अकादमिक समन्वयक, खातेगांव	मुख्य कार्यपालन अधिकारी एवं पदेन जिला परियोजना संचालक, देवास
46	जनपद शिक्षा केन्द्र, बागली, देवास	विकास खंड स्त्रोत केन्द्र समन्वयक, बागली	विकास खंड अकादमिक समन्वयक, बागली	मुख्य कार्यपालन अधिकारी एवं पदेन जिला परियोजना संचालक, देवास

	होशंगाबाद	वनखेडी		संचालक, होशंगाबाद
171	जनपद शिक्षा केन्द्र, पिपरिया, होशंगाबाद	विकास खंड स्त्रोत केन्द्र समन्वयक, पिपरिया	विकास खंड अकादमिक समन्वयक, पिपरिया	मुख्य कार्यपालन अधिकारी एवं पदेन जिला परियोजना संचालक, होशंगाबाद
172	जनपद शिक्षा केन्द्र, सिवनी मालवा,होशंगाबाद	विकास खंड स्त्रोत केन्द्र समन्वयक, सिवनी मालवा	विकास खंड अकादमिक समन्वयक, सिवनी मालवा	मुख्य कार्यपालन अधिकारी एवं पदेन जिला परियोजना संचालक, होशंगाबाद
173	जनपद शिक्षा केन्द्र, खिरकिया, जिला हरदा	विकास खंड स्त्रोत केन्द्र समन्वयक, खिरकिया	विकास खंड अकादमिक समन्वयक, खिरकिया	मुख्य कार्यपालन अधिकारी एवं पदेन जिला परियोजना संचालक, हरदा
174	जनपद शिक्षा केन्द्र, हरदा, हरदा	विकास खंड स्त्रोत केन्द्र समन्वयक, हरदा	विकास खंड अकादमिक समन्वयक, हरदा	मुख्य कार्यपालन अधिकारी एवं पदेन जिला परियोजना संचालक, हरदा
175	जनपद शिक्षा केन्द्र, टिमरनी, हरदा	विकास खंड स्त्रोत केन्द्र समन्वयक, टिमरनी	विकास खंड अकादमिक समन्वयक, टिमरनी	मुख्य कार्यपालन अधिकारी एवं पदेन जिला परियोजना संचालक, हरदा
176	जनपद शिक्षा केन्द्र, सागर, जिला सागर	विकास खंड स्त्रोत केन्द्र समन्वयक, सागर	विकास खंड अकादमिक समन्वयक, सागर	मुख्य कार्यपालन अधिकारी एवं पदेन जिला परियोजना संचालक, सागर
177	जनपद शिक्षा केन्द्र, राहतगढ़, सागर	विकास खंड स्त्रोत केन्द्र समन्वयक, राहतगढ़	विकास खंड अकादमिक समन्वयक, राहतगढ़	मुख्य कार्यपालन अधिकारी एवं पदेन जिला परियोजना संचालक, सागर
178	जनपद शिक्षा केन्द्र, जैसीनगर, सागर	विकास खंड स्त्रोत केन्द्र समन्वयक, जैसीनगर	विकास खंड अकादमिक समन्वयक, जैसीनगर	मुख्य कार्यपालन अधिकारी एवं पदेन जिला परियोजना संचालक, सागर
179	जनपद शिक्षा केन्द्र, रहली, सागर	विकास खंड स्त्रोत केन्द्र समन्वयक, रहली	विकास खंड अकादमिक समन्वयक, रहली	मुख्य कार्यपालन अधिकारी एवं पदेन जिला परियोजना संचालक, सागर
180	जनपद शिक्षा केन्द्र, देवरी, सागर	विकास खंड स्त्रोत केन्द्र समन्वयक, देवरी	विकास खंड अकादमिक समन्वयक, देवरी	मुख्य कार्यपालन अधिकारी एवं पदेन जिला परियोजना संचालक, सागर

	नौगांव, छतरपुर	नौगांव		संचालक, छतरपुर
202	जनपद शिक्षा केन्द्र, लौंडी, छतरपुर	विकास खंड स्त्रोत केन्द्र समन्वयक, लौंडी	विकास खंड अकादमिक समन्वयक, लौंडी	मुख्य कार्यपालन अधिकारी एवं पदेन जिला परियोजना संचालक, छतरपुर
203	जनपद शिक्षा केन्द्र, गौरीहार, छतरपुर	विकास खंड स्त्रोत केन्द्र समन्वयक, गौरीहार	विकास खंड अकादमिक समन्वयक, गौरीहार	मुख्य कार्यपालन अधिकारी एवं पदेन जिला परियोजना संचालक, छतरपुर
204	जनपद शिक्षा केन्द्र, बिजावर, छतरपुर	विकास खंड स्त्रोत केन्द्र समन्वयक, बिजावर	विकास खंड अकादमिक समन्वयक, बिजावर	मुख्य कार्यपालन अधिकारी एवं पदेन जिला परियोजना संचालक, छतरपुर
205	जनपद शिक्षा केन्द्र, बड़ामलहरा, छतरपुर	विकास खंड स्त्रोत केन्द्र समन्वयक, बड़ामलहरा	विकास खंड अकादमिक समन्वयक, बड़ामलहरा	मुख्य कार्यपालन अधिकारी एवं पदेन जिला परियोजना संचालक, छतरपुर
206	जनपद शिक्षा केन्द्र, बक्सवाहा, छतरपुर	विकास खंड स्त्रोत केन्द्र समन्वयक, बक्सवाहा	विकास खंड अकादमिक समन्वयक, बक्सवाहा	मुख्य कार्यपालन अधिकारी एवं पदेन जिला परियोजना संचालक, छतरपुर
207	जनपद शिक्षा केन्द्र, टीकमगढ़, जिला टीकमगढ़	विकास खंड स्त्रोत केन्द्र समन्वयक, टीकमगढ़	विकास खंड अकादमिक समन्वयक, टीकमगढ़	मुख्य कार्यपालन अधिकारी एवं पदेन जिला परियोजना संचालक, टीकमगढ़
208	जनपद शिक्षा केन्द्र, बल्देवगढ़, टीकमगढ़	विकास खंड स्त्रोत केन्द्र समन्वयक, बल्देवगढ़	विकास खंड अकादमिक समन्वयक, बल्देवगढ़	मुख्य कार्यपालन अधिकारी एवं पदेन जिला परियोजना संचालक, टीकमगढ़
209	जनपद शिक्षा केन्द्र, निवाड़ी, टीकमगढ़	विकास खंड स्त्रोत केन्द्र समन्वयक, निवाड़ी	विकास खंड अकादमिक समन्वयक, निवाड़ी	मुख्य कार्यपालन अधिकारी एवं पदेन जिला परियोजना संचालक, टीकमगढ़
210	जनपद शिक्षा केन्द्र, पृथ्वीपुर, टीकमगढ़	विकास खंड स्त्रोत केन्द्र समन्वयक, पृथ्वीपुर	विकास खंड अकादमिक समन्वयक, पृथ्वीपुर	मुख्य कार्यपालन अधिकारी एवं पदेन जिला परियोजना संचालक, टीकमगढ़
211	जनपद शिक्षा केन्द्र, जतारा, टीकमगढ़	विकास खंड स्त्रोत केन्द्र समन्वयक, जतारा	विकास खंड अकादमिक समन्वयक, जतारा	मुख्य कार्यपालन अधिकारी एवं पदेन जिला परियोजना संचालक, टीकमगढ़

212	जनपद शिक्षा केन्द्र, पलेरा, टीकमगढ़	विकास खंड स्त्रोत केन्द्र समन्वयक, पलेरा	विकास खंड अकादमिक समन्वयक, पलेरा	मुख्य कार्यपालन अधिकारी एवं पदेन जिला परियोजना संचालक, टीकमगढ़
213	जनपद शिक्षा केन्द्र, पनागर, जिला जबलपुर	विकास खंड स्त्रोत केन्द्र समन्वयक, पनागर	विकास खंड अकादमिक समन्वयक, पनागर	मुख्य कार्यपालन अधिकारी एवं पदेन जिला परियोजना संचालक, जबलपुर
214	जनपद शिक्षा केन्द्र, कुन्डम, जबलपुर	विकास खंड स्त्रोत केन्द्र समन्वयक, कुन्डम	विकास खंड अकादमिक समन्वयक, कुन्डम	मुख्य कार्यपालन अधिकारी एवं पदेन जिला परियोजना संचालक, जबलपुर
215	जनपद शिक्षा केन्द्र, बरगी जबलपुर	विकास खंड स्त्रोत केन्द्र समन्वयक, बरगी (जबलपुर)	विकास खंड अकादमिक समन्वयक, बरगी (जबलपुर)	मुख्य कार्यपालन अधिकारी एवं पदेन जिला परियोजना संचालक, जबलपुर
216	जनपद शिक्षा केन्द्र, सीहोरा, जबलपुर	विकास खंड स्त्रोत केन्द्र समन्वयक, सीहोरा	विकास खंड अकादमिक समन्वयक, सीहोरा	मुख्य कार्यपालन अधिकारी एवं पदेन जिला परियोजना संचालक, जबलपुर
217	जनपद शिक्षा केन्द्र, मझोली, जबलपुर	विकास खंड स्त्रोत केन्द्र समन्वयक, मझोली	विकास खंड अकादमिक समन्वयक, मझोली	मुख्य कार्यपालन अधिकारी एवं पदेन जिला परियोजना संचालक, जबलपुर
218	जनपद शिक्षा केन्द्र, पाटन, जबलपुर	विकास खंड स्त्रोत केन्द्र समन्वयक, पाटन	विकास खंड अकादमिक समन्वयक, पाटन	मुख्य कार्यपालन अधिकारी एवं पदेन जिला परियोजना संचालक, जबलपुर
219	जनपद शिक्षा केन्द्र, शहपुरा, जबलपुर	विकास खंड स्त्रोत केन्द्र समन्वयक, शहपुरा	विकास खंड अकादमिक समन्वयक, शहपुरा	मुख्य कार्यपालन अधिकारी एवं पदेन जिला परियोजना संचालक, जबलपुर
220	जनपद शिक्षा केन्द्र, बहोरीबंद, जिला कटनी	विकास खंड स्त्रोत केन्द्र समन्वयक, बहोरीबंद	विकास खंड अकादमिक समन्वयक, बहोरीबंद	मुख्य कार्यपालन अधिकारी एवं पदेन जिला परियोजना संचालक, कटनी
221	जनपद शिक्षा केन्द्र, ढीमरखेड़ा, कटनी	विकास खंड स्त्रोत केन्द्र समन्वयक, ढीमरखेड़ा	विकास खंड अकादमिक समन्वयक, ढीमरखेड़ा	मुख्य कार्यपालन अधिकारी एवं पदेन जिला परियोजना संचालक, कटनी
222	जनपद शिक्षा	विकास खंड स्त्रोत	विकास खंड अकादमिक	मुख्य कार्यपालन अधिकारी

	केन्द्र, जवा, रीवा	केन्द्र समन्वयक, जवा	समन्वयक, जवा	एवं पदेन जिला परियोजना संचालक, रीवा
285	जनपद शिक्षा केन्द्र, सिरमौर, रीवा	विकास खंड स्त्रोत केन्द्र समन्वयक, सिरमौर	विकास खंड अकादमिक समन्वयक, सिरमौर	मुख्य कार्यपालन अधिकारी एवं पदेन जिला परियोजना संचालक, रीवा
286	जनपद शिक्षा केन्द्र, गांगेव, रीवा	विकास खंड स्त्रोत केन्द्र समन्वयक, गांगेव	विकास खंड अकादमिक समन्वयक, गांगेव	मुख्य कार्यपालन अधिकारी एवं पदेन जिला परियोजना संचालक, रीवा
287	जनपद शिक्षा केन्द्र, सोहागपुर, शहडोल	विकास खंड स्त्रोत केन्द्र समन्वयक, सोहागपुर	विकास खंड अकादमिक समन्वयक, सोहागपुर	मुख्य कार्यपालन अधिकारी एवं पदेन जिला परियोजना संचालक, शहडोल
288	जनपद शिक्षा केन्द्र, पाली, शहडोल	विकास खंड स्त्रोत केन्द्र समन्वयक, पाली	विकास खंड अकादमिक समन्वयक, पाली	मुख्य कार्यपालन अधिकारी एवं पदेन जिला परियोजना संचालक, शहडोल
289	जनपद शिक्षा केन्द्र, ब्यौहारी, शहडोल	विकास खंड स्त्रोत केन्द्र समन्वयक, ब्यौहारी	विकास खंड अकादमिक समन्वयक, ब्यौहारी	मुख्य कार्यपालन अधिकारी एवं पदेन जिला परियोजना संचालक, शहडोल
290	जनपद शिक्षा केन्द्र, बुढार, शहडोल	विकास खंड स्त्रोत केन्द्र समन्वयक, बुढार	विकास खंड अकादमिक समन्वयक, बुढार	मुख्य कार्यपालन अधिकारी एवं पदेन जिला परियोजना संचालक, शहडोल
291	जनपद शिक्षा केन्द्र, जयसिंह नगर, शहडोल	विकास खंड स्त्रोत केन्द्र समन्वयक, जयसिंह नगर	विकास खंड अकादमिक समन्वयक, जयसिंह नगर	मुख्य कार्यपालन अधिकारी एवं पदेन जिला परियोजना संचालक, शहडोल
292	जनपद शिक्षा केन्द्र, अनूपपुर, जिला अनूपपुर	विकास खंड स्त्रोत केन्द्र समन्वयक, अनूपपुर	विकास खंड अकादमिक समन्वयक, अनूपपुर	मुख्य कार्यपालन अधिकारी एवं पदेन जिला परियोजना संचालक, अनूपपुर
293	जनपद शिक्षा केन्द्र, पुष्पराजगढ़, अनूपपुर	विकास खंड स्त्रोत केन्द्र समन्वयक, पुष्पराजगढ़	विकास खंड अकादमिक समन्वयक, पुष्पराजगढ़	मुख्य कार्यपालन अधिकारी एवं पदेन जिला परियोजना संचालक, अनूपपुर
294	जनपद शिक्षा केन्द्र,	विकास खंड स्त्रोत केन्द्र समन्वयक,	विकास खंड अकादमिक समन्वयक, कोतमा	मुख्य कार्यपालन अधिकारी एवं पदेन जिला परियोजना

	कोतमा, अनूपपुर	कोतमा		संचालक, अनूपपुर
295	जनपद शिक्षा केन्द्र, जैतहरी, अनूपपुर	विकास खंड स्त्रोत केन्द्र समन्वयक, जैतहरी	विकास खंड अकादमिक समन्वयक, जैतहरी	मुख्य कार्यपालन अधिकारी एवं पदेन जिला परियोजना संचालक, अनूपपुर
296	जनपद शिक्षा केन्द्र, उमरिया(कर केली), उमरिया	विकास खंड स्त्रोत केन्द्र समन्वयक, उमरिया (करकेली)	विकास खंड अकादमिक समन्वयक, उमरिया (करकेली)	मुख्य कार्यपालन अधिकारी एवं पदेन जिला परियोजना संचालक, उमरिया
297	जनपद शिक्षा केन्द्र, मानपुर, उमरिया	विकास खंड स्त्रोत केन्द्र समन्वयक, मानपुर	विकास खंड अकादमिक समन्वयक, मानपुर	मुख्य कार्यपालन अधिकारी एवं पदेन जिला परियोजना संचालक, उमरिया
298	जनपद शिक्षा केन्द्र, गोहपारु, उमरिया	विकास खंड स्त्रोत केन्द्र समन्वयक, गोहपारु	विकास खंड अकादमिक समन्वयक, गोहपारु	मुख्य कार्यपालन अधिकारी एवं पदेन जिला परियोजना संचालक, उमरिया
299	जनपद शिक्षा केन्द्र, सीधी, जिला सीधी	विकास खंड स्त्रोत केन्द्र समन्वयक, सीधी	विकास खंड अकादमिक समन्वयक, सीधी	मुख्य कार्यपालन अधिकारी एवं पदेन जिला परियोजना संचालक, सीधी
300	जनपद शिक्षा केन्द्र, सिंहावल, सीधी	विकास खंड स्त्रोत केन्द्र समन्वयक, सिंहावल	विकास खंड अकादमिक समन्वयक, सिंहावल	मुख्य कार्यपालन अधिकारी एवं पदेन जिला परियोजना संचालक, सीधी
301	जनपद शिक्षा केन्द्र, कुसमी, सीधी	विकास खंड स्त्रोत केन्द्र समन्वयक, कुसमी	विकास खंड अकादमिक समन्वयक, कुसमी	मुख्य कार्यपालन अधिकारी एवं पदेन जिला परियोजना संचालक, सीधी
302	जनपद शिक्षा केन्द्र, मझौली, सीधी	विकास खंड स्त्रोत केन्द्र समन्वयक, मझौली	विकास खंड अकादमिक समन्वयक, मझौली	मुख्य कार्यपालन अधिकारी एवं पदेन जिला परियोजना संचालक, सीधी
303	जनपद शिक्षा केन्द्र, रामपुर नैकिन, सीधी	विकास खंड स्त्रोत केन्द्र समन्वयक, रामपुर नैकिन	विकास खंड अकादमिक समन्वयक, रामपुर नैकिन	मुख्य कार्यपालन अधिकारी एवं पदेन जिला परियोजना संचालक, सीधी
304	जनपद शिक्षा केन्द्र, देवसर, सीधी	विकास खंड स्त्रोत केन्द्र समन्वयक, देवसर	विकास खंड अकादमिक समन्वयक, देवसर	मुख्य कार्यपालन अधिकारी एवं पदेन जिला परियोजना संचालक, सीधी

305	जनपद शिक्षा केन्द्र, चितरंगी, सीधी	विकास खंड स्त्रोत केन्द्र समन्वयक, चितरंगी	विकास खंड अकादमिक समन्वयक, चितरंगी	मुख्य कार्यपालन अधिकारी एवं पदेन जिला परियोजना संचालक, सीधी
306	जनपद शिक्षा केन्द्र, बैढन, सीधी	विकास खंड स्त्रोत केन्द्र समन्वयक, बैढन	विकास खंड अकादमिक समन्वयक, बैढन	मुख्य कार्यपालन अधिकारी एवं पदेन जिला परियोजना संचालक, सीधी
307	जनपद शिक्षा केन्द्र, सतना (सुहावल), सतना	विकास खंड स्त्रोत केन्द्र समन्वयक, सतना (सुहावल)	विकास खंड अकादमिक समन्वयक, सतना (सुहावल)	मुख्य कार्यपालन अधिकारी एवं पदेन जिला परियोजना संचालक, सतना
308	जनपद शिक्षा केन्द्र, चित्रकूट (मझगवां), सतना	विकास खंड स्त्रोत केन्द्र समन्वयक, चित्रकूट (मझगवां)	विकास खंड अकादमिक समन्वयक, चित्रकूट (मझगवां)	मुख्य कार्यपालन अधिकारी एवं पदेन जिला परियोजना संचालक, सतना
309	जनपद शिक्षा केन्द्र, रामपुर बघेलान, सतना	विकास खंड स्त्रोत केन्द्र समन्वयक, रामपुर बघेलान	विकास खंड अकादमिक समन्वयक, रामपुर बघेलान	मुख्य कार्यपालन अधिकारी एवं पदेन जिला परियोजना संचालक, सतना
310	जनपद शिक्षा केन्द्र, नागोद, सतना	विकास खंड स्त्रोत केन्द्र समन्वयक, नागोद	विकास खंड अकादमिक समन्वयक, नागोद	मुख्य कार्यपालन अधिकारी एवं पदेन जिला परियोजना संचालक, सतना
311	जनपद शिक्षा केन्द्र, उचेहरा, सतना	विकास खंड स्त्रोत केन्द्र समन्वयक, उचेहरा	विकास खंड अकादमिक समन्वयक, उचेहरा	मुख्य कार्यपालन अधिकारी एवं पदेन जिला परियोजना संचालक, सतना
312	जनपद शिक्षा केन्द्र, अमर पाटन, सतना	विकास खंड स्त्रोत केन्द्र समन्वयक, अमर पाटन	विकास खंड अकादमिक समन्वयक, अमरपाटन	मुख्य कार्यपालन अधिकारी एवं पदेन जिला परियोजना संचालक, सतना
313	जनपद शिक्षा केन्द्र, रामनगर, सतना	विकास खंड स्त्रोत केन्द्र समन्वयक, रामनगर	विकास खंड अकादमिक समन्वयक, रामनगर	मुख्य कार्यपालन अधिकारी एवं पदेन जिला परियोजना संचालक, सतना
314	जनपद शिक्षा केन्द्र, मैहर, सतना	विकास खंड स्त्रोत केन्द्र समन्वयक, मैहर	विकास खंड अकादमिक समन्वयक, मैहर	मुख्य कार्यपालन अधिकारी एवं पदेन जिला परियोजना संचालक, सतना

**मध्यप्रदेश शासन
स्कूल शिक्षा विभाग
मंत्रालय**

वल्लभ भवन, भोपाल- 462004

क्र. एफ-44-01 / 09 / 20-2

भोपाल, दिनांक- 22.01.09

आदेश

सामान्य प्रशासन म0 प्र0 राज्य शासन सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के क्रियान्वयन हेतु एस.सी.ई.आर.टी. के अधीनस्थ प्रशासनिक इकाईयों के लिए अधिनियम की धारा-5 की उपधारा-1 के तहत कालम नं0 3 अनुसार लोक सूचना अधिकारी तथा धारा 5 की उपधारा-2 के तहत कालम नं0 4 के अनुसार सहायक लोक सूचना अधिकारी और अधिनियम की धारा-19 की उपधारा-1 के तहत प्रथम अपीलीय अधिकारी का नामांकन किया जाता है-

स. क्र.	संस्था का नाम	लोक सूचना अधिकारी	सहायक लोक सूचना अधिकारी	प्रथम अपीलीय अधिकारी
1	राज्य विज्ञान शिक्षा संस्थान, जबलपुर	संचालक	संचालक द्वारा नामांकित अधिकारी	अपर संचालक, एस.सी. ई.आर.टी.
2	पूर्व प्राथमिक प्रशिक्षण संस्थान, जबलपुर	प्राचार्य	प्राचार्य द्वारा नामांकित अधिकारी	अपर संचालक, एस.सी. ई.आर.टी.
3	आंग्ल भाषा शिक्षण संस्थान, भोपाल	संचालक	संचालक द्वारा नामांकित अधिकारी	अपर संचालक एस.सी. ई.आर.टी.
4	शासकीय शिक्षा मनोविज्ञान संदर्शन महा0 जबलपुर	प्राचार्य	प्राचार्य द्वारा नामांकित अधिकारी	अपर संचालक, एस.सी. ई.आर.टी.
5	प्रगत अध्ययन शिक्षा संस्थान भोपाल	प्राचार्य	प्राचार्य द्वारा नामांकित अधिकारी	अपर संचालक, एस.सी. ई.आर.टी.
6	शासकीय शिक्षा महाविद्यालय देवास	प्राचार्य	प्राचार्य द्वारा नामांकित अधिकारी	संभागीय आयुक्त द्वारा नामांकित उपायुक्त
7	शासकीय शिक्षा महाविद्यालय उज्जैन	प्राचार्य	प्राचार्य द्वारा नामांकित अधिकारी	संभागीय आयुक्त द्वारा नामांकित उपायुक्त
8	शासकीय शिक्षा महाविद्यालय ग्वालियर	प्राचार्य	प्राचार्य द्वारा नामांकित अधिकारी	संभागीय आयुक्त द्वारा नामांकित उपायुक्त
9	शासकीय शिक्षा महाविद्यालय रीवा	प्राचार्य	प्राचार्य द्वारा नामांकित अधिकारी	संभागीय आयुक्त द्वारा नामांकित उपायुक्त
10	शासकीय शिक्षा महाविद्यालय छतरपुर	प्राचार्य	प्राचार्य द्वारा नामांकित अधिकारी	संभागीय आयुक्त द्वारा नामांकित उपायुक्त
11	प्रगत अध्ययन शिक्षा संस्थान जबलपुर	प्राचार्य	प्राचार्य द्वारा नामांकित अधिकारी	अपर संचालक, एस.सी. ई.आर.टी.
12	शासकीय शिक्षा महाविद्यालय खण्डवा	प्राचार्य	प्राचार्य द्वारा नामांकित अधिकारी	संभागीय आयुक्त द्वारा नामांकित उपायुक्त
13	जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण	प्राचार्य	प्राचार्य द्वारा	जिला कलेक्टर द्वारा

	संस्थान, कटनी		नामांकित अधिकारी	नामांकित अपर/संयुक्त कलेक्टर
55	जिला संसाधन केन्द्र उमरिया	प्राचार्य	प्राचार्य द्वारा नामांकित अधिकारी	जिला कलेक्टर द्वारा नामांकित अपर/संयुक्त कलेक्टर
56	जिला संसाधन केन्द्र, हरदा	प्राचार्य	प्राचार्य द्वारा नामांकित अधिकारी	जिला कलेक्टर द्वारा नामांकित अपर/संयुक्त कलेक्टर
57	जिला संसाधन केन्द्र, श्योपुरकला	प्राचार्य	प्राचार्य द्वारा नामांकित अधिकारी	जिला कलेक्टर द्वारा नामांकित अपर/संयुक्त कलेक्टर

सचिव

म.प्र. शासन, स्कूल शिक्षा विभाग
भोपाल

भोपाल, दिनांक- 22.01.09

पृ.क्र.एफ-44-1/09/20-2

प्रतिलिपि-

1. प्रमुख सचिव, म. प्र. शासन, स्कूल शिक्षा विभाग, वल्लभ भवन, भोपाल की ओर सूचनार्थ ।
2. समस्त राज्य स्तरीय संस्थाएं (म.प्र.)
3. समस्त शासकीय शिक्षा महाविद्यालय (म.प्र.)
4. समस्त जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान (म.प्र.)
5. समस्त जिला संसाधन केन्द्र (म.प्र.)
की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु पालनार्थ ।

सचिव

म.प्र. शासन स्कूल शिक्षा विभाग
भोपाल

17- अन्य सूचनायें जो निर्धारित की जाय तथा उनका प्रकाशन एवं प्रतिवर्ष अद्यतन करने की कार्यवाही :

राज्य स्तर पर राज्य शिक्षा केन्द्र तथा जिलों में स्थित जिला शिक्षा केन्द्रों व जनपद स्तर पर जनपद शिक्षा केन्द्र कार्यालयों में नागरिकों के पठन हेतु वांछित जानकारियां उपलब्ध कराई जायेगी। जानकारी पठन के लिये संबंधित अधिकारी की पूर्व अनुमति लेनी होगी। राज्य शिक्षा केन्द्र में जानकारी पठन की सुविधा राज्य शिक्षा केन्द्र स्थित पुस्तकालय/वाचनालय में की जायेगी। जिला व जनपद स्तर पर संबंधित अधिकारी द्वारा सुविधाजनक तरीके से बैठने की व्यवस्था कर जानकारी प्रदान करने का प्रयास किया जायेगा।